Seventeenth Series, Vol.XXI No.10 | Tuesday, December 20, 2022
Agrahayana 29, 1944 (Saka)

Lok Sabha Debates

(Original Version)

Tenth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXI Contains Nos. 1 to 13)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Anil Kumar Chopra

Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copy right and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXI, Tenth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 10, Tuesday, December 20, 2022/Agrahayana 29, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 181 and 184	13-34
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 185 to 200	35-106
Unstarred Question Nos. 2071-2300	107-768

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 769-783

COMMITTEE ON ESTIMATES
18th to 20th Reports 784

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
18th Report 785

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
20th and 21st Reports 786

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
31st and 32nd Reports 787

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING
(i) 43rd to 50th Reports 788-790
(ii) Statement 790

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT
38th to 40th Reports 791

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
333rd to 336th Reports 792-793

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(i) 16th Report 793
(ii) Statement 793

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
18th Reports 794

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 303rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry on Downturn in Automobile Sector - Its Impact and Measures for Revival pertaining to the Ministry of Heavy Industries. 795

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 309th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry on Electric and Hybrid Mobility - Prospects and Challenges in Automobile Industry pertaining to the Ministry of Heavy Industries. 795

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 314th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 307th Report of the Committee, on Impact of Covid-19 on PSUs and the initiatives taken by PSUs under Atamnirbhar Bharat Abhiyaan pertaining to the Ministry of Heavy Industries.

Shri Krishan Pal 796

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development.

Shri Arjun Ram Meghwal 796

ELECTION TO COMMITTEE

Coir Board 797

MOTION RE: REFERENCE OF MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022 TO JOINT COMMITTEE 798-802

SUBMISSION BY MEMBER 804-805

Re: Need to protect the status of Sammed Shikharji Jain Pilgrim place situated in Jharkhand

MATTERS UNDER RULE 377 832-859

(i) Need to develop Gorakhpur railway station as a world class railway station.

Shri Ravi Kishan 832

(ii) Need to accord the status of 'Shaheed' (Martyr) to armed forces personnel who lay down their lives defending the country.

Shri Sumedhanand Saraswati 833

(iii) Need to run Train no. 12981/82 (Jaipur-Asarwa) and provide stoppage of trains at railway station in Bhilwara Parliamentary Constituency.

Shri Subhash Chandra Baheria 834

(iv) Regarding deteriorating air quality in Delhi.

Shri Parvesh Sahib Singh Verma 835

(v) Need to set up district level monitoring committees to look into the problems faced by students in coaching institutes.

Shri Dilip Saikia 836

(vi) Need to set up additional Krishi Vigyan Kendras in Satna Parliamentary Constituency.

Shri Ganesh Singh 837

(vii) Need to restore the stoppages of various trains at railway stations in Madha Parliamentary Constituency.

Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik Nimbalkar 838

(viii) Need to set up a Dedicated Sports Injury Centre in Lala Lajpat Rai Memorial Medical College, Meerut, Uttar Pradesh.

Shri Rajendra Agrawal 839

(ix) Need to abolish the requirement of income criteria in scholarship schemes for scheduled tribes students.

Dr. Heena Vijaykumar Gavit 840

(x) Regarding inclusion of Darjeeling Hills Terai and Dooars region in the North East Council.

Shri Raju Bista 841

(xi) Need to make rights of gig workers more effective.

Kunwar Pushpendra Singh Chandel 842-843

(xii) Need to shift Kendriya Vidyalaya in Dibiyapur Legislative Assembly in Etawah Parliamentary Constituency to a permanent school building.

Dr. Ram Shankar Katheria 844

(xiii) Need to expedite irrigation project for channelizing water of Telhar Kund to Jagdahwah dam in Kaimur district Bihar.

Shri Chhedi Paswan 845

(xiv) Regarding fencing of the international border with Bangladesh in Jalpaiguri Parliamentary Constituency.

Dr. Jayanta Kumar Roy 846

(xv) Regarding construction of multipurpose dam and hydroelectric power project on river Banshadhara in Koraput district, Odisha.

Shri Saptagiri Sankar Ulaka 847

(xvi) Regarding implementation of the Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

Adv. Adoor Prakash 848

(xvii) Regarding withdrawal of the proposal to dilute the functions of the Rubber Board.

Shri Anto Antony 849

(xviii) Regarding stoppages of trains in Arakkonam Parliamentary Constituency.

Shri S. Jagathrakshakan 850

(xix) Regarding upgradation of Tirunelveli Railway Junction in Tamil Nadu.

Shri S. Gnanathiraviam 851

(xx) Regarding road project near Tirupati West Railway Station.

Shri N. Reddeppa 852

(xxi) Regarding construction of an EPF office at Jangipur in Murshidabad district in West Bengal.

Shri Khalilur Rahaman 853

(xxii) Need to construct a new building in place of dilapidated building at Thane Railway Station.

Shri Rajan Baburao Vichare 854

(xxiii) Need to implement “One Nation One Power Tariff” policy in the country.

Shri Kaushalendra Kumar 855

(xxiv) Regarding appointment of security guards in ATM booths of Banks.

Shri K. Subbarayan 856

(xxv) Regarding provision of immigration facilities at Kollam Port.

Shri N.K. Premachandran 857

(xxvi) Regarding access of advanced medical technology for patients suffering from heart valve disease.

Dr. Lorho Pfoze 858-859

DISCUSSION UNDER RULE 193

Problem of drug abuse in the country and steps taken by the Government thereon 860-1004

Shrimati Harsimrat Kaur Badal 860-871

Dr. Satya Pal Singh 872-882

Shri Gurjeet Singh Aujla 883-893

Dr. Kalanidhi Veeraswamy 893-897

Shri Kalyan Banerjee 897-903

Shri P.V. Midhun Reddy 903-909

Shri Mahabali Singh 910-913

Shrimati Supriya Sadanand Sule 914-919

Prof. Achyutananda Samanta 920-923

Kunwar Danish Ali	924-928
Shri Vinayak Bhaurao Raut	929-931
Shri Hibi Eden	932-935
Shri Vishnu Dayal Ram	936-941
Shri Prince Raj	942-944
Shri Hasnain Masoodi	945-948
Shri E.T. Mohammed Basheer	949-951
Shri Gopal Shetty	952-957
Shri Santokh Singh Chaudhary	957-960
Shri B.B. Patil	961-963
Shri Asaduddin Owaisi	964-970
Shri Badruddin Ajmal	971-974
Shri Hanuman Beniwal	975-979
Shrimati Navneet Ravi Rana	979-983
Shri Ram Kripal Yadav	984-989
Shri Jasbir Singh Gill	990-992
Shri Thomas Chazhikadan	993-995
Shri S. Venkatesan	996-997
Sardar Simaranjit Singh Mann	999-1000
Shri Tejasvi Surya	1001-1004

[*]ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 923

Member-wise Index to Unstarred Questions 924-929

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 930

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 931

[*] Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, December 20, 2022/ Agrahayana 29, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नं. 181 – डॉ. जयंत कुमार रॉय।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नोटिस दीजिए।

… (व्यवधान)

(Q. 181)

DR. JAYANTA KUMAR ROY: Sir, my supplementary question is whether the Ministry has conducted any study of impact assessment among the students following the withdrawal of pre-matric scholarship. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Dr. Jayanta Kumar Roy.

… (व्यवधान)

DR. JAYANTA KUMAR ROY: Sir, my supplementary question is whether the Ministry has conducted any study of impact assessment among the students following the withdrawal of pre-matric scholarship. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। प्रश्नकाल के बाद अपनी बात कहें।

… (व्यवधान)

SHRI A. NARAYANASWAMY: As per the study report, one of the main reasons is … (*Interruptions*) implementation of recommendation of the 15th Finance Commission … (*Interruptions*) For 2021-22 to 2025-26 … (*Interruptions*) major changes … (*Interruptions*) were allowed in the pre-matric scholarship. … (*Interruptions*)

DR. JAYANTA KUMAR ROY: My another question is how it impacted the enrolment and attendance of those students, following the withdrawal of scholarship among them. … (*Interruptions*)

SHRI A. NARAYANASWAMY: In the pre-matric scholarship, we made so many changes. We made the scholarship on the DBT model. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होते। अभी प्रश्नकाल चल रहा है।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ओबीसी की जो संशोधित छात्रवृत्ति है, इस छात्रवृत्ति के लागू होने के बाद जो आरटीआई अधिनियम है, उसमें पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है।… (व्यवधान) हमारे जो ओबीसी के छात्र हैं, इस अवधि में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है।… (व्यवधान) अगर हम वर्ष 2019-20 के आंकड़े देखें तो 10,16,82,222 छात्र एनरोल हुए थे, वहीं वर्ष 2021-22 में 11,10,57,666 विद्यार्थियों का एनरोलमेंट हुआ है।… (व्यवधान) इस तरह से छात्रवृत्ति में जो संशोधन हुआ है, उसमें ओबीसी के छात्रों की संख्या में, एनरोलमेंट में वृद्धि हुई है।… (व्यवधान)

DR. JAYANTA KUMAR ROY: Sir, my second question is this. How would the budget which was allocated earlier for their upliftment, particularly in promoting their education, be used under the New Education Policy? … (*Interruptions*)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि कैसे उपयोग किया जाए? … (व्यवधान) मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, लेकिन 9वीं, 10वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।… (व्यवधान) उस छात्रवृत्ति की राशि में भी वृद्धि की गई है।… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अर्जुन राम मेघवाल**): महोदय, इन्हें माफी माँगनी चाहिए।… (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : माफी माँगो।… (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय: महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।… (व्यवधान)

महोदय, इस उत्तर में बताया गया है कि जब यह योजना शुरू हुई थी, उस समय केन्द्र 100 प्रतिशत फंडिंग देता था।… (व्यवधान) उसके बाद से वर्ष 2019-20 से 60:40 का रेश्यो हुआ।… (व्यवधान) उसकी वजह से जो 843 करोड़ रुपये की फंडिंग थी, वह 60 परसेंट गिरकर 355 करोड़ रुपये पर आ गई।… (व्यवधान) इसकी वजह से एससी, एसटी के 15 परसेंट लाभार्थी इस योजना से छूटे जा रहे हैं।… (व्यवधान) मेरा प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें यह देखने को मिल रहा है कि केवीपीवाई और माइनोरिटीज की पीएचडी की जो स्कॉलरशिप्स हैं, उनमें निरन्तर कटौती की जा रही है।… (व्यवधान) क्या सरकार एससी, एसटी और माइनोरिटीज की शिक्षा के लिए, उनकी पीएचडीज के लिए ताकि एससी-एसटी शिक्षित हों आदि के लिए बजट घटाकर यह दिखा रही है कि सरकार के पास उनके लिए पैसा नहीं है और सरकार एससी-एसटी को पढ़ने नहीं देना चाहती है।… (व्यवधान) माइनोरिटीज को पढ़ने नहीं देना चाहती।… (व्यवधान) यदि सरकार के

पास धन है तो उस धन का आवंटन किया जाए और इसको कम न किया जाए।... (व्यवधान) यह मेरा पहला प्रश्न है।... (व्यवधान)

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यूनिफॉर्म, किताब, साइकिल, जूता, मौजा आदि देने के बावजूद...

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही साढ़े ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.08 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

11. 30 hrs.

The Lok Sabha reassembled at Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

(Hon.Speaker *in the Chair*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS….contd.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न किया गया था ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह उत्तर माननीय रितेश पांडेय जी वाले प्रश्न का है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : सर, माननीय रितेश पांडेय जी के द्वारा प्रश्न किया गया था। उन्होंने अपनी जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में एससी का प्री-मैट्रिक का जो कुल खर्च था, वह 115.64 करोड़ रुपये था। वर्ष 2019-20 में फंडिंग पैटर्न में बदलाव आया। उसमें 60:40 का रेशियो आया। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10 का और यूनियन टेरिटरी के लिए 100 परसेंट का आया। उसके बाद वर्ष 2019-20 का जो खर्च आया, वह 352.70 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 569.03 करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 में 570 करोड़ रुपये आया, यानी पाँच गुना खर्च बढ़ा है। इसी तरह से ओबीसी का भी वर्ष 2021 में 250 करोड़ रुपये का बजट था, जो वर्ष 2022-23 में 478 करोड़ रुपये हुआ है। माननीय सदस्य ने एससी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 125 एससी के छात्रों का इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से मेरिट के आधार पर चयन होता है, जिनको वहां पर डिग्री, डिप्लोमा कोर्स करने के लिए शासन के द्वारा पूरी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

श्री रितेश पाण्डेय: सर**,** मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहता हूं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रितेश जी**,** नो सप्लीमेंट्री।

… (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Thank you, hon. Speaker, Sir.

The decision of the Government to revoke Pre-Matric Scholarship for students is an arbitrary decision that goes against the spirit of the Constitution and right to access for education. The move will hurt and jeopardize lakhs of students who depend on this Scholarship for support. Most importantly, the decision is negating and rejecting the principles of reservation and access to inclusion, which is a Constitutionally-mandated right of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

By attempting to dilute the rights of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe children to get Pre-Matric Scholarship -- through a Departmental decision -- is an open challenge against the Preamble of the Constitution itself. I would like to ask this, through you, Sir, from the hon. Minister. Will the Government reconsider this decision and grant Pre-Matric Scholarship to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students, which is their Constitutional right?

SHRI A. NARAYANASWAMY: Hon. Speaker, this Scholarship Scheme was introduced in 1998. After this Scholarship was revised and introduced in 2013, there was no scholarship for the SCs and STs from Classes 1 to 8. This question was not raised for the past 10 years.

Now, the Prime Minister has taken a decision to solve this problem, and all the students have to get the Scholarship by DBT model. We use

technology, digital transfer, etc. and 90 per cent of the students are getting scholarship from the Department.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 182 – श्री सुनील कुमार सिंह।

(Q. 182)

श्री सुनील कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही विस्तार से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में सदन में जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निधियां जारी कर दी जाती हैं, परन्तु राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं करती है। माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट है कि झारखंड सरकार को केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं की राशि जारी की है, परन्तु झारखंड सरकार इसका उपयोग नहीं कर रही है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन में वर्ष 2019-20 में 4 करोड़ रुपये से अधिक दिए गए, लेकिन खर्च नहीं किए गए। पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण में लगभग 38 करोड़ रुपये दिए गए, लेकिन व्यय शून्य है। एनएडीसीपी में 11.5 करोड़ रुपये दिए गए, जिसमें मात्र 5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी सरकारें जो गरीबों की रहनुमा बनती हैं और जो झारखण्ड में ...* की सरकार चल रही है, यह सरकार अगर किसानों का, पशुपालकों का कल्याण न करना चाहे तो क्या भारत सरकार इन राज्यों के किसानों को और पशुपालकों को कोई सीधे लाभ पहुंचाने की योजना पर क्या विचार करेगी?

डॉ. संजीव कुमार बालियान : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह बिल्कुल सच है। कई प्रदेश सरकारों की ऐसी हालत है, जिसमें झारखण्ड भी शामिल है। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है, जिसका पूरा यूटिलाइज़ेशन किया गया हो। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22 तक के पैसे अभी तक रुके हुए हैं। इस साल, इसी वजह से, झारखण्ड को फंड जारी नहीं कर पाए हैं। चूंकि यह प्रदेश का विषय है तो समस्याएं भी हैं, डायरेक्ट काम करने की समस्याएं हैं, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचा प्रदेश सरकार का है। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें हम जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो किसान

---

* Expunged as ordered by the Chair.

हैं, उनको हम डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। जैसे ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स की स्कीम है, चाहे वह गाय का फार्म हो, चाहे वह भेड़ का हो, बकरी का हो, स्वाइन का हो या और इस तरह की जितनी भी ब्रीड्स हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन फार्म्स हैं, उनमें 50 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। जैसे डेयरी फार्म कोई खोलना चाहता है तो 4 करोड़ रुपये उसकी कीमत होगी तो 2 करोड़ रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार सीधे देगी। उसमें प्रदेश सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है। इस तरह से शीप एण्ड गोट का कोई फार्म खोलना चाहता है तो 1 करोड़ रुपये का फार्म होगा, जिसमें 50 लाख रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसी तरीके से सूअर का 1 करोड़ रुपये का फार्म होगा, 50-60 लाख रुपये का फार्म होगा, तो 30 लाख की सब्सिडी डायरेक्ट केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा करीब 236 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के लिए झारखण्ड सरकार को 37 करोड़ 76 लाख रुपये दिए गए थे। आज 6 महीने हो चुके हैं। 16.5 लाख रुपये एक मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए दिए गए थे, लेकिन 6 महीने बाद भी एक भी मोबाइल वेटनरी यूनिट जमीन पर नहीं आ पाई है।

अब समस्या है **कि** इसके बाद इन्हें चलाने का खर्च भी करीब 18 लाख रुपये एक साल का होगा। उसमें से 60 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार देगी और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। उससे रोजगार भी पैदा होंगे और किसान के द्वार पर जा कर इलाज भी होगा। लेकिन बिना प्रदेश सरकार के सहयोग के हमारी एक सीमा है, जहां से हम आगे नहीं जा सकते हैं।

श्री सुनील कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, आज देश में दूध का उत्पादन बढ़ा है। परंतु झारखण्ड जैसे राज्य में दूध के उत्पादन के बावजूद भी दूध की कमी है। डेयरी विकास की विभिन्न योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, परंतु झारखण्ड राज्य में डेयरी विकास का कोई कदम नहीं उठाया गया है। जैसे गोड्डा में ही ठाकुरगंती में 3 करोड़ रुपये दिए हुए 3 साल हो गए हैं। मेरे क्षेत्र चतरा की 2 जगहों – इंटफोरी और हंटरगंज में खुलना था, लेकिन आज तक वहां जो डेयरी काम भी कर रही है, वह भी किसानों को ठीक से पैसा नहीं देती है, जैसे कि मेधा डेयरी है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए क्या किसी निजी संस्था या व्यक्तियों को किसी प्रकार का सहयोग देने की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है?

डॉ. संजीव कुमार बालियान : महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि झारखण्ड में कोऑपरेटिव्स बीमार थीं। एनडीडीबी को इसका मैनेजमेंट अब दिया गया है। वह प्रयास कर रही है कि कुछ बेहतर हो। तीन नए प्लांट्स अभी बने हैं – साहबगंज, पालमोड़ और देवघर में। जो समस्या गोड्डा की थी, निशिकांत दुबे जी यहां पर हैं, शायद ही कोई सांसद इतना प्रयास अपने क्षेत्र के लिए करता होगा, जितना इन्होंने किया है। इनके कहने के बाद मैंने एनडीडीबी के सदस्यों को बुलाया था और जब प्रदेश काम नहीं कर रहा है तो मैंने कहा है कि उस जिले के लिए अलग से फंड एनडीडीबी डायरेक्ट मांगे। … (व्यवधान) आप उनके सवाल पूछेंगे तो मैं उनके भी जवाब ईमानदारी से दूंगा। आप इस बात पर निश्चिंत रहिए। … (व्यवधान) जो जवाब होगा, वह ईमानदारी से होगा। … (व्यवधान) अभी यह स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। … (व्यवधान) आप बीजेपी रूल्ड स्टेट के बारे में पूछिए, तब उनके बारे में बताया जाएगा। … (व्यवधान)

महोदय, एनडीडीबी को कहा गया है कि हर जनपद में कुछ नए प्रोजेक्ट्स, अभी एनडीपी सैकेंड फेज़ के प्रपोजल पर वर्ल्ड बैंक से इसके बारे में बातचीत चल रही है। जब एनडीबी सैकेंड आएगा तो जैसे एनडीबी फर्स्ट में पैसा दिया गया था, एनडीबी सैकेंड में किसी भी संसद सदस्य के क्षेत्र में अगर कोई कार्य होगा, तो एनडीडीबी के द्वारा वह काम करवाया जाएगा।

श्री देवजी पटेल: अध्यक्ष महोदय, जो पशुपालन हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आपको भी ज्ञात होगा कि किसान रात भर पहारा देते हैं और अपनी फसल बचाते हैं। यह आवारा पशु का विषय आता है। किसान जिस गाय को घर में बांधता है, दूध देने के बाद उसको छोड़ देता है। आजकल संकर नस्ल की जो गाय है, उसके जो बुल है, वह इतने ताकतवर होते हैं, ब्लैक कलर के होने के कारण एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न है कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे अभी मंत्री महोदय ने बहुत अच्छे से एक सवाल का जवाब दिया। लेकिन, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। राजस्थान के अंदर भी एक समस्या है कि हमारे यहाँ जो सरस का दूध है, हम 20 हजार लीटर दूध लेते हैं और बनास डेयरी में दूध भरवा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बनास डेयरी में हम तीन लाख लीटर दूध दे रहे हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर सरस का जो कोऑपरेटिव सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को ठीक करके और बनास जैसा बनाकर, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, क्या वहीं पर ईकाई खड़ी कर सकते हैं**?**

डॉ. संजीव कुमार बालियान: महोदय, माननीय सदस्य के दो सवाल हैं। एक सवाल आवारा पशुओं के बारे में है। यह वाकई एक समस्या है। अब आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि यह हर प्रदेश की समस्या है, सिर्फ कांग्रेस रूल्ड स्टेट की नहीं है। यह हमारे रूल्ड स्टेटस की भी समस्या है। इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके समाधान के लिए हम प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

जहाँ तक माननीय सदस्य ने डेयरी कोऑपरेटिव की बात की, राजस्थान के कुछ जिलों में कोऑपरेटिव बहुत अच्छा काम कर रही है और केंद्र सरकार से उन्हें लगातार सहयोग भी मिलता है। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स में समस्या है, तो हमारे पास एक ही माध्यम है कि एनडीडीबी को उनका मैनेजमेंट दे दिया जाए। अगर प्रदेश सरकार से किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के बारे में यह बात आएगी कि यहाँ कोऑपरेटिव फेल है तो हम एनडीडीबी के माध्यम से मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनवा सकते हैं या कोऑपरेटिव का मैनेजमेंट डायरेक्ट एनडीडीबी को दिया जा सकता है। अगर सांसद महोदय प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करें तो वहाँ यह काम हो सकता है।

*__SHRI RAVNEET SINGH__: Thank you, Sir. The Hon. Minister knows about Punjab, Haryana and the concerned part of U.P. People are always ready in this area with sticks. The animals too are special in nature.

Sir, if I talk about buffalos in Punjab, you should provide us breeders. Our buffalos in Punjab give 8.5 litres milk daily. Other buffalos in India give 6 litres milk daily. Even if we talk about goats… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप आपस में बातचीत न करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

… (व्यवधान)

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

*__SHRI RAVNEET SINGH:__ Sir, just a minute, the goat in Punjab gives 5 litres, 150 gram milk in Punjab. In other areas of India, goat gives hardly 1 litre milk. You should visit our universities… (*Interruptions*)

Sir, this is the data available. I am not giving these figures. So, breeder support and seed support should be given to us. Lastly, the money you provided… (*Interruptions*)

Sir, hon. Minister Sir wants to reply. Their party has lost in Himachal. Still, they are not sitting peacefully… (*Interruptions*)

डॉ. संजीव कुमार बालियान: महोदय, माननीय सदस्य का सवाल पूरा नहीं हो पाया है। इनका कहना ठीक है कि पंजाब में ऐसी भी बकरी है, जो पाँच लीटर तक दूध देती है। यह खुशी की बात है कि बकरी किसान के पास है। सरकारी बकरी के बजाय किसान की बकरी ज्यादा दूध देती है। मैंने पहले भी बताया है कि ब्रीडिंग फार्म्स की स्कीम लायी गई है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या सरकार की भी बकरी होती है?

… (व्यवधान)

डॉ. संजीव कुमार बालियान: महोदय, पंजाब सरकार की बकरी से ज्यादा दूध वहाँ के किसान की बकरी देती है। वहाँ बकरी का ब्रीडिंग फार्म हो या बफैलो का ब्रीडिंग फार्म हो, अब यह हमने डायरेक्ट किसान के लिए कर दिया है। अगर किसी युनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को भी ब्रीडिंग फार्म्स के लिए पैसे चाहिए, तो आप प्रपोजल भिजवाइए। आपका प्रपोजल एक महीने के अंदर यहाँ से पास होगा, आप निश्चिंत रहें।

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 183,

श्री तेजस्वी सूर्या ।

(Q.183)

श्री तेजस्वी सूर्या: सर, साइबर क्राइम्स आजकल बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम्स इनवेस्टिगेशन में जो रीजनल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन आफिसर्स होते हैं, उनको यह दिक्कत होती है कि अलग-अलग जूरिस्डिक्शंस में यह क्राइम एक्सटेंड होता है। Multiple jurisdictions involve international jurisdictions also. So, when there is an FIR filed say in Karnataka, the crime may have taken place in Karnataka but the multinational company may not have its headquarters in India. इससे इन्वेस्टिगेशन आफिसर्स को केस पर्स्यू करने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे मंत्री जी से पूछना है कि is the Government of India considering bringing in any legislation with the consultation of international agencies so that investigation and conviction of these crimes can be more effective?

I now come to the second part of my question. The written answer talks about I4C, which is a very good initiative. But what is the conviction rate? जितनी कंप्लेंट्स साइबर क्राइम्स की रजिस्टर हो चुकी हैं और जितने कन्विक्शन हो चुके हैं, इसके बारे में मंत्री जी ध्यान दें, यह मेरा निवेदन है।

श्री अजय मिश्र टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, साइबर स्पेस आजकल सीमाहीन हो गया है। जिस तरह से इंटरनेट सस्ता है, लोगों की उपयोगिता बढ़ी है और किसी तरह का अभी कानूनी हस्तक्षेप विधिवत साइबर स्पेस पर नहीं है। इसकी वजह से अधिक उपयोग करने के कारण साइबर क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ी हैं। जहां एक तरफ इसके सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं, वहीं तकनीकी खामियों का, कुछ कानूनी खामियों का और बार्डरलेस होने के कारण अलग-अलग तरह से अपराधी भी

इसका टेक्निक से उपयोग कर रहे हैं। इसमें कई जगह पर प्राइवेट इंटरनेट की सुविधा भी अपराधी लेते हैं। इस वजह से उन पर नियंत्रण स्थापित करना थोड़ा कठिन होता है। भारत का जो संविधान है, उसकी सातवीं अनुसूची में साइबर अपराधों के साथ-साथ सभी अपराधों के लिए प्रदेश सरकार की जो हमारी लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, वहां की पुलिस होती है, उसको कार्रवाई करने का अधिकार है। हम वहां पर सूचना देते हैं और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके वहां पर इनवेस्टिगेशन और उसके बाद प्रोसीक्यूशन के माध्यम से, जो भी परिणाम कोर्ट में आते हैं, उसके लिए वह उत्तरदायी है। चूंकि यह बार्डरलेस है और इस तरह की स्थिति बन गई है कि इसमें चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। निश्चित रूप से, यह अधिकतम बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती विश्व के सामने उपस्थित होने वाली है। इस दृष्टि से गृह मंत्रालय ने इस पर चर्चा की और वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद वर्ष 2015 में हमने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, हमने प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करना और उसके साथ-साथ देश के बाहर भी अगर कोई अपराध होता है, तो उसके साथ भी हम समन्वय स्थापित कर पायें, इसके लिए हमने आई4सी बनाया। जैसा आपने कहा कि कर्नाटक में कोई अपराध होता है, तो यह वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती थी।

आई4सी कोआर्डिनेशन का ही मुख्य रूप से काम करता है। हमने अलग-अलग 7 क्षेत्रों में अपने देश को बांटा है। 7 क्षेत्रों के लिए हमने 7 टीमें बनाई हैं। इसमें मेवात एक सेंटर बनाया गया है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा हैं। जामतारा में झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। अहमदाबाद में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र हैं। हैदराबाद क्षेत्र में तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा आते हैं। पांचवां चंडीगढ़ है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र हैं, पंजाब और हिमाचल हैं। ऐसे अलग-अलग हमने बांटे हैं। छठा विशाखपत्तनम है और सातवां गुवाहाटी है। माननीय सदस्य ने कन्विक्शन रेट के विषय में पूछा है। मैंने शुरुआत में कहा है कि लोक व्यवस्था और संविधान की

अनुसूची के अनुरूप इसमें प्रदेश की सरकारों को ही निर्णय करना होता है। वही वहां पर जाकर जो कोर्ट में आदेश होता है, उसकी उनको जानकारी होती है।

श्री तेजस्वी सूर्या: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जिस आई 4 सी के बारे में उल्लेख किया है, वह अलग-अलग रीजनल सेंटर्स में है। हर स्टेट में एक आई 4 सी का यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। क्या आई 4 सी हर रीजनल सेंटर से बढ़ाकर स्टेट लेवल तक ले जाने की कुछ योजना है, यदि है तो उसके बारे में बताएं?

श्री अजय मिश्र टेनी: अध्यक्ष महोदय, आई 4 सी प्रमुख रूप से, गृह मंत्रालय ने, हमारी चुनौतियों को देखते हुए प्रदेशों के साथ समन्वय बनाने के लिए किया है। उसके लिए देश को जोन्स में बांटकर टीमें बनाई गई हैं। आई 4 सी के अंतर्गत जहां प्रदेशों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, पुलिस मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से थानों में साइबर उपकरण खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं।

इसके साथ-साथ उनके अधिकारियों का प्रशिक्षण एनसीआरबी के माध्यम से करा रहे हैं। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अलग से फंड बनाया है। आई 4 सी के माध्यम से राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण यूनिट बनाई गई है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिर्पोटिंग पोर्टल है, राष्ट्रीय साइबर अपराध इको-सिस्टम प्रबंधन यूनिट है, संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीम है, राष्ट्रीय साइबर अपराध के लिए 542 फॉरेन्सिक प्रयोगशालाएं भी बनाई गई है। इसके अलावा हम लोगों को वॉलंटियर्स के तैयार पर भी कर रहे हैं। हमने अहमदाबाद में फॉरेन्सिक से संबंधित एक यूनिवर्सिटी भी बनाई है, जिसमें फॉरेन्सिक से संबंधित 9 कोर्स चला रहे हैं। जिसके प्रशिक्षण के माध्यम से मानव बल की उपयोगिता है, उसके सापेक्ष हमको मानव बल उपलब्ध हो सकेगा।

SHRI PRATHAP SIMHA: Thank you, Speaker, Sir. I have a similar question. By its very nature, cybercrimes involve cross-border transactions. But the

authorities who are dealing with these kinds of crimes are under the control of respective State Governments. So, it is very difficult for the authorities to apprehend the fraudsters who are impersonating identities and committing crimes. So, my question to the hon. Home Minister is this. What measures have been taken by the Government to help policemen tackling cybercrimes, and how many such personnel have been trained so far?

श्री अजय मिश्र टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरूआत में ही कहा कि यह विषय प्रदेशों का है, माननीय सदस्य ने इसे स्वीकार भी किया है । लेकिन जहां तक गृह मंत्रालय की बात है, गृह मंत्रालय ने इस पर कई इनिशिएटिव्स लिए हैं । वर्ष 2014 में एक कमेटी बनाई गई थी । हमने अलग से दो डिविजन भी बनाये हैं । सीआईएस और महिला सुरक्षा के लिए डिविजन बनाये हैं और उन दोनों डिविजनों के माध्यम से प्रदेशों को जहां एक ताकत देने का काम किया है, वहीं अलग-अलग तरीके से हमारा यह भी प्रयास रहा है कि केन्द्र सरकार में एडवाइजरी और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से संघ और राज्य क्षेत्रों की क्षमता वृद्धि के साथ एडवाइजरी देने का काम भी कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बहुत लम्बा जवाब दे रहे हैं । आप कल्याण बनर्जी का जवाब देना ।

श्री कल्याण बनर्जी ।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, it is an undisputed fact that everyday there is a sharp increase in cybercrimes all over India. Forget about all over India, it is going beyond India also. To my mind, what I have seen is that proper training has not been given in any of the States to any of the officers. Even at the Central level, there are no properly trained officers to detect cybercrimes. Apart from that, there is a failure to make prosecutors in cybercrimes and specialists in cybercrimes. That is a great difficulty that we are having. That is the reason why prosecution is not going on; conviction is not being made, and it is not being detected. My question to the hon. Minister is this. I would like to know whether the Central Government is thinking to provide appropriate training to the police officers either in the States or at the Centre, at whichever levels they are there, to detect cybercrimes.

श्री अजय मिश्र टेनी: अध्यक्ष महोदय, सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, मैंने पहले ही कहा कि यह स्टेट का विषय है, हम स्टेट को प्रत्येक तरह से सहायता देते हैं। हमने आई **4** सी के रूप में देश के स्तर पर साइबर क्राइम में समन्वय के लिए एक सेंटर स्थापित किया है। अगर स्टेट आई **4** सी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम आर्थिक मदद भी करते हैं और प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं। जहां तक गृह मंत्रालय का संबंध है, मैं बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने दो डिविजन बनाने के साथ ही महिला सुरक्षा के लिए कई ऐसे पोर्टल बनाए हैं और प्रदेशों में नोडल अधिकारी भी बनाये हैं। वही प्रदेश के अधिकारी को भी साइबर अधिकारी बनाया गया है।

माननीय अध्यक्ष: आप देश के सभी लोगों को बताएं कि ऑनलाइन सिस्टम है, जिस पर आप नंबर दें ताकि कोई भी फ्रॉड हो तो पता चल जाए। यह सबको बता दें।

… (व्यवधान)

श्री अजय मिश्र टेनी: महोदय,1930 नंबर है, साइबर क्राइम पोर्टल है और इसके साथ प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के तहत गृह मंत्रालय प्रशिक्षण देने का काम करता है, जिसमें प्रदेश के 27900 अधिकारियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 7300 लोगों को अभी तक सर्टिफिकेट दे चुके हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सबसे बड़े अस्पताल एम्स में साइबर अटैक के चलते बहुत डाटा लुट चुका है। इसके तार चीन से जुड़े हुए हैं, हांगकांग से जुड़े हुए हैं। अब तक जो तफ्तीश हुई है, उस तफ्तीश का नतीजा क्या निकला है**?** इस तरीके के साइबर अटैक रोकने के लिए डिजिटल इंडिया की बड़ी तरफदारी करने वाली सरकार क्या कर रही है?

श्री अजय मिश्र टेनी: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सूचना और कम्प्यूटर सिस्टम का एम्स द्वारा स्वयं प्रबंध किया जाता है। दिनांक 23.11.2022 को जब साइबर सुरक्षा की घटना हुई। उन्होंने हमें सूचना दी। भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन कार्रवाई टीम ने घटना का मूल्यांकन किया, प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार अनुचित नैटवर्क विभाजन के कारण अज्ञात खतरे वाले तत्वों द्वारा एम्स में इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी नैटवर्क के सर्वर में छेड़छाड़ की गई थी, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। सीईआरटी और अन्य हितधारक संस्थाओं ने, जो इसमें आवश्यक रेमडी चाहिए, उसके उपायों की सलाह भी दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने साइबर हमले की घटना के संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ में प्राथमिकी संख्या 349/22 दर्ज कराई है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कानून के तहत, जो उपलब्ध साइबर क्राइम कानून हैं, के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 184,

श्री बैन्नी बेहनन ।

(Q. 184)

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, earlier, the attendance of the MGNREGA workers was marked by the 'mate' in the muster role sheet kept at the worksite. But now the system has been changed. A new software, known as NMMS, has been developed. The poor rural workers have no technical knowledge to handle this app-based attendance, and they are facing difficulties in marking attendance in NMMS software. Most of the works under MGNREGS are taken up in rural areas which have no Internet coverage. This vicious circle results in workers losing their wages. I would like to know from the Government whether it will make arrangements to bring about a change in the present attendance system.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सप्लीमेंटरी पूछिए, नहीं तो समय हो जाएगा।

… (व्यवधान)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: माननीय सदस्य ने जैसे इस तकनीक के बारे में कहा है, हम एफटीओ जारी करते हैं, विशेष तौर से बहुत आसान तरीका है। पिछले समय जिस प्रकार की व्यवस्था थी, 1 अप्रैल, 2021 में थी, जो परिस्थितियां अभी निर्मित हुई हैं, खास तौर से एससी, एसटी, अन्य श्रेणी के वर्गों के लिए परियोजना एक है। इसे हम अनुदान देते थे, उसमें थोड़ी विसंगति पेमेंट के विषय को लेकर आई, इसलिए जो व्यवस्था थी, हमने उसे पुन: लागू किया है।

SHRI BENNY BEHANAN: Usually, the vendors are supplying the material components of MGNREGS work. Sometimes, the vendors do not supply the required materials in time. The non-availability of material in time is causing

delay in the payment of wages to the workers. It is ultimately affecting the workers in getting the job opportunities. They are not able to achieve 100 mandays goal. I would like to know whether the Government has any scheme to rectify such a situation.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसे बहुत आसान किया है और मैं कह सकता हूं, जैसे माननीय सदस्य ने इस समय व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा है। 60:40 रेश्यो है, हम जिलों को भी कहते हैं **कि** जो नियम हमने बनाया है इसका पालन होना चाहिए। 60:40 मजदूरी बेसिस पर 60 परसेंट और 40 परसेंट पक्के काम के लिए होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अगर कोई नई व्यवस्था आएगी तो हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे।

12.00hrs.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Hon. Speaker, Sir, I fully support the question posed by Shri Benny Behanan. The problem is that 40 per cent is for the material component. Unfortunately, the payment is not being made. That is why, none of the vendors are now taking up the works. I would like to ask one question to the hon. Minister. It is a demand-driven project. Earlier, the hon. Finance Minister, while replying to the discussions on the SDGs, stated in the Houses that there is no demand. Why is there no demand? It is because there is no scheme.

I would like to know whether the Government would consider cattle workers and traditional industrial workers within the purview of MGNREGA. This is a specific question. Please answer.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए जो कुल सृजित रोजगार हैं और जो मानव दिवस होते हैं, उसके लिए हमने 210 करोड़ रुपये तय किए हैं। कुल मिलाकर जो धनराशि है, वह 63076.68 करोड़ रुपये है। अगर हम पूरा देखेंगे तो 68 हजार करोड़ रुपये हमने जारी किए हैं। … (व्यवधान) इसका मतलब यह हुआ कि जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। अगर वहां की डिमांड है, तो हम उस डिमांड के आधार पर काम करते हैं। इसको मेंटेन करना राज्य और जिले की जिम्मेदारी है। इस प्रकार की यह व्यवस्था है। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो हम जरूर इसके बारे में आगे काम करेंगे। … (व्यवधान)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 185 to 200
Unstarred Question Nos. 2071to 2300)
(Page No. 35-768)

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.01 hrs.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण**,** मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है ।

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Member, I will allow you to speak during the Zero Hour.

… (*Interruptions*)

12.02 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर-2, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): अध्यक्ष महोदय**,** मैं राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्निलखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु के प्रथम परिनियम जो 23 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.724(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, कुंडली, हरियाणा के प्रथम परिनियम जो 23 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.725(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 8030/17/22]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।

(दो) भारी उद्योग मंत्रालय तथा ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।

(तीन) भारी उद्योग मंत्रालय तथा एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 8031/17/22]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8032/17/22]

(ख) (एक) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8033/17/22]

(ग) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8034/17/22]

(घ) (एक) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8035/17/22]

(ङ) (एक) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8036/17/22]

(च) (एक) एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (ग) और (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8037/17/22]

(4) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8038/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) under Section 21(4) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, for the year 2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8039/17/22]

(3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working of the Protection of Civil Rights Act, 1955, for the year ending 31st December, 2021, under sub-section (4) of Section 15A of the Protection of Civil Rights Act, 1955.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 8040/17/22]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (एनिमल ट्रांसपोर्ट), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 जो 21 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 596(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8041/17/22]

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (मेकैनिक मोटर व्हीकल) तकनीकी काडर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 जो 16 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8042/17/22]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8043/17/22]

(5) विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 4670 (अ) से का.आ. 4679(अ), जो 4 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में इम्तियाज अहमद कंडू @ सज्जाद @ फयाज सोपोर, शौकत अहमद शेख @ शौकत मोची, बासित अहमद रेशी, हबीबुल्लाह मलिक @ साजिद जट्ट @ सैफुल्लाह @ नूमी @ नुमान @ लंगड़ा @ अली साजिद @ उस्मान हबीब @ शानी @ बशीर अहमद पीर @ इम्तियाज आलम @ हाजी, इरशाद अहमद @ इदरीस, रफीक नाई @ सुल्तान, जफर इकबाल @ सलीम @ जमालुद्दीन @ शमशेर नाई @ शमशेर खान, बिलाल अहमद बेग @ बाबर, शेख जमील-उर-रहमान @ शेख साहब @ रहमान @ अबी नुसरत @ फयाज अहमद डार के नामों को क्रमशः जोड़ा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8044/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय**,** श्री पंकज चौधरी जी की ओर से**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) (2022 का संख्यांक 19) – कस्टम बाउंडेड वेयर हाऊसेज एण्ड फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन्स के कार्यकरण के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा ।

(ii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वायु सेना और नौसेना के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2022 का संख्यांक 20) ।

(iii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मंत्रालयों/विभागों (अनुपालन लेखापरीक्षा) के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2022 का संख्यांक 21) ।

(iv) 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2022 का संख्यांक 24) - अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां ।

(v) 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2022 का संख्यांक 26) ।

(vi) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुपालन के संबंध में भारत

के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 32) ।

[Placed in Library, See No. LT 8045/17/22]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) वर्ष 2021-2022 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के वित्त लेखे (खंड-I) ।

(ii) वर्ष 2021-2022 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के वित्त लेखे (खंड-II) ।

(iii) वर्ष 2021-2022 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार का विनियोग लेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 8046/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय**,** कुमारी शोभा कारान्दलाजे जी की ओर से**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण)(पाँचवाँ) संशोधन आदेश, 2022 जो 30 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4638(अ) में प्रकाशित हुआ था ।.

(ii) का.आ. 4496(अ) जो 23 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भारत में निर्यात किए गए उर्वरकों के विनिर्देशनों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है ।

(iii) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण)(चौथा संशोधन) आदेश, 2022 जो 27 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

का.आ.4557(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(iv) का.आ. 4252(अ) जो 12 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) आदेश, 1985 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के प्रयोजनार्थ विशेष आदेश के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 8047/17/22]

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2022 जो 27 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3456(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(ii) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 जो 12 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3777(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(iii) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2022 जो 26 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4551(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(iv) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवा संशोधन) आदेश, 2022 जो 13 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4871(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(v) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2022 जो 7 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5167(अ)

में प्रकाशित हुआ था ।

(vi) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2022 जो 21 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5401(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[Placed in Library, See No. LT 8048/17/22]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नरलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 से 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

(ii) जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 से 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8049/17/22]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नरलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8050/17/22]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नबलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8051/17/22]

(2) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3755 (अ), जो 10 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि गोवा और त्रिपुरा की स्थापना राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों के रूप में शामिल होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8052/17/22]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) कंगचुप एरिया ट्राइबल वुमेन सोसाइटी, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) कंगचुप एरिया ट्राइबल वुमेन सोसाइटी, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8053/17/22]

(3)(एक) पीपुल विद हियरिंग इंपेयर्ड नेटवर्क, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) पीपुल विद हियरिंग इंपेयर्ड नेटवर्क, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8054/17/22]

(4)(एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8055/17/22]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 8056/17/22]

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नालिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8057/17/22]

(7) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8058/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Children's Film Society India, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Children's Film Society India, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8059/17/22]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8060/17/22]

12.03hrs.

COMMITTEE ON ESTIMATES

18th to 20th Reports

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्राक्कलन और नीतिगत पहलू' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2022-23) का अठारहवां प्रतिवेदन ।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और कार्य-निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2022-23) का उन्नीसवां प्रतिवेदन ।

(3) 'खेलो इंडिया योजना के कार्य-निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति के आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन ।

12.03½hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

18th Report

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, मैं '2019 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्यांक 5 के आधार पर एनएमडीसी लिमिटेड का प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन' के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.04hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

20th and 21st Reports

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Hon. Speaker, Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2022-23):-

i. Twentieth Report on the subject 'Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Oil Companies and Status of allotment of Petrol and Gas agencies (CNG, PNG, LPG etc.) and other related Agencies/Units to Scheduled Castes and Scheduled Tribes'.

ii. Twenty-first Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Ninth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject 'Study of atrocity cases against Scheduled Castes and Scheduled Tribes with respect to implementation of the Prevention of Atrocities Act, 1989 with special reference to cases related to withholding of pensions and retirement benefits of SC/ST Employees'.

12.05hrs.

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

31st and 32nd Reports

श्री जय प्रकाश (हरदोई) : महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन ।

(2) 'विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा - पूरे देश में प्रशुल्क संरचना में एकरूपता की आवश्यकता विषय के बारे में समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन '(17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन ।

12.05½hrs.

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING

(i) 43rd to 50th Reports

SHRI P. C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing (2022-23):-

(1) 43rd Report on the Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Agriculture (2020-21) on the Subject 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - An Evaluation', pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare).

(2) 44th Report on the Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 41st Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on 'Demands for Grants (2022-23)', pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

(3) 45th Report on the Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Agriculture (2020-21) on the subject 'Status of

Veterinary Services and Availability of Animal Vaccine in the Country', pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying).

(4) 46th Report on the Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on 'Demands for Grants (2022-23)', pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare).

(5) 47th Report on the Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on 'Demands for Grants (2022-23)', pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agricultural Research and Education).

(6) 48th Report on the Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 39th Report of 6 the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on 'Demands for Grants (2022- 23)', pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Fisheries).

(7) 49th Report on the Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 40th Report of the

Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on 'Demands for Grants (2022-23)', pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying).

(8) 50th Report on the Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on 'Demands for Grants (2022-23)', pertaining to the Ministry of Cooperation.

(ii) Statement

SHRI P. C. GADDIGOUDAR : I beg to lay the Statement (Hindi and English versions) showing further Action Taken by the Government on 33rd Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 26th Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Food Processing Industries.

12.06hrs.

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT

38th to 40th Reports

श्री भर्तृहरि महताब (**कटक**) : महोदय, मैं श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों'(2022-23)' के बारे में समिति के तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन ।

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों'(2022-23)' के बारे में समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उनतालीसवां प्रतिवेदन ।

(3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों'(2022-23)' के बारे में समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चालीसवां प्रतिवेदन ।

12.06½hrs.

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

333rd to 336th Reports

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

(1) Three Hundred Thirty-third Report on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in its Three Hundred Eleventh Report on 'Creation of Regulatory Framework for Protection of Historical Sites and Monuments'.

(2) Three Hundred Thirty-fourth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in its Three Hundred Fourteenth Report on Demands for Grants (2022-23) of Ministry of Civil Aviation.

(3) Three Hundred Thirty-fifth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee contained in its Three Hundred Sixteenth Report on Demands for Grants (2022-23) of Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

(4) Three Hundred Thirty-sixth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations of the Committee

contained in its Three Hundred Twenty-second Report on 'Issues related to Security in Civil Aviation Sector'.

12.07hrs.

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(i) 16th Report

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर) : महोदय, मैं 'मेट्रो रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन - एक मूल्यांकन' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

(ii) Statement

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'(मुंगेर) : महोदय, मैं पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि'(पीएम स्वनिधि)' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय - एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

12.07½hrs.

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
18th Report

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा) : महोदय**,** मैं जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अनुदानों की मांगों'(2022-23)' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.08 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 303rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry on Downturn in Automobile Sector - Its Impact and Measures for Revival pertaining to the Ministry of Heavy Industries*

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): महोदय, मैं भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गिरावट - इसका प्रभाव और पुनरुद्धार के उपाय' के बारे में विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 303वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 309th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry on Electric & Hybrid Mobility - Prospects and Challenges in Automobile Industry pertaining to the Ministry of Heavy Industries

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): महोदय, मैं भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गतिशीलता – ऑटोमोबाइल उद्योग में संभावनाएं और चुनौतियां' विषय के बारे में विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 309वें प्रतिवेदन में अतंर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 8027/17/21 and LT 8028/17/21 respectively.

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 314th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 307th Report of the Committee, on Impact of Covid-19 on PSUs and the initiatives taken by PSUs under Atamnirbhar Bharat Abhiyaan pertaining to the Ministry of Heavy Industries*

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): महोदय, मैं भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कोविड-19 का प्रभाव और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उनके द्वारा की गई पहलों के बारे में विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 307वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 314वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Sadhvi Niranjan Jyoti, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 8029/17/21 and LT 8029-A/17/21 respectively.

12.10hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

Coir Board

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नारायण राणे): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि कॅयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ड़) और नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए कॅयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि कॅयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ड़) और नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए कॅयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.11hrs.

MOTION RE: REFERENCE OF MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022 TO JOINT COMMITTEE

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 26, माननीय गृह मंत्री जी ।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य, अर्थात्:-"

1. श्री सी.पी. जोशी

2. श्री जगदम्बिका पाल

3. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल

4. श्रीमती पूनमबेन माडम

5. श्री रामदास तडस

6. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले

7. डॉ. निशिकांत दुबे

8. सुश्री सुनीता दुग्गल

9 श्री बृजेन्द्र सिंह

10. श्रीमती जसकौर मीना

11. श्री राम कृपाल यादव

12. डॉ. ढालसिंह बिसेन

13. श्री सुरेश कोडिकुन्नील

14. श्री मनीश तिवारी

15. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि

16. श्री कल्याण बनर्जी

17. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू

18. श्री हेमन्त पाटिल

19. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी

20. श्री चंद्र शेखर साहू

21. श्री गिरीश चन्द्र

और राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को बजट सत्र, 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगी; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इसके सभापति के रूप में नियुक्त करें ।... (व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): सर, इसमें स्मॉलर पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शामिल करना चाहिए ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है**:**

"कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य, अर्थात्:-"

1. श्री सी.पी. जोशी

2. श्री जगदम्बिका पाल

3. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल

4. श्रीमती पूनमबेन माडम

5. श्री रामदास तडस

6. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले

7. डॉ. निशिकांत दुबे

8. सुश्री सुनीता दुग्गल

9 श्री बृजेन्द्र सिंह

10. श्रीमती जसकौर मीना

11. श्री राम कृपाल यादव

12. डॉ. ढालसिंह बिसेन

13. श्री सुरेश कोडिकुन्नील

14. श्री मनीश तिवारी

15. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि

16. श्री कल्याण बनर्जी

17. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू

18. श्री हेमन्त पाटिल

19. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी

20. श्री चंद्र शेखर साहू

21. श्री गिरीश चन्द्र

और राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को बजट सत्र, 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगी; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इसके सभापति के रूप में नियुक्त करें ।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष : हम सभी स्टेकहोल्डरों को बुलाते हैं । आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी भी सलाह लेंगे, सबकी सलाह लेंगे ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा में श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी, श्री गुरजीत सिंह औजला के नाम से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध है । विषय के महत्व को देखते हुए और कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर बोलने की इच्छा प्रकट की है, उनका सुझाव था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रारूप में ऐसा संभव नहीं है इसलिए मैं सदन की सहमति से सूचीबद्ध इस चर्चा को नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित कर रहा हूँ, ताकि अधिकाधिक सदस्यों को इसमें भाग लेने का अवसर मिले । मुझे आशा है कि इस पर सदन की सहमति होगी और एक सार्थक चर्चा होगी । यह लंच के बाद लिया जाएगा ।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ ।

12.15 hrs.

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Need to protect the status of Sammed Shikharji Jain pilgrim place situated in Jharkhand

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल, श्री मनोज तिवारी जी ।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान झारखण्ड में स्थित जैन समाज के पवित्र तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी के ऊपर आए एक संकट की ओर दिलाना चाहता हूं । झारखण्ड सरकार के एक निर्णय से श्री सम्मेद शिखर जी की शुद्धता और पवित्रता को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है । झारखण्ड सरकार वन्य जीव अभ्यारण्य और इको-फ्रेंडली ज़ोन घोषित करके इस श्री सम्मेद शिखर को एक पिकनिक स्थल बनाना चाहती है ।

12.15 hrs. (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

इससे श्रद्धालुओं को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा । मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस संबंध में एक मांग पत्र श्री दिगम्बर जैन समाज रजिस्टर्ड, नवीन शाहदरा की ओर से मुझे प्राप्त हुआ है । मैं अभी लाल किले के मैदान में एक बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हुआ । जहां यह चिन्ता की बात है, वहीं समाज इससे बहुत मर्माहत है ।

सभापति महोदय, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस निर्णय के तहत मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि की बात की गई है, जो हमारे लिए आश्चर्य का विषय है । यह सदन इस बात की रक्षा करता है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से भी निवेदन है कि देश और दुनिया में जैन समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पवित्र तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की शुद्धता और पवित्रता को

बनाए रखने और उसकी सुरक्षा के लिए स्थिति को पूर्व की तरह बनाए रखना चाहिए । इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए ।

सभापति महोदय, यहां भिन्न-भिन्न काल खण्डों में अनेक तीर्थंकर, ऋषि, मुनि और महापुरुष, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धान्तों को समझा, उनकी वैज्ञानिक समालोचना की, उनको अपनाया और आगे बढ़ाया । इसलिए श्री सम्मेद शिखर जी की रक्षा की जाए और इसमें हस्तक्षेप किया जाए ।

संस्कृति मंत्री; **पर्यटन मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** (**श्री जी**. **किशन रेड्डी**): सभापति जी, झारखण्ड में जैन समाज के स्थान को टूरिज्म के दृष्टिकोण से झारखण्ड सरकार ने जो घोषणा की है, उसके बारे में हम झारखण्ड सरकार से बातचीत कर रहे हैं । भारत सरकार की ओर से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमने कोई घोषणा नहीं की है । हम सभी वर्गों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मान्यता देते हैं और उनकी रेसपेक्ट करते हैं । माननीय सदस्य ने जो बात कही है, हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि इस विषय पर देश भर में बड़ा आन्दोलन चल रहा है । मैं आपकी अनुमति से यह बताना चाहता हूं ।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति जी, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ में एचपीसीएल का डिपो, जो वर्ष 2000 में बन्द कर दिया गया था, उसकी तरफ दिलाना चाहूंगा ।

सभापति जी, पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल अगर कहीं है तो वह आज मेरे लोक सभा क्षेत्र श्री गंगानगर में है । वहां आज पेट्रोल का भाव 114 रुपये और डीजल का भाव 99 रुपये है । हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल अगर कहीं है तो वह मेरे लोक सभा क्षेत्र श्री गंगानगर में है । पंजाब में पेट्रोल का भाव 97 रुपये और डीजल का भाव 86 रुपये है, क्योंकि वहां वैट का फर्क है । पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट अगर कहीं है तो वह 31.4 प्रतिशत वैट राजस्थान में है और पंजाब में उस पर वैट 13 प्रतिशत है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपने विषय बदल दिया है ।

श्री निहाल चन्द चौहान : सभापति जी, मैंने विषय चेंज करवाया है ।

पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा वैट अगर कहीं है तो वह 31.4 प्रतिशत वैट राजस्थान में है । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि जब पड़ोसी राज्यों मे पेट्रोल और डीजल के भाव कम हों और एक राज्य में इनके भाव ज्यादा हों तो उस स्टेट की क्या हालत होगी, वहां के किसानों की क्या हालत होती होगी, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है । पड़ोसी राज्यों की तुलना में हमारे यहां पेट्रोल और डीजल के भाव में 17 रुपये प्रति लीटर का अंतर है ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राजस्थान में जो 31.4 प्रतिशत वैट है, उसको घटाने की व्यवस्था की जाए । मेरे लोक सभा क्षेत्र के हनुमानगढ़ में एचपीसीएल का जो डिपो बन्द किया गया था, वह शहर के बिल्कुल बाहर है, फिर भी उसे बन्द कर दिया गया था, उसे पुन: चालू कराया जाए ।

मैं केन्द्र सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि पेट्रोल और डीजल के भाव में तब समानता होगी, जब वह जीएसटी में शामिल होगा तो केन्द्र सरकार उसको जीएसटी में शामिल करने की भी कार्रवाई करे । धन्यवाद ।

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम) : सभापति जी, धन्यवाद । मैं प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं कि 'प्रधान मंत्री आवास योजना' जो वर्ष 2022 तक थी, उसे वर्ष 2024 तक बढ़ाया गया है । 'प्रधान मंत्री आवास योजना' गरीबों के लिए है और जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उनके लिए है । वैसे भी हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान तो गरीबों के लिए मकान देना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन उसमें थोड़ा तफावत है । जो राशि हम 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत शहरों में देते हैं, वह 2 लाख 67 हजार रुपये है और ग्रामीण क्षेत्र में यह राशि 1 लाख 30 हजार रुपये है । मैंने मंत्री जी को लिखा था कि जो यह तफावत है, उसे हटाया जाए और ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरों में एक जैसी राशि के मकान बनें और पक्के मकान बनें, क्योंकि मोदी जी की सरकार है तो सब मुमकिन है । मैं चाहती हूं कि जो हमारा ध्यान गरीबों के ऊपर है, हम उसको और अच्छे तरीके से देखें और उनको फण्ड का आबंटन करें ।

सर, मैं इसमें एक बात और बताना चाहती हूं कि एससी/एसटी के लिए तो आवास भरपूर संख्या में दिए जा रहे हैं, लेकिन करीब 50 परसेंट लोग ओबीसी में हैं । ओबीसी के लोगों का जो कोटा है, उसके लिए राज्य सरकारों को लिखकर उस कोटे में बढ़ोतरी करनी चाहिए । यह आपके माध्यम से मेरी मांग है । हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो नगर पंचायत के रिजल्ट्स आए हैं, देवेंद्र सरकार और शिंदे सरकार में हमारी संख्या बढ़ी है । हमें वहां पर बहुमत मिला है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ी है । मैं चाहती हूं कि इसको अच्छे तरीके से लागू किया जाए । इसका समय बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें जो राशि है, उस राशि को भी बढ़ाया जाए । मैं आपके माध्यम से यह मांग करती हूं ।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार की राज्य सरकार को सूचना दी है कि छपरा में जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं, उनकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा । यह राष्ट्रीय मानवाधिकार का मामला कहां से आ गया? जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए । … (व्यवधान) अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है तो वह कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है, मोरबी में पुल से 142 लोग मर गए, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? … (व्यवधान) इसलिए यह संवैधानिक संस्थाओं का…. … (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री टी. आर. बालू जी ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं । मुद्रास्फीति के कारण पूरे हिंदुस्तान में पशु आहार के दामों में बेतहाशा इज़ाफा हो रहा है । आज सुबह भी सदन के अंदर पशु के बारे में चर्चा हुई । मैं सदन को जानकारी देने के लिए कह रहा हूं कि आज पशु चारा, जिसमें 27 फीसदी बढ़ोतरी हुई, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिपेयर्ड ऐनिमल्स फीड्स में 7.76 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, गोला एंड सिमिलर कैटल फीड में 11.59 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट में 36.28 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है । मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरकार गाय को सामने रखकर सियासत करती है, उस सरकार के जमाने में आज पशु आहार के दामों में इस तरीके से इजाफा हो रहा है । … (व्यवधान)

सर, जब मनुष्य से संपर्क होता है ।…(व्यवधान) हिन्दुस्तान दुनिया में भुखमरी की सूची में…(व्यवधान) सर, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए ।…(व्यवधान) इसलिए हमारे नेता राहुल

जी 'भारत जोड़ो यात्रा' में शामिल हुए है ।...(व्यवधान) उनके नेतृत्व में बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ, हिन्दुस्तान में हम दो - हमारे दो ...(व्यवधान) यह क्या हो रहा है?

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, first of all, I would like to associate with the matter raised by Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

Sir, there are 10,000 manufacturing units in Tiruppur and more than 6 lakh workers are involved in these units. This matter is not at all heard by the BJP Government. These workers are already reeling under severe pressure. In 1985, export was of the order of Rs. 15 crore whereas now, after 37 years, it has reached Rs. 30,000 crore which is 22.87 per cent of the compounded growth rate.

Actually, cotton production is only 3 per cent to 5 per cent in Tamil Nadu. There is a demand of 120 lakh bales whereas there is production of only 3 lakh to 5 lakh bales. This demand and supply ratio is very huge. That is why, the textile associations want to have the duty concession. They have to import cotton at the rate of 11 per cent. Invariably, they have to import cotton and then only they could manufacture and compete with other countries. The Government is not listening to the voices of these units and, as a result, more than 10,000 units are suffering.

As far as the knitwear industry is concerned, it is facing a severe threat. It is about to close because of less booking orders, delay in receiving payments, non-acceptance of booked orders, and deferment of shipments also. It is because of these reasons, the industry is suffering. What is the

difference? If we compare the last year's export in July, 2021, with that in July, 2022, it is minus 0.6 per cent. It is a negative impact. In August, it is minus 0.34 per cent and in September, it is minus 0.18 per cent. The negative impact is increasing. That is why, Sir, on cotton the Import Duty should be waived off. It should be exempted.… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, जब आप बोलेने का मौका देते हैं, तो हमें बोलने दें ।… (व्यवधान) मेरे बोलने पर माइक बंद कर देते हैं ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी, आप बोलिए ।

… (व्यवधान)

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to raise an important issue during 'zero hour'.

Sir, I would like to highlight a particular college, Vikram Deb College, Jeypore, which is one of the largest cities in Southern Odisha, catering to the education need of undivided Koraput District of Malkangiri, Nabarangpur, Koraput and Raigarh. This College was established in July, 1947 under the King of Jeypore, Rajashri Vikram Deo Verma ji and it was upgraded to Autonomous College in the year 2005. Around 4000 students are studying in this particular college, having 19 Under-Graduate Honours and 16 Post-Graduate courses. It is affiliated to the Berhampur University. Since being the oldest education hub of South Odisha and given that we are primarily tribal-dominated districts, I would request the Government that they upgrade the Vikram Deb College to an affiliating university. The College has adequate infrastructure. The teachers, the students, and the people are very much willing to do it. It is the demand of the people of undivided Koraput. It will be a fitting tribute to the late Maharaja the Vikram Deo Verma for his dedicated service to the poor. Sir, I humbly request you that Vikram Deo College should be upgraded in an affiliating university.

At the same time, as far as the Kendriya Vidyalaya in Jeypore is concerned, everything has been completed. We are just waiting for a nod from the Ministry to start this Kendriya Vidyalaya, Jeypore. The temporary

institution has also been set up. So, I would request also that the Kendriya Vidyalaya in Jeypore be established at the earliest. Thank you.

श्री गणेश सिंह (सतना): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय ।

मेरा लोक सभा क्षेत्र सतना, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग, धार्मिक पर्यटन तथा राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्र है, जहाँ लाखों सैलानी आते हैं, किन्तु हवाई परिचालन न होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है । सतना हवाई अड्डा, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देसी हवाई उड़ान सेवा के तहत चिह्नित किया है और यह एयरपोर्ट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, जिसकी लम्बाई 1850 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर से अधिक है । किन्तु, अभी तक यहाँ से कोई भी हवाई परिचालन नहीं हो पाया है । मंत्रालय का कहना है कि कोई बिडर नहीं आ रहे हैं । मेरी मांग है कि सतना हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू की जाए तथा एयरपोर्ट की आधुनिक बनाने हेतु पूर्व निर्धारित सौ करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी जाएं । इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि हवाई अड्डे की जमीन पर बड़ी मात्रा में अतिक्रमण हो गया है, उसे हटाया जाए तथा उसका सीमांकन कराया जाए ।

धन्यवाद ।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): माननीय सभापति महोदय, मेरे सतारा लोक सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 300 किलोमीटर की सड़क पाँच साल में बनानी है, लेकिन अभी तक केवल दो-तीन किलोमीटर ही सड़क-निर्माण का काम हो पाया है । इसके तहत 48 सड़कों का निर्माण होना है, लेकिन पिछले तीन साल से कुछ नहीं हो रहा है । इसलिए मेरी मांग है कि यदि हो सके, तो जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरा किया जाए क्योंकि मेरे जिले में प्रेक्षणीय स्थल, ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य कई अच्छे-अच्छे स्थल हैं । इसलिए यदि आपकी कृपा हो, तो जल्दी से काम कराया जाए । मैं आपका आभारी रहूँगा ।

मुझे मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' (आज़मगढ़) : धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल के दौरान बोलने का अवसर दिया ।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आजमगढ़-गोरखपुर-वाराणसी नई रेल लाइन की जो स्वीकृति दी है, उसमें थोड़ी तेजी लाई जाए ताकि इसका काम जल्दी हो जाए ।

चूंकि आजमगढ़ के लोग देश के अलग-अलग हिस्से में काम करने के लिए जाते हैं, इसलिए आजमगढ़ से मुम्बई गोदान एक्सप्रेस को प्रतिदिन कर दिया जाए, आजमगढ़ से लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई जाए, आजमगढ़ से हावड़ा ट्रेन को प्रतिदिन किया जाए, लखनऊ-प्रयागराज को आजमगढ़ से जोड़ा जाए, लोकमान्य तिलक से आजमगढ़ साप्ताहिक गाड़ी का परिचालन प्रतिदिन किया जाए और वाराणसी से लोकमान्य तिलक तक चलने वाली गाड़ी को वाया मऊ आजमगढ़ चलायी जाए । कोरोना काल में जो ट्रेन्स बंद हो गई हैं, उनका परिचालन भी पुन: शुरू किया जाए ।

माननीय सभापति जी, मैंने अपनी बात कह दी है । आप उस दिन गाना सुनना चाह रहे थे ।

माननीय सभापति : नहीं-नहीं, वह ठीक है ।

श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' : इसलिए मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ, आपने उस दिन मुझे बोलने नहीं दिया था ।

माननीय सभापति : जी-जी ।

श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' : माननीय सभापति महोदय,

अहीर रेजिमेंट बनवा दीजिए,

हम मेडल से झोली भर देंगे और

गोली कहीं भी आएगी,

हम सीना आगे कर देंगे ।

माननीय सभापति : श्री कराडी संगन्ना अमरप्पा – उपस्थित नहीं ।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): माननीय सभापति महोदय, देश में विशेषकर महाराष्ट्र के मेरे बुलढाणा जिले में किसानों की हालत काफी दयनीय स्थिति में है । वर्तमान में बैंकों से जो कृषि संबंधी ऋण दिए जाते हैं, उनमें बैंकों के सख्त नियमों के कारण किसानों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । जैसे बैंकों द्वारा किसानों को जो फसल ऋण की सुविधा दी जाती है, उसके लिए किसानों के सिबिल स्कोर को देखा जा रहा है । यदि किसानों का सिबिल स्कोर कम होगा, तो उनको ऋण के लिए मना कर दिया जाता है । इसके साथ ही, यदि किसी किसान की बकाया रकम के जमानतदार का भी सिबिल स्कोर कम रहा, तो उसे भी कृषि लोन लेने में बहुत-सी दिक्कतें आती हैं । यदि किसान अपना फसल ऋण समय पर न चुका सके, तो उसे और जिसने उसकी जमानत ली है, उस किसान को भी बैंक कृषि लोन नहीं दे रही है ।

पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा किसानों की जो कर्ज माफी की गई या जिन किसानों के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट नियम के तहत ऋण चुकाये गये, उनका भी सिबिल स्कोर खराब होता है, जिससे उन्हें कृषि लोन नहीं दिया जा रहा है । इसके साथ ही, जिन किसानों ने ओटीएस नियम के तहत अपना कृषि लोन चुकाया है, उसमें किसानों के लिए तीन से छ: महीने का कूलिंग पीरियड रखा गया था ताकि किसान पुन: अपनी आवश्यकतानुसार कृषि ऋण प्राप्त कर सकें । अब यह कूलिंग पीरियड का प्रावधान भी हटा दिया गया है, जिससे किसानों को पुन: कृषि ऋण लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है ।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कृषि ऋण योजना से जुड़े हुए ऋण के संबंध में बैंकों के नियमों में छूट दी जाए और उन्हें निरस्त करते हुए एक सरल प्रावधान किया जाए, ताकि गरीब, असहाय किसान एवं जमानतदार किसान को भी फसल ऋण लेने की सुविधा मिल सके और उन्हें अपनी आजीविका चलाने में कोई कठिनाई न हो ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़) : माननीय सभापति महोदय, 14 नवंबर, 1962 को संसद के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से संकल्प लिया गया था कि जितना भी समय लगे, किंतु चाइना ने हमारे जितने भी भू-भाग पर कब्जा किया है, उसे भारत वापस लेकर रहेगा । इस संकल्प को 60 वर्ष बीत चुके हैं । अभी तक भारत जरा भी आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि जिस समय यह संकल्प लिया गया था, उस समय कमजोर एवं संकल्प के प्रति गंभीर सरकार नहीं थी । … (व्यवधान) उसके बाद जो भी सरकारें आईं, वर्ष 1962 के संकल्प को पूरा करने में, प्रतिदिन, उदासीन रहीं । … (व्यवधान) परंतु वर्ष 2014 में जो सरकार आई, वह राष्ट्र के मान-सम्मान, स्वाभिमान और रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित सरकार है । … (व्यवधान)

इस सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा । … (व्यवधान) चीन को डोकलाम, गलवान घाटी और त्वांग सेक्टर में मुंहतोड़ जवाब दिया । … (व्यवधान) आज देशवासियों में विश्वास जागा है । … (व्यवधान) राष्ट्रवादियों एवं देशभक्तों की सरकार, वर्ष 1962 के संकल्प को पूरी तरह से, सर्वदृष्टि में सक्षम है । … (व्यवधान)

अंत में, मेरा प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वर्ष 1962 के संकल्प को पूरा कर देशवासियों को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करें । … (व्यवधान) मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार इस संकल्प को पूरा कर सकती है । … (व्यवधान) इसलिए देशवासियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए सरकार कदम आगे बढ़ाए, सफलता निश्चित मिलेगी । धन्यवाद ।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण मुद्दे पर शून्यकाल में बोलने का मौका दिया है । आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सरकार का ध्यान प्रधान मंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना 'आयुष्मान भारत योजना' की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसके माध्यम से देश के सभी गरीब लोगों के जीवन में स्वास्थ और खुशहाली आई है । महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के विशेष प्रयास से इस देश में 'आयुष्मान भारत योजना' संचालित हो रही है, जिसके तहत गरीबों को पांच लाख रुपए तक की चिकित्सा केंद्र सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है । किंतु मैं अत्यंत खेदपूर्वक बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के द्वारा इस योजना को अपने प्रदेश में लागू नहीं किया गया है । … (व्यवधान) इसके कारण पश्चिम बंगाल के करोड़ों गरीब इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और समुचित इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं । … (व्यवधान) अत: मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी 'आयुष्मान भारत योजना' को संचालित कराने के लिए यथोचित कार्यवाही की जाए । … (व्यवधान) धन्यवाद । … (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब): सभापति जी, मुझे मानवाधिकार के उल्लंघन का विषय उठाना है । बिहार में सौ से अधिक लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं । उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उनका विसरा नहीं रखा गया । मेरा कहना है कि यह मानवाधिकार के उल्लंघन का एक गंभीर विषय बनता है ।… (व्यवधान) यह विषय मानवाधिकार आयोग को जाना चाहिए और चाइल्ड आयोग को भी जाना चाहिए क्योंकि मरने वाले बच्चे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं । यह बहुत गंभीर विषय है । मेरा निवेदन है कि इसके लिए एनएचआरसी की टीम वहां जाए ।… (व्यवधान)

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Sir, I thank you for allowing me an opportunity to raise the demand of setting up a permanent bench of High Court of Odisha in Western part of Odisha, and the serious law and order situation arising out of it. The Law Minister has made statements in this august House,

again and again, regarding its resolve to establish a permanent bench of Odisha High Court in the Western part of Odisha. He has also written, again and again, to the State Government to hold consultations with the Chief Justice of Odisha High Court, and the hon. Governor of Odisha and then, to send a composite proposal to the Ministry, including its location, its jurisdiction and its commitment to provide its infrastructure and bear the recurring expenses to enable the Government to bring a legislation in both Houses of Parliament for the establishment of a permanent bench.

In this connection, the delay and lack of commitment of the State Government in holding consultation either with the hon. Chief Justice of Odisha High Court or with the Governor has led to a serious law and order situation, and arrest of dozens of lawyers who are already behind the bars. The Bar Council of India has suspended the licences of 43 lawyers. In the meantime, I have also come to learn that the lawyers were assaulted by the police while they were in the lock-ups of the police. So, I would request the hon. Law Minister of India to intervene in the matter, to take up the matter with the State Government, the hon. High Court and the Bar Council of India to address the problem and resolve the issue as well as the deadlock arising out of it, including a direction to the National Human Rights Commission to inquire into the matter. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Gaurav Gogoi.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, I rise to voice my demand for Numaligarh Refinery Limited in Assam to be elevated from its present category-I mini ratna status to navratna status. This refinery was set up after the historic Assam Accord was signed by the former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi. Those who ask what the Congress Party has done for the North-East, they should study their history better. Sir, Numaligarh Refinery Limited has been generating record earnings. Its profit after tax in 2020-21 was Rs. 3,562 crore. It ranked 18th amongst all Central Public Sector Enterprises in both gross revenue and net profit. Therefore, I urge you that the Department of Public Enterprises should elevate the status of Numaligarh Refinery Limited to a navratna. The Ministry of Petroleum has already recommended that. Now, NRL should also provide assured employment to those sanitation workers who were used by them during the COVID crisis. Most importantly, given their strategic importance, all oil-fields and oil refineries in the North-East must be protected from external cyber attacks and external Armed Forces' attack because we have seen in the Russia-Ukraine War, how the oil-fields are the first to be attacked by the foreign forces.

Given the external threat that we face from China, I request that all strategic assets, especially oil-fields and oil refineries in the North-East, should be given adequate protection in terms of cyber defence and from our Indian Armed Forces.

Thank you.

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): सभापति जी, सभी को पता है कि असम बाढ़ प्रभावित राज्य है । बाढ़ और कटाव, इन दोनों को रोकने के लिए फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम (एफएमपी) है । बहुत दुख की बात है कि प्रधान मंत्री मोदी जी और यह सरकार पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं और कहते हैं कि पूर्वोत्तर को बहुत कुछ दिया है । वर्ष 2022 में पूर्वोत्तर के लिए जरूर 125 करोड़ रुपये दिए गए हैं लेकिन वर्ष 2016 से 2022 तक एफएमपी प्रोग्राम में सैंटर के कंट्रीब्यूशन का एक पैसा भी नहीं दिया गया है । पूर्वोत्तर के लिए नियम 90:10 है । यदि ऐसा होगा तो बाढ़ और कटाव की समस्या कैसे सोल्व होगी? सारे असम में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी और जितनी इसकी उपनदियां हैं, सभी से कटाव होता है और हर साल कटाव के कारण बहुत सारे लोग बेघर होते जा रहे हैं । जब ये लोग अर्बन एरियाज में काम के लिए जाते हैं, तो उन्हें बांग्लादेशी भी कहा जाता है । यह सोशल और इकोनॉमिक प्राब्लम भी है इसलिए एफएमपी में सरकार को तुरंत पैसा देना चाहिए । एनडीआरएफ में भी सिर्फ 250 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं । महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, जल शक्ति मंत्रालय से रिक्वेस्ट करता हूं कि एफएमपी में जितना पैसा ड्यू है, उसे तुरंत देना चाहिए तथा इसके साथ ही एनडीआरएफ का भी पैसा देना चाहिए ।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter related to the new regulations imposed by the IRDAI. We all know that the Life Insurance Corporation (LIC) has always been a logo of trust. The goodwill factor of LIC is something which our nation is proud of. The LIC and the other insurance corporations are facing a huge threat with the new IRDAI regulations and guidelines. LIC at the time of inception had an investment of Rs. 5 crore, which turned into Rs. 30 lakh crore in terms of assets. Thirteen lakh agents are working in this sector. Having grown into a pillar of Indian financial system itself, the LIC and the General Insurance Corporation have a unique way of operating, and that has been very

successful. I urge the Central Government to withdraw the new regulations and guidelines put forward by the IRDAI because the life and livelihood of lakhs of LIC agents are at stake. The new regulations have demanded the payment of commission whereby there is a 20 per cent cap on first-year premium. Most of the agents are from the rural and under-privileged sections of society. The first-year reduction would drastically affect their livelihood. If the new regulations are in place for helping the private insurance companies of this country, the private insurance and the corporatisation of these companies would destroy the Life Insurance Corporation. LIC has a goodwill factor, which has served the nation. So, I urge the Government to withdraw the new policy.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): The ASHA workers working in the health sector in our country are experiencing a lot of difficulties. The Government used to engage them as part-time staff, but now it has become full-time work.

The ASHA workers play a major role in the immunization of children, running the lifestyle disease clinics, attending wet duty, primary and secondary palliative, sub-centre level meetings, panchayat level meetings, nutrition class, meeting with mothers, ward level review meeting, COVID vaccination, besides infectious disease prevention activity, chlorination, home visit to give medicines to TB patients, etc. But currently, the ASHA workers are getting only Rs. 6,000 from the State Government and additionally Rs. 2,000 from the Central Government. The statutory minimum wage of Rs. 700 per day is not granted to

ASHA workers, nor are they covered by the Provident Fund and the ESI Scheme.

I urge upon the Government that urgent action may be taken to designate the ASHA workers as State Government employees, to absorb them in the health department after five years of service, and to either substantially increase the incentive rate or grant an honorarium of Rs. 15,000 per month.

***SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA):** Thank you, Hon'ble Chairman Sir. Chandigarh is the capital of Punjab. But, Punjab's hold on Chandigarh is being weakened deliberately. In 1966, the Re-organisation Act had been passed. It was decided then that Chandigarh would be given to Punjab. Haryana is being allotted land for Vidhan Sabha in Chandigarh on the orders of Delhi. All I.A.S. officers including Advisor from Delhi Cadre are being appointed in Chandigarh. Home Secretary is of Haryana Cadre. D.C. is from Haryana Cadre. S.S.P. (U.T) was earlier from Punjab Cadre. That has been changed. Now, D.I.G., I.G., A.D.G.P. etc. posts have been imposed from Delhi.

Last week, Punjab S.S.P. was removed and Haryana S.S.P. was appointed. The AAP Government is a weak Government. You should not suppress the rights of Punjab. It will have dire consequences. The ratio of Punjab and Haryana on Chandigarh is 60:40. Employment is a casualty.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

श्री संजय सेठ (राँची): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । ... (व्यवधान) झारखंड में विगत कई वर्षों से एक गंभीर समस्या चल रही है ।... (व्यवधान) जब से यूपीए की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ी है ।... (व्यवधान) इसका प्रतिरोध भी बढ़ा है ।... (व्यवधान) ईसाई मिशनरियों के द्वारा झारखंड में पहले से धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है । अब यह कार्य इस्लामिक संस्थाओं के द्वारा भी किया जा रहा है । भोले-भाले आदिवासियों को लोभ, लालच देकर, झूठा चमत्कार दिखाकर, सब्जबाग दिखाकर उनका धर्मांतरण किया जाता है । विशेष रूप से आदिवासी बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है । उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है । आदिवासी बहुल क्षेत्रों से उन्हें चुनाव तक लड़वाया जा रहा है । जो बेटियाँ यह सब करने को तैयार नहीं होती, इस्लाम नहीं कबूलती, उनकी हत्या भी की जा रही है ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, ये क्या बोल रहे हैं? ... (व्यवधान)

श्री संजय सेठ: अभी दो दिन पहले साहिबगंज में एक ऐसी घटना हुई है । रबिका पहाड़िया, जिसके 50-50 टुकड़े कर दिए गए, क्योंकि उसने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया । इलेक्ट्रॉनिक कटर से उसके टुकड़े कर दिए गए । धर्मांतरण को लेकर देशव्यापी आंदोलन भी चल रहा है । पूर्व में झारखंड के वरिष्ठ सामाजिक प्रवर्तक रहे बाबा कार्तिक उरांव ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, परन्तु तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, ये कुछ भी बोल रहे हैं । आप इन्हें रोकिए ।... (व्यवधान)

श्री संजय सेठ: जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से वर्तमान समय में एक देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, जिसमें धर्मांतरित होने वाले आदिवासी का दर्जा समाप्त करने की माँग की जा रही है ।... (व्यवधान) वर्तमान समय में ऐसे लोग आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं व अन्य चीजों का लाभ लेते हैं और ईसाइयत और मुस्लिम के नाम पर अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं का भी लाभ लेते हैं ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले दिनों यह कहा है कि दवाएं और अनाज देना परोपकार है, परन्तु इसकी आड़ में धर्मांतरण पूरी तरह गलत है ।

मेरा आग्रह है कि इस दिशा में कठोर कदम उठाए जाएं ताकि झारखंड की आदिवासी बेटियाँ, उनकी जमीन, उनकी पहचान सुरक्षित रह सके । धन्यवाद ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है ।

… (व्यवधान)

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका अभिनन्दन करना चाहूँगा कि आपने मुझे जनहित के मुद्दे को उठाने का अवसर किया है । महोदय, जैसा कि आपको विदित है, मैं सदन में झारखंड राज्य के जनजाति बहुल एवं ग्रामीण बहुल लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ । बाबा टांगीनाथ की भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, रत्नगर्भा धरती, कृषि पर आधारित जीवन शैली, अपनी समृद्ध संस्कृति को समेटे हुए यह क्षेत्र आज अनेकों चुनौतियों से जूझ रहा है । महोदय, यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के साथ-साथ प्राकृतिक विषमताओं से भी भरा हुआ है । गुमला, लोहरदगा क्षेत्र के भूजल में आर्सेनिक की मात्र अधिक होने के कारण किडनी संबंधी रोग बढ़ रहे हैं । लोग कई प्रकार के कुपोषण के शिकार होते हैं । ऐसी परिस्थिति में आज विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री जी का मैं गुमला, लोहरदगा सहित सम्पूर्ण झारखंड की जनता की ओर से अभिवादन करता हूँ कि आपके नेतृत्व में, आपकी पहल पर देश में 'हर घर नल से जल योजना' की शुरूआत की गई । हम सभी जानते हैं कि आजादी के 70 साल बाद भी देश के लगभग 50 प्रतिशत लोग शुद्ध पेयजल से वंचित थे ।

केन्द्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग सरकारों ने इसके लिए काम किया है । लेकिन वास्तविकता यह है कि देश के लोगों को विशेषकर महिलाओं को पीने के पानी के लिए मीलों पैदल जाना पड़ता है । सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि झारखंड सरकार में

इस योजना के प्रभावी रूप से न चलने अथवा न चलाये जाने की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए । साथ ही झारखंड सरकार को घर-घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए । मैं इस योजना के संकल्प के लिए आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं एवं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, I would like to bring to the attention of the Government the problems of tobacco farmers in Andhra Pradesh. There is severe damage to the FCV crop. The Mandous cyclone devastated the districts of Prakasam and Nellore of Andhra Pradesh. You might be aware of the same. Cyclone of this magnitude has arrived for the first time in 50 years. This happened three weeks ago. Farmers have incurred heavy losses. In the plantation of the tobacco crop, 53,000 hectares have been laid, out of which 25,000 hectares have been damaged.I would request the hon. Commerce Minister to appoint a team to undertake a survey of the losses the FCV crops have incurred. I am also requesting for rescheduling of crop loans with 100 per cent interest subvention for five years, and to ensure prompt payment of incentives and sanction of fresh loans by banks as it is a severe natural calamity.

I request the hon. Commerce Minister to sanction interest-free loan of Rs. 50,000 per barn by the Tobacco Board, payment of compensation of Rs. 20,000 per acre to Tobacco farmers, and also inclusion of FCV Tobacco crop in the *Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojna.*

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): सभापति महोदय, बिहार सरकार की गलत शराब नीति के कारण जहरीली शराब पीने से सारण जिले के मशरक, इसुआपुर और अन्य प्रखंडों में

सैकड़ों लोग मर गए हैं । सरकार उन्हें मुआवजा देने की जगह खिल्ली उड़ा रही है और सही आंकड़े न आए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है । वहां का आरक्षी अधीक्षक लगातार साक्ष्य मिटाने में लगा हुआ है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि बिहार में गलत शराब नीति के कारण जो लोग मरे हैं, उन सब को मुआवजा दिया जाए । वहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय श्रम कल्याण आयोग के साथ एक बड़ी उच्च स्तरीय टीम भेज कर इसकी जाँच कराई जाए, जिससे सही आंकड़े भी आ सके ।... (व्यवधान) सभापति महोदय, यह होना आवश्यक है । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री चिराग कुमार पासवान जी ।

श्री चिराग कुमार पासवान (जमुई): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । सर, आज मैं भी आपके समक्ष अपने प्रदेश बिहार को बचाने की गुहार लेकर इस सदन में खड़ा हुआ हूं । एक के बाद एक जहरीली शराब से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है और उसके बाद मुख्य मंत्री, राज्य सरकार और पूरा प्रशासन तंत्र इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है ।... (व्यवधान) कल जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की भूमिका निभाई और यह दिखाया कि वहां पर सब को पता है कि किस तरीके से वहां पर शराब की बिक्री हो रही है ।... (व्यवधान) लेकिन तमाम महा गठबंधन के नेता खामोश हैं, क्योंकि वे भी इसमें लिप्त हैं । सर, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से स्वत: इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच कराने की भी मांग करता हूं ।... (व्यवधान)

13.00hrs.

SHRI ABU HASEM KHAN CHOWDHURY (MALDAHA DAKSHIN): Sir, I wish to draw your kind attention towards the issues of utmost importance related to my Parliamentary constituency of Malda and Murshidabad. The issue relates to the problem of flood and erosion caused by Ganga river that has been causing huge damages in Malda and Murishabad. It has wreaked havoc for the last many years on both sides of the Ganga river in my constituency. The river has changed its course and has moved 35 kilometres towards the town of Malda resulting in lakhs of people losing their homes, fertile land, and their livelihood. The areas affected by erosion and flooding are very densely populated. In Murshidabad district, Samsherganj, Dhuliyan, Hussainpur, Diyara, Neemtita, and in Malda district, Bhutni, Manichak, Birnagar and Gopalpur, all these areas have been completely wiped out. All the massive buildings have submerged into the river. People of these areas are homeless and have no food and money.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. I think it is the last sentence.

SHRI ABU HASEM KHAN CHOWDHURY: The nature of erosion is that if you go the next day after the erosion, you will see nothing. The UPA Government considered it a natural disaster and the UPA Government did the best along with the State Government. The Present Central Government only takes care of 10 kms from the Farakka Barrage. The State Government is supposed to look after beyond 10 kms. The history of the State Government is that it has no

funds and no capacity to encounter the disaster. The Central Government and the State Government will have to come forward jointly in a big way to deal with this disaster.

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये ।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया ।
Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'	Shri Kaushlendra Kumar Shri Dinesh Chandra Yadav Shri Santosh Kumar
Shri Nihal Chand Chouhan	Shri P. P. Chaudhary Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Manoj Tiwari	Shri P. P. Chaudhary Dr. Nishikant Dubey Shri Uday Pratap Singh Shri Subhash Chandra Baheria Shri Parvesh Sahib Singh Verma Shri Sanjay Seth

	Shri Ganesh Singh Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ravi Shankar Prasad	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary
Shri Khagen Murmu	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary
Shri Sudarshan Bhagat	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Janardan Singh Sigriwal	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Sanjay Seth	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Dr. Nishikant Dubey
Shri Chirag Kumar Paswan	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ravneet Singh	Shri Simranjit Singh Mann
Shri Manne Srinivas Reddy	Shri Lavu Srikrishna Devarayalu Shrimati Vanga Geetha Viswanath
Shri Hibi Eden	Shri Vijaykumar alias Vijay Vasanth Kumari Ramya Haridas Shrimati Vanga Geetha Viswanath Shri Lavu Srikrishna Devarayalu Shri Arvind Sawant Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shrimati Kanimozhi Karunanidhi Shrimati Supriya Sadanand Sule

	Shrimati Dimple Yadav
Shri Prataprao Patil Chikhlikar	Shri P. P. Chaudhary Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Dinesh Lal Yadav ‘Nirahua’	Shri P. P. Chaudhary Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Bhavana Gawali (Patil)	Shri P. P. Chaudhary Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri T.R. Baalu	Shrimati Kanimozhi Karunanidhi Shrimati Supriya Sadanand Sule Shrimati Dimple Yadav
Shri Gaurav Gogoi	Shrimati Supriya Sadanand Sule Shrimati Kanimozhi Karunanidhi Shrimati Dimple Yadav
Shri Suresh Pujari	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Ganesh Singh	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

<u>13.03hrs.</u>

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

<u>14.00 hrs.</u>

The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

14.01 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है । मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे नियम 377 के प्रस्तावों को सभा पटल पर रख सकते हैं ।

(i) Need to develop Gorakhpur railway station as a world class railway station.

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ । गोरखपुर में रेलवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हैं । गोरखपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग एक लाख यात्री यात्रा करते हैं और यह स्टेशन प्रतिदिन लगभग 50 लाख रुपए का राजस्व अर्जित करता हैं । गोरखपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 40 एक्सप्रेस और 24 पैसेंजर रेलगाड़ियाँ देश के विभिन्न स्थानो को जाती हैं । प्रतिदिन 100 रेलगाड़ियाँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन होकर जाती हैं । प्रतिदिन 35 रेलगाड़ियाँ यहाँ टर्मिनेट होती हैं और 55 माल गाड़ी गोरखपुर रेलवे स्टेशन होकर जाती हैं । कुल मिलाकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 235 रेलगाड़ियों का संचालन किया जाता हैं । गोरखपुर रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल सीमावर्ती पड़ोसी देश नेपाल और सीमावर्ती राज्य बिहार के लाखों लोगो द्वारा किया जाता हैं । इस प्रकार गोरखपुर रेलवे स्टेशन का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व हैं । इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन की सूची मे शामिल कर इसे विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए ताकि सभी वर्ग के यात्रियों को इसका लाभ मिल सके । इससे रेलवे के राजस्व मे भी वृद्धि होगी और क्षेत्रीय पर्यटन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा ।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to accord the status of 'Shaheed' (Martyr) to armed forces personnel who lay down their lives defending the country.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मेरे लोकसभा क्षेत्र सीकर सहित देश से लाखों जवान आर्मी तथा आर्म्ड फोर्सेज में कार्य करते हुए देश सेवा कर रहे हैं । देश की सीमा अथवा आमजन की सुरक्षा के लिए विभिन्न आर्म्ड फोर्सेज अथवा सेना की तैनाती की जाती हैं, अधितकतम समय में सेना युद्ध काल के समय तैनात की जाती रही है, लेकिन विभिन्न आर्म्ड फोर्स के जवान सीमा अथवा संवेदनशील इलाकों में देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं । कई बार इन आर्म्ड फोर्सेज के जवानों की देश की रक्षा करते हुए मृत्यु हो जाती है परंतु उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल पाता है ।

मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि देश अथवा आमजन की रक्षा करते हुए ऐसे आर्म्ड फोर्सेज के जवानों की मृत्यु होने पर उनको शहीद का दर्जा दिया जाएं तो आपकी अति कृपा होगी ।

(iii) Need to run train no. 12981/82 (Jaipur-Asarwa) and provide stoppage of trains at railway station in Bhilwara Parliamentary Constituency.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा (राजस्थान) में रेलवे से सम्बन्धित कुछ मांगो की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । गाड़ी नं. 12981/12982 जो जयपुर से आसर्वा वाया भीलवाड़ा चलना प्रस्तावित थी, जिसको 1 नवम्बर 2022 से प्रारम्भ करने के निर्देश रेल मंत्रालय ने जारी किये थे, परन्तु उक्त ट्रेन चालू नही हो सकी । इसके पश्चात् रेल मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2022 को तकनीकी कारणों का हवाला देकर इस ट्रेन को निरस्त कर दिया । उक्त ट्रेन की महती आवश्यकता है । अतः जयपुर से आसर्वा वाया भीलवाड़ा उक्त ट्रेन को चालू करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करायें । साथ ही मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा राजस्थान में कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव नही हो रहा है एवं ठहराव हेतु मैं लगातार मांग भी कर रहा हूँ । ट्रेन नं. 14801/14802 इन्दौर-जोधपुर एक्सप्रेस इन्दौर से जोधपुर चलती है । इस ट्रेन का ठहराव हमीरगढ़ व रायला स्टेशन पर करना आवश्यक है एवं उदयपुर-हरिद्वार का ठहराव हमीरगढ स्टेशन पर आवश्यक है । इसी प्रकार हल्दीघाटी पेसेन्जर ट्रेन (ट्रेन सं. 05911/05912) का ठहराव भी श्यामपुरा व उपरमाल स्टेशन पर नहीं है क्योकि इस ट्रेन को एक्सप्रेस कर दिया है (19817- 19818) । कृपया इस एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव उपरोक्त दोनों स्टेशनों पर पूर्व की भांति कराया जाए ।

(iv) Regarding deteriorating air quality in Delhi.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): I would like to draw the attention of the Government towards Delhi's rising AQI and the deteriorating air quality. Delhi was lately, once more, engulfed in smog, noticing extremely poor air quality, following a trend that has been ongoing for some time this winter. The discussion regarding the ‘chief culprit’ for the dirty air was revived while primary schools were closed depriving children of their education. There has been a constant increase in the concentrations of pollutants such as particulate matter, nitrogen oxides, sulfur dioxide, carbon monoxide, and ozone. Owing to this, number of patients suffering from Asthma, respiratory problems & blood pressure has increased. Both the young and old are not safe from the menacing effect of High PM levels in Delhi's air.

I urge upon the Government to take note of this problem and to find a quick solution to this issue keeping in mind the seriousness of the situation and the consequences involved.

(v) Need to set up district level monitoring committees to look into the problems faced by students in coaching institutes.

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): पूरे देश में आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग की संस्कृति बहुत तेजी से बढ़ रही है । ये कोचिंग संस्थाएं देश के छात्रों का भविष्य संवारने का दावा करती हैं तथा आई. आई. टी. और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में चयन कराने की गारंटी लेती है । जबकि देश में लाखों की संख्या में छात्र परीक्षा देते हैं और सीट मात्र हजारों में होती हैं । इन कोचिंग संस्थाओं की एक क्लास में 100 से अधिक छात्र होते हैं । यहाँ क्लासेस सप्ताह के सातों दिन चलती हैं । छात्रों पर परीक्षा में अच्छे मार्क्स और रैंक लाने का इतना दबाव बनाया जाता है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं । बच्चों पर पढ़ाई का अत्यधिक प्रेशर जानलेवा साबित हो रहा है । आज पूरे देश में जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति का गठन करने की आवश्यकता है । इसमें अभिभावक, कोचिंग संस्थान, एनजीओ, मनोवैज्ञानिक और जिला कलक्टर शामिल होने चाहिए । इसमे मेरा दो महत्वपूर्ण सुझाव है-

1. इन संस्थाओं में पढ़ रहे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में उर्तीण न होने पर उपलब्ध करिअर विकल्प के बारे में बताया जाए ।

2. बीच मे संस्थान छोड़ने की स्थिति मे ईजी एक्जिट पॉलिसी एवं फीस रिफण्ड का प्रावधान हो ।

(vi) Need to set up additional Krishi Vigyan Kendras in Satna Parliamentary Constituency.

श्री गणेश सिंह (सतना): मेरा लोकसभा क्षेत्र सतना (मध्य प्रदेश) जो कृषि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, क्षेत्रफल भी बड़ा है। यहाँ मात्र एक कृषि विज्ञान केन्द्र है, जो मझगवां में संचालित है और यह जिले के एक छोर में है, शेष जिला सुविधाओं से वंचित है ।

मेरी मांग है कि सतना जिले के मैहर, रामपुर बाघेलान तथा नागौद में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जाय। यदि यह संभव नही है, तो कोई कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाय ।

(vii) Need to restore the stoppages of various trains at railway stations in Madha Parliamentary Constituency.

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा): जो ट्रेन कोरोना काल के पहले जहाँ जैसे रुकती एवं चलती थी अभी तक वह पुनः बहाल नहीं हो पायी है । इस क्रम में हैदराबाद **-** मुम्बई **(**17031-17032) तथा सोलापुर **-** पूणे दोपहर की डेमो **(**पैसेंजर गाड़ी**)** को नियमित रूप से शुरू करने के बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन है । हमारे लोकसभा क्षेत्र माढा के हजारों विद्याथी, कर्मचारी एवं व्यापारी हैदराबाद - मुम्बई (17031 17032) से दैनिक रूप से नियमित यात्रा करते हैं । स्कूल कालेज शुरू होने के कारण विद्यार्थियों को भी इस गाड़ी के नियमित रूप से नहीं चलने के कारण असुविधा हो रही है ।

यही नहीं इस गाड़ी का पहले केम रेल स्थानक पर हाल्ट था परन्तु अभी तक उसे पुन**:** चालू नहीं किया गया है । इसी प्रकार 11027-11028 मेल एक्सप्रेस गाड़ी का भी हाल्ट समाप्त कर दिया गया है । इन दोनों गाड़ी का हाल्ट बहाल किया जाए तथा दैनिक यात्रियों की सुविधा हेतु कन्याकुमारी **-** पूणे 16382 गाड़ी का भी यहां हाल्ट प्रदान किया जाए ।

इसी प्रकार 'जेऊर रेलवे स्टेशन', करमाळा में कोणार्क एक्सप्रेस 11019/20 व चेन्नई **-** मुंबई गाडी दोनों का जेऊर रेलवे स्टेशन में ठहराव बहुत ही आवश्यक है ।

मैं केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि दैनिक यात्रियों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, मजदूरों व कर्मचारियों की उपरोक्त वर्णित सभी मांगों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें ।

(viii) Need to set up a Dedicated Sports Injury Centre in Lala Lajpat Rai Memorial Medical College, Meerut, Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): गत वर्षों में मेरठ ने अनेकों प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाडी दिए हैं । यहां पर तीन उच्च श्रेणी के स्टेडियम हैं जिनमें इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रदेश सरकार ने मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी निर्णय लिया है । खिलाड़ियों को खेलते समय चोटिल होने से उन्हें तत्काल एवं उचित चिकित्सा उपलब्ध कराना बड़ी समस्या है । इसके लिए उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ता है व कई खिलाड़ियों का तो कैरियर ही इसके कारण खतरे में पड़ जाता है । लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का निर्माण कराने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है । यहाँ इसके लिए स्थान भी उपलब्ध है । स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट स्थापित किए जाने से इसका लाभ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न स्टेडियमों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाडियों, पुलिस तथा फ़ौज की तेयारी कर रहे लाखों युवाओं को हो सकता है । सरकार से अनुरोध है कि लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत Dedicated Sports Injury Centre बनाये जाने की कृपा करें ।

(ix) Need to abolish the requirement of income criteria in scholarship schemes for scheduled tribes students.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Several provisions have been incorporated in the Constitution for safeguarding and promoting the interests and rights of the Scheduled Tribes in various spheres so as to enable them to join the national mainstream. Article 46, Article 275, Articles 335 and Articles 342 cast a duty on the State to promote with special care, the educational and economic interests of the Scheduled Tribes. The Government of India is taking several steps to promote the welfare of Students belonging to scheduled, tribe community through scholarship. However, the actual objective of these schemes to uplift the marginalized is defeated due to the presence of an income criteria of the family. In Pre Matric and Post Matric Scholarship Scheme for ST students the family income limit is 2,50,000 per annum and for National Overseas Scholarship for ST students for studying abroad and National Scholarship Scheme, it is 6 lakh per annum. The mandatory requirement of a family income is against the constitutional guarantees provided to Scheduled Tribes and it is a form of exclusionary practise which denies benefits to the deserving candidates who have been deprived for several years. I request the Government to kindly abolish the requirement of income criteria in scholarship schemes for Scheduled Tribe students in order to provide them a level playing field.

(x) Regarding inclusion of Darjeeling Hills Terai and Dooars region in the North East Council.

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Darjeeling hills, Terai and Dooars lie in the critical 'Chicken Neck' region of our Country, that connects the rest of our nation to North-East India.Our region has a distinct geological connectedness and continuity with the Northeast region. Our indigenous cultures, traditions, ethnicities, food habits, languages, lifestyle are immensely similar to the rest of the Northeast region.

Being a mountain region, our place faces immense developmental challenges, geographic and ecological hindrances, regional imbalances, deprivation and discrimination.Today, as the rest of North East region progresses, our Darjeeling Hills Terai and Dooars region has sadly remained far behind in terms of development and economic progress.Therefore, I appeal to the Government to kindly take steps to include our region in North East Council, so that our region too can benefit from the various Government initiatives being undertaken for the NE region.

(xi) Need to make rights of gig workers more effective.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): विश्व की बदलती हुई उद्योग एवं व्यापार कार्य संस्कृति में देश में कार्यरत गिग कामगारों की संख्या लगभग 77 लाख के करीब है और इसके वर्ष 2029-30 तक लगभग तीन गुना से अधिक होकर लगभग 2.35 करोड़ होने की संभावना है । एक अनुमान के अनुसार गिग इकॉनमी वर्ष 2024 तक 455 बिलियन डालर हो जाएगी । गिग कामगार अधिकांश वे कामगार होते हैं जो कम कुशल या बिना किसी विशेष कौशल के हैं तथा अपने जीवोकोपार्जन के उद्योगों और विभिन्न संघटनों में अपनी सेवाएं बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के दे रहे हैं । उद्योगों के लिए इस तरह के कामगारों को अपने संस्थान में रखना आर्थिक रूप से लाभदायक होता है और वे गिग वर्कर्स को निर्धारित मानकों से कम मानदेय देने और सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के लाभ से वंचित रखते हैं । जिसके कारण न सिर्फ गिग वर्कर्स का अपितु उन पर आश्रित उनके परिवारजनों का भी भविष्य असुरक्षित रहता है । यद्यपि गिग कामगारों को सामाजिक सुरक्षा पहल सरकार द्वारा गिंग वर्कर सोशल सिक्यूरिटी कोड 2020 के माध्यम से की गई जिसके माध्यम से पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कार्यस्थल पर अन्य उपचारात्मक उपायों का संरक्षण किया गया है और गिग श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं पर इन सभी अधिकारों और सुविधाओं को व्यवहारिक रूप से और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे गिग कामगारों को इनका लाभ शतप्रतिशत मिल सके ।

इसके साथ ही तकनीकी रूप से उच्च कुशलता वाले कामगार भी अपनी योग्यता की सेवाएं उद्योगों और संघटनों को प्रदान कर रहे हैं परन्तु बदलती हुई कार्य संस्कृति में कार्य करने के लचीलेपन की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है । आज के समय में ये कुशल कामगार एक से अधिक कंपनियों /संगठनों को कुशलता के साथ अपनी सेवाएं देने में सक्षम हैं और जिसका लाभ कामगार और कंपनियों/संगठनों दोनों को हो सकता है और कार्य निष्पादन की गुणवता में भी सुधार हो

सकता है । नवीन कार्य संस्कृति में इसको मूनलाइटिंग कहा जाता है और इस मूनलाइटिंग अधिकारों के प्रति उद्योग जगत एकमत नहीं है जिसका नुकसान इन गिंग कामगारों को उठाना पड़ रहा है ।

अतः मेरी सरकार से यह मांग है कि गिग कामगारों के अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाते हुए मूनलाइटिंग के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाये जाएं ।

(xii) Need to shift Kendriya Vidyalaya in Dibiyapur Legislative Assembly in Etawah Parliamentary Constituency to a permanent school building.

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): मेरे लोकसभा क्षेत्र इटावा के विधान सभा दिबियापुर में वर्ष 1987 में एनटीपीसी के परिक्षेत्र में एक अस्थाई भवन में केन्द्रीय विद्यालय खोला गया था तब से लेकर आज तक इस विद्यालय का संचालन अस्थाई भवन में ही चल रहा है ।

इस विद्यालय में गेल, NTPC, CISF सुरक्षा कर्मी, सरकारी कर्मचारी, तथा आस-पास के अभिभावकों के बच्चें पढ़ते है । केन्दीय विद्यालय मानक के अनुरुप इस विद्यालय में सुविधाए उपलब्ध नही है । इस अस्थाई भवन में अभी तक बच्चों के लिए प्रयोगशाला, स्मार्ट कक्षाए, पुस्तकालय, कम्प्यूटर रुम, खेल-कूद से संबंधित आधारभूत सुविधाएं नही है । साथ ही इस अस्थाई भवन में कमरों की संख्या कम और छोटा होने के कारण कम ही बच्चों का प्रवेश लिया जाता है जिससे वहां के गरीब बच्चों का केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश नही हो पाता है जिस कारण वहां के बच्चों का शिक्षण कार्य सही रुप से नही हो पाता ।

अतः सरकार से मांग है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए उक्त केन्द्रीय विद्यालय को NTPC के परिक्षेत्र से बाहर एक नये स्थाई भवन में संचालित किया जाए ।

(xiii) Need to expedite irrigation project for channelizing water of Telhar Kund to Jagdahwah dam in Kaimur district Bihar.

श्री छेदी पासवान (सासाराम): बिहार के कैमूर जिलान्तर्गत सुअरा नदी के बायां दायां तटबंध पर ग्राम-पड़री-पंचकुइयॉ के पास बाँध बनाकर अधौरा प्रखण्ड के तेलहार कुण्ड से गिरे हुए पानी को जगदहवां बान्ध में गिराने की शीघ्र आवश्यकता है । इस असिंचित एवं पिछड़े क्षेत्र में सिंचाई का एक मात्र श्रोत जगदहवां बान्ध हीं है । इस संबंध में अनेकों पत्राचार द्वारा आग्रह किया गया है जिसके आलोक में मुझे अवगत कराया गया है कि बॉध के निर्माण हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा चुकी है । एस0जी0ई0 कंसलटैनसी को डी0पी0आर0 तैयार कर तीन माह के भीतर समर्पित करना है तथा वन विभाग से अनापति प्राप्त कर एवं भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, परन्तु काफी बिलम्ब के कारण किसानों /लोगों में निराशा नजर आने लगी है । वर्षों से सूखाग्रस्त क्षेत्र को जितना जल्द सिंचाई का साधन/श्रोत उपलब्ध होगा उतना ही किसानों को राहत मिलेगी ।

मेरा विशेष अनुरोध है कि यथाशीघ्र उक्त सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु जल शक्ति मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए ।

(xiv) Regarding fencing of the international border with Bangladesh in Jalpaiguri Parliamentary Constituency.

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): My constituency Jalpaiguri shares a long boundary with Bangladesh which is around 32 KM of the border area of Dahagram-Angrapota enclave among others are still to be fenced. This unfenced region is highly sensitive and prone to transborder crimes specially cattle smuggling, infiltration and other illegal activities.

Keeping in view the sensitive nature of the area, I would request the Government to take urgent necessary action for expeditious construction of fence along the border to curb all these cross border activities.

(xv) Regarding construction of multipurpose dam and hydroelectric power project on river Banshadhara in Koraput district, Odisha.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Banshadhara river happens to be the biggest river of undivided Koraput District. The river originates in the border of Thu Rampur in Kalahandi and Kalyansinghpur in Rayagada district of Odisha and runs for about 254 kilometers. The total catchment area of the river basin is about 10,830 square kilometers. Though the river originates in Odisha and passes about 170 KM in Odisha not a single drop is being utilized in the State, where as Andhra Pradesh constructed multiple dams on the downstream course of the river.

There lies a risk of submergence to all the river bay habitats including sub division town Gunupur in case of flood and depletion of ground water level too. Gunupur and surrounding blocks are drought prone areas and agricultural activities are rain dependent. The river being lifeline of my Constituency, I would like to request the Government to construct a multi-purpose dam for irrigation and hydro-electric power project on upstream, in line with Polavaram or Indira Sagar Project on river Godavari.

We demand a centrally sponsored National project to facilitate irrigation and help improve economic conditions of largely downtrodden people of the region. I would urge upon the Government to initiate all that is required to build a dam and hydroelectric power project on Banshadhara river in Odisha.

(xvi) Regarding implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) plays a significant role in addressing the issue of rural distress. Millions of rural workers in the country depend upon the scheme for their survival. Everybody agrees that the Scheme could efficiently save the rural poor during pandemic. Still, the Union Government is neglecting the Scheme and the Scheme is facing many implementation issues. Wages being paid under MGNREGS remain below the minimum wages in many states. Considering the rural inflation, the wages should be revised. There is continuous demand from the beneficiaries and various state Governments for revision of wages and increase in the number of guaranteed working days under MGNREGS. Similarly, complaints about delay in distribution of wages are being reported from many states. I request the Government to take immediate measures to address these issues and better implementation of the scheme.

(xvii) Regarding withdrawal of the proposal to dilute the functions of the Rubber Board.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I request the Government to kindly dispel the apprehensions of the Rubber growers in the country regarding the dilution of the Rubber Act and the Rubber Board. Early this year, the Government proposed the Rubber Promotion and Development Bill, 2022. Accordingly, the Government sought the opinion of all the stakeholders associated with the rubber sector, in which two questions were set forth. These questions were about the responses of the stakeholders to the move to convert the Rubber Act, the Act passed by Parliament, into an executive decree or replace it with a new Act. It was learned that the overwhelming majority of the stakeholders demanded to maintain the status quo. Retaining the Rubber Board in its present form is essential for the survival of 93 percent of the rubber growers in the country, I request the Government to withdraw the move to dilute the functions of the Rubber Board.

(xviii) Regarding stoppages of trains in Arakkonam Parliamentary Constituency.

SHRI S. JAGATHRAKSHAKAN (ARAKKONAM): I represent the Arakkonam Parliamentary constituency in Tamil Nadu. Most of the people from my Constituency like employees, business people, daily labourers etc commute to Chennai daily by train. Hence, the following train stoppages/extension are very much need in Arakkonam.

1. Chennai to Arakkonam Emu trains to be extended upto Sholinghur as more than 200 passengers are commuting daily.

2. Stoppage of Chennai Egmore to Mumbai CSMT(No.22158) at Arakkonam.

3. Arakkonam-Salem EMU (Tranin 16087-16088) stoppage at Thalangai station.

4. Yercaud Express (No.22649-22650), Sri Sathya Sai Prashanthi Nilayam SF Express (No. 12691-12692) and Kovai Express (No.12675-12676) stoppage at Sholinghur Station.

5. Railway Engineering Workshop in Arakkonam has been functioning for the last 150 years. Earlier, the strength of this organisation was around 5500 employees and now only 500 are working which needs to be upgraded.

(xix) Regarding upgradation of Tirunelveli Railway Junction in Tamil Nadu.

SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): Tirunelveli is the sixth largest city in Tamil Nadu. Tirunelveli is a 3000 year old city among the ancient cities of the country. It has an importance of being situated on the banks of the Thamirabharani river. Moreover, Palayamkottai, near to Tirunelveli is referred as the Oxford University of South India. Tirunelveli Railway Junction in my Parliamentary Constituency coming under the Southern Railway, earns a revenue of more than Rs. 100 crore per year. Similar to the expansion works including the air-conditioned facility related work that were carried out recently in the Railway Stations like Bhopal, Byapappanahalli in Bengaluru, Gandhinagar in Gujarat, I strongly urge upon the Government and the Hon'ble Union Railway Minister through you that Tirunelveli Railway Junction should be made an all glittering Railway Station with the required up-gradation and expansion work besides fully air-conditioned facility.

(xx) Regarding road project near Tirupati West Railway Station.

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): The Tirupati West Railway station is an important railway station in the Tirupati district of Andhra Pradesh. It serves as the second station besides the Tirupati main station, falling under the Guntakal Division of the South Central Railway Zone.

Given the close proximity of the Tirupati West Railway Station to many schools and universities, there is an essential need to construct a road from the Tirupati West Railway Station passing through the Padmavathi campus school back side to the West Church. This road project is essential for the development of the Tirupati West Railway Station as it will provide great convenience to the students, employees and residents in that locality.

Several representations to this effect have already been communicated to the Government but no progress has been made so far. Hence, I urge upon the Government to take necessary action for speedy initiation of work for the said road, which will go a long way in enhancing rail connectivity in the region.

(xxi) Regarding construction of an EPF office at Jangipur in Murshidabad district in West Bengal.

SHRI KHALILUR RAHAMAN (JANGIPUR): Murshidabad is the home of lakhs of labours to which the Jangipur catchment area contributes the most. Poor labours, especially bidi workers are not conversant with digital technology and are unable to carry out the work related to EPF Office with ease. They have to travel to Berhampur, nearly 150 km, which is both time-consuming and expensive. Moreover, the Berhampur EPF office is the only office serving three constituencies (Jangipur, Berhampore, Murshidabad). Hence, EPF office at Jangipur will reduce the burden.

On my earlier appeal on this subject, the Ministry of Labour and Employment replied that labours can visit the online portal of EPFO but labours are mostly uneducated with zero knowledge of technology. They are bound to be present physically in the EPFO. As per the Ministry, Jangipur has poor internet facilities which makes Jangipur unsuitable for EPFO but the ground report is absolutely opposite. Jangipur has a Sub-Divisional Office, Court and Banks with excellent and uninterrupted high-speed internet facilities servicing people at their best.

Through this House, I strongly demand to reconsider my proposal with the ground-level survey and request to take positive action to construct an EPF office at Jangipur for sake of poor labour.

(xxii) Need to construct a new building in place of dilapidated building at Thane Railway Station

श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे): ठाणे रेलवे स्टेशन पर बनायी गई पुरानी जर्जर इमारत पूरी तरीके से खतरनाक हो चुकी है इसे ढहाने हेतु एवं उसके स्थान पर एक नई सुसज्जित इमारत का निर्माण करने के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाई की जाये ।

(xxiii) Need to implement 'One Nation One Power Tariff' policy in the country.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): केन्द्र सरकार देश में सभी राज्यों को बिजली की आपूर्ति करती है, किन्तु सभी राज्यों ने बिजली की दरें अलग-अलग निर्धारित कर रखी है । जिसके कारण विकसित प्रदेशों में बिजली खरीद की दरें काफी कम है । किन्तु बिहार जैसे पिछड़े राज्य को अधिक दर पर बिजली खरीदने के कारण उसके आंतरिक विकास में बाधा पहुँच रही है । इसलिए केन्द्र सरकार का दायित्व है कि देश के हर नागरिक का समान रूप से कल्याण करे । बिहार के मा**ननीय** मुख्यमंत्री जी इस बात को हमेशा से उठाते आ रहे हैं । प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की छठी बैठक में भी उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि देश में एक समान बिजली की दरें निर्धारित की जाये । अगर यह लागू होता है तो इससे बिहार जैसे अति गरीब राज्य को फायदा होगा । बिहार आज देश के अन्य राज्यों से सबसे मंहगी बिजली खरीद रहा है । मसलन-पड़ोसी राज्य उड़ीसा को तो बिहार से आधे रेट पर बिजली दी जा रही है । बिहार को हर साल हजारों करोड़ रूपये बिजली पर अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं । पहले जहाँ 500-700 मेगावाट की खपत थी, वहाँ आज बिहार 6500-7000 मेगावाट बिजली खपत कर रहा है । जो पैसे विकास पर खर्च होने चाहिए, वह बिजली में खर्च हो रहा है । ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अन्य राज्यों को सस्ती बिजली की यूनिट दरें मिलने के बजाए बिहार औसतन 52 पैसे अधिक दर पर प्रति यूनिट बिजली खरीदने में खर्च कर रहा है । मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि देश में वन नेशन, वन पॉवर टैरिफ पॉलिसी को तुरन्त लागू किया जाये ।

(xxiv) Regarding appointment of security guards in ATM booths of Banks.

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): The banks decide on their own to do away with security guards at their ATM booths. This is wrong and breaches the moral responsibility of the banks towards their customers. We are asking for appointing permanent security guards instead of outsourcing security services in banks. Running the ATM booths without security guards tantamount to breach of trust that the customer has on the banks. Increasing number of cyber crimes are being reported in the ATM booths. It is essential that security is beefed up and surveillance enhanced. Withdrawal of security from the ATMs is an act of utter imprudence and exposes nearly 5 million debit card holders to grave risk.

Hence, I urge upon the Hon'ble Minister of Finance to intervene to reinstate security guards in all the ATM booths, both on and off side. This has to be mandatory and any untoward incidents or crimes in the ATMs will be the responsibility of the RBI and the government in effect.

(xxv) Regarding provision of immigration facilities at Kollam Port.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Lack of Immigration and Plant Quarantine facilities are the main hindrances of Kollam Port. Hundreds of foreign ships want the service of Kollam Port for cargo import, passenger service, maintenance options, and crew changes. The international shipping channel is passing very near to Kollam Port and is one of the safest ports for ships to anchor even during rough weather. If operations are properly facilitated, it can bring a lot of business, logistics and job opportunities. It is reliably learnt that State Government arranged all infrastructure facilities for functioning of Immigration center at Kollam Port and Immigration authorities rejected the permission after inspection without considering the importance of the port.

Hence, I urge upon the Government to ensure the development of Kollam Port by providing immigration check point with the available facility and give reasonable time to the State Government for additional arrangement.

(xxvi) Regarding access of advanced medical technology for patients suffering from heart valve disease.

DR. LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR): A large population in India suffers from valvular heart disease. While degenerative heart valve diseases mainly affect older people, developing Countries witness the prevalence of rheumatic heart valve disease, affecting the younger population.

Medical technologies to deliver better/safer patient outcomes are some developments over the past six decades. Pioneering work in heart valve replacement started in the early 1950s. Mechanical valves were introduced to replace the natural valves in the human heart and treat valvular heart disease. However, one of the inherent limitations of this technology included requiring patients to be on life-long blood thinners.

A better solution was proposed in the 1970s with the development of biological tissue valves using either porcine (pig) or bovine (ox) pericardium, allowing patients to lead a better quality of life. However, tissue valves presented degeneration limitation and required repeat surgery. The newer tissue valves exhibit evidence of upto 30 years of longevity among patients over 60 years.

The most recent revolution is the advent of transcatheter valve replacement as an alternative to surgical intervention in severe aortic stenosis patients. Transcatheter aortic valve implantation does not require open-heart surgery.

I urge upon the Government to create an enabling environment to access advanced medical technology for all patients.

14.02 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Problem of drug abuse in the country and steps taken by the Government thereon

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ।

… (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): *Thank you, Hon'ble. Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak under rule 193. Drug abuse is a very serious issue.*

माननीय अध्यक्ष **:** यह भी बोलें कि शायद सदन में इस विषय पर पहली बार चर्चा हो रही होगी । अधीर रंजन जी, इस विषय पर पहली बार चर्चा हो रही होगी न!

… (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: * Sir, in all party meeting, we had demanded a discussion on this issue and I thank you for acceeding to our request*.

मेरे हिसाब से यह आज देश में सबसे जरूरी मुद्दा है, क्योंकि हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात करते हैं । लेकिन, ऑल पार्टीज़ मीटिंग में इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में जब मैंने अपने राज्य और अपने आस-पास के राज्यों के बारे में बात की तो मुझे पता लगा

…. English translation of this part of the speech originally delivered in Punjabi.

कि ऐसे हालात सभी राज्यों में हैं । नशे के साथ हमारे देश की जवानी किस तरफ जा रही है, इससे मैं भी चिंतित हूं और मेरे ख्याल से सारे सदन को भी इसके बारे में चिंतित होना चाहिए ।

*Sir, let me say, the month of December is very important for the Sikhs. Punjab has been the land of Gurus, Saints etc. It grows bumper foodgrains. It is the land of gold. The history of Punjab resounds with sacrifices and martyrdom of our Guru and his sons. We are standing in the capital of India. This is the place where our 9th Guru Shri Guru Tegh Bahadur ji attained martyrdom to save the Hindu religion in Chandni Chowk. This is the only instance in the world where someone sacrificed his life to save another religion. His son Guru Gobind Singh ji's Gurpurab falls on 29th December. At the tender age of 9 years, Guru Gobind Singh ji saw the martyrdom of his father. Over 13-14 battles were fought by him against Mughal tyrants. All four of his sons, the sahibzadas sacrificed their lives but did not give up their religion. They were 7 years and 9 years old and the two of them were walled alive but they did not change their religion. Guru Sahib, when asked about their martyrdom, said, "My four sons have attained martyrdom but thousands of my followers will remain alive due to the sacrifices of these four" he sacrificed his mother, father and all sons but remained true to his cause. Such an instance cannot be seen anywhere. I am proud of my land of Punjab that is land of such great Gurus and saints.

.... English translation of this part of the speech originally delivered in Punjabi.

.

Fighting against tyranny and injustice and not giving up one’s religion in the face of tyranny is ingrained in every person of Punjab. Our religion has taught this to us.

I am also pround of the fact that in the freedom struggle, Punjabis were at the vanguard. History is replete with instances of Punjabis being exiled to Andamans and Punjabis hanged during freedom struggle. 80% sacrifices were given by Punjabis. We are proud of this fact.

Sir, in the post-independence era, during fight against Emergency, the Akali Dal led groups of volunteers who protested against Emergency and courted arrest.

The first group was led by Sardar Prakash Singh Badal. We did not bow but fought fill the last day.

Our Punjabis and Sikhs were at the forefront during the wars against China in 1962 and against Pakistan in 1971. Maximum gallantry awards were won by Sikhs. We followed the Slogan of Jai Jawan, Jai Kisan.

Sir in the 1960s, people in India were dying of hunger and starvation. Foodgrains had to be imported from foreign countries. But, Punjab rose to the occasion and Punjabis and Sikhs ushered in the Green Revolution. Punjab has just 3% land of India and just 8% population of entire India. But, we ushered in the Green Revolution and we have been feeding the countless people of India

for the last 60 years. 70% foodgrains are being contributed by our hardy Sikh farmers in the Central pool.

I am proud of the precedence set by our community and religion to act according to the slogan of 'Jai Jawan, Jai Kissan'. Whether it is protecting the independence of India or feeding millions of Indians, Sikhs and Punjabis have been at the forefront.

But Sir, someone has cast an evil eye on Punjab. In the last few years, since 2014, such things happened in Punjab that no Punjabi could even think of. In 2014, the hon'ble Chief Minister was moving forward by taking all sections together with brotherhood and harmony. Punjab was progressing by leaps and bounds. Roadways and highways were coming up. Airports were coming up. Round the clock electricity was being provided. Poor were being given flour. The then Punjab Government provided all facilities to our people. Peace and law and order was prevailing in Punjab. Punjab was moving ahead in all positive parameters. Whether it was agriculture, or education or health, Punjab was number one.

But, in 2014, such a party was born in Punjab which has spread its tentacles in Punjab in 2022. In the last 8 years, these parties have brought Punjab to its knees. I am pained and also afraid at the direction that Punjab is taking. In 2015 such adverse things happened in Punjab that is the stuff of nightmares. The drug-menace fell victim to politics. Attacks took place on our holy books and many things were said against our Gurus. All parties united to

pull down a progressive Government. In Punjab, contemporary Chief Minister was deliberately belittled by all parties. Later Government took an oath on Gutka Sahib that they will do away with drugs in 4 weeks. 5 years passed. No one could do the needful. Next Chief Minister also failed to check the menace of drugs. These were people who encouraged the use of intoxicants in every household.

For ten days, politics was played. Chief Minister was changed. D.G.P. was changed. They indulged in taking political mileage. But, the youth of Punjab fell on bad days. They promised to waive off farmers' loans. However farmers continued to commit suicide. They promised to provide jobs to common man. It never happened. Their relatives got plum jobs. Unemployment and drug-abuse became rampant. Then they said that our Chief Minister is not up to the mark. They changed their chief minister. But their next Chief Minister sold Punjab and went away. When there was a raid, 10 crore unaccounted rupees were recovered from his relative's place. After 10 months, the Chief Minister has returned from a foreign country now. This party captured Punjab by making false promises of 'change'. In 10 months Punjab has gone from bad to worse.

The hon'ble Supreme Court has passed strictures against the Punjab government.

I think, the whole House knows that the present Chief Minister of Punjab, when he was a Member of Parliament, used to sit in that corner of the House.

The earlier ...[#] Speaker will tell you about the number of complaints against the present Chief Minister of Punjab in this House. His own party Member wanted to get his seat changed. Such is this Chief Minister that when he was an M.P., he used to come to Parliament in an ... [*] condition. Now, he is running the State of Punjab. (*Interruptions*) Bittu ji, why are you feeling uncomfortable. I know, he was your friend.*

सर, चार दिन पहले हमने उन जवानों को नमन किया, जिन्होंने अपनी शहादत इस पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए दी । हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, जब वे एमपी बने तो पूरे पार्लियामेंट की वीडियोग्राफी बाहर से लेकर अंदर तक कराई । अगर किसी को नहीं भी पता हो, हमारे देश के जो दुश्मन हैं, उनको अच्छी तरह से पता लग जाए कि कहां से अंदर जाते हैं, कहां से बाहर जाते हैं । इसके लिए स्पीकर साहब ने एक पूरा सैशन उनको बाहर का रास्ता दिखाया था । इस संबंध में एक कमेटी बनी थी । महताब जी उसके मेंबर थे । पूरा सैशन वे बाहर रहे । यह उनकी सोच थी और यह उनकी समझ थी । वे 11 बजे पता नहीं क्या ... [#] आते थे । आसपास के सारे मेंबर्स बोलते थे कि हमारी सीट बदल दीजिए । जब वे बोलते थे, पहलवान जी कहीं बैठे होंगे, वह जाकर उनको ...[#] थे कि यह क्या हो रहा है? ये हालात हैं । ये हमारे बदलाव वाले मुख्य मंत्री बन गए । मुख्य मंत्री तो क्या हैं, उनके ऊपर दो सुपर मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं । उन्होंने तो चलो अपनी शादी करा ली । …(व्यवधान) शराब नशा नहीं है तो क्या है? मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूं कि नशे से इंसान का क्या हाल हो रहा है? मुख्य मंत्री के ...[#] का यह हिसाब है, तो स्टेट का क्या हिसाब होगा? आप सोचिए कि दस महीनों में वहां क्या हुआ होगा?

[#] Expunged as ordered by the Chair

[*]....* English translation of this part of the speech originally delivered in Punjabi.

दस महीनों में नशे से यह हालत हो गई है, आज सड़कों पर लिखा होता है कि 'do not drink and drive'. यहां पर ड्रिंक करके स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं । केजरीवाल जी कहते हैं, वर्ष 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए अपने माता के सिर की कसम खायी थी कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि इन्हें इलेक्शन जीतना था । केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बड़ी कुर्बानी की है, भगवंत मान जी ने इतनी कुर्बानी की है, इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता है । सर, वे तो कुर्बान हो गए और मुख्यमंत्री बन गए । पिछले दस महीनों में पंजाब का क्या हाल हुआ? मैं एक नेशनल शेम से शुरूआत करना चाहती हूं, क्योंकि कुछ महीने पहले वह पंजाब के बारे में चर्चा करने जर्मनी गए थे । लेकिन चर्चा केवल यह होकर रह गई कि लुफ्थान्सा की फ्लाइट से पहली बार एक मुख्यमंत्री को ऑफलोड किया गया । क्या कभी किसी ने सुना है कि इस देश में किसी मुख्यमंत्री को जहाज से ऑफलोड किया गया हो, लेकिन लुफ्थान्सा की फ्लाइट ने उनको ऑफलोड कर दिया क्योंकि मुख्यमंत्री ...* की हालत में थे और वे जहाज में चढ़ नहीं पाए ।

एविएशन मिनिस्टर जी ने कहा था कि मैं जांच करूंगा और जांच करके बताऊंगा । पता नहीं जांच क्यों दबा दी? वह इतने अच्छे हालत में थे, उन्होंने कहा कि बीएमडब्ल्यू पंजाब में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रही है । अगले ही दिन बीएमडब्ल्यू ने इसका खंडन कर दिया कि हम कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं । यह हालात नेशनल शेम का है । आप सोचिए कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह असर पड़ रहा है तो राज्य का क्या हाल हो रहा होगा? जिस चीज में वह एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री और कैबिनेट है । इधर गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनके पास जेड प्लस सिक्युरिटी के लिए बहुत ज्यादा अनुरोध आते हैं, यहां के लोग, वहां के लोग सिक्युरिटी के लिए आ रहे हैं । अगर किसी की सिक्युरिटी विदड्रा करें तो उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडराता होगा । आप यह सोचिए । यह मुख्यमंत्री बदलाव की बड़ी-बड़ी

* Expunged as ordered by the Chair

बातें कर रहे थे, भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, इलीलगल सैंड माइनिंग बंद कर देंगे । केजरीवाल कहते थे कि चार हफ्तों में क्या, दस दिनों में डीजीपी के हुक्मनामे से यह खत्म हो जाएगा । भ्रष्टाचार रोक कर 35 हजार करोड रुपये कमाऊंगा और हरेक औरत को हर महीने एक-एक हजार रुपये दूंगा, सभी के बिल जीरो कर दूंगा । ऐसी बड़ी-बड़ी बातें कीं, जैसे इन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे और कर्ज माफी करेंगे, इसने उससे भी बड़ा …* बोल दिया । सर, देखिए कैसे कांग्रेस डिफेंड कर रही है, बिट्टू और औजला साहब आज आम आदमी को डिफेंड कर रहे हैं, इसे समझिए, यह कौन सी खेल खेली जा रही है । … (व्यवधान) ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करके सरकार बनाई । यह कहते थे कि सारा नशा खत्म कर देंगे, केजरीवाल 10 दिन में नशा खत्म करने के लिए कहते और भगवंत मान कहते कि 3 महीने में नशा खत्म कर देंगे ।

सर, अभी तो शुरू किया है । मेन मुद्दा पर आने दीजिए, पांच मिनट दे दीजिए । पिछले 10 महीनों में पंजाब की क्या हालत हो गई? एक मुख्यमंत्री रिस्पान्सिबल पोजिशन पर बैठे हुए हैं और सिक्युरिटी विदड्रा करते हैं, उसमें अपोजिशन की करते है, सिंगर की करते हैं और सिक्युरिटी विदड्रा करने के बाद अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं । सोशल मीडिया में डालकर इनकरेजमेंट करते हैं कि अब आओ और इनको पकड़ लो । सबसे पहले पंजाब का एक रिनाउन्ड सिंगर सिद्धू मूसे वाला की हत्या हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री ने सिक्युरिटी विद्रा करके दुनिया को बता दिया ।

माननीय अध्यक्ष: आप विषय पर बोलें ।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: सर, इसके बाद एक के बाद एक कत्ल हो रहे हैं, कभी कबड्डी प्लेयर का कत्ल हो रहा है, कभी सिंगर का हो रहा है । आरपीजी रॉकेट लाँचर ग्रेनेड से जंग में लड़ाइयां होती हैं, आरपीजी रॉकेट लाँचर से इंटेलिजेंस के दफ्तर में अटैक किया जा रहा है । इन सारी चीजों को देख कर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी … (व्यवधान)

---

* Not recorded.

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Please speak on the subject. … (*Interruptions*)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: सर, कांग्रेस को क्यों पीड़ा हो रही है?

माननीय अध्यक्ष: आप विषय पर बोलें, माननीय सदस्य आप विषय पर बोलें ।

… (व्यवधान)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: I am speaking on the subject. … (*Interruptions*) It is my wish what I want to speak. (*Interruptions*) You can speak when you get a chance to speak. … (*Interruptions*) आपने कभी आरपीजी रॉकेट लांचर्स ग्रेनेड देखा नहीं होगा, जिस इंटेलिजेंस का काम सिक्योर रखना होता है, उसके दफ्तर और पुलिस स्टेशन पर अटैक होता है । नशा, एक्सटार्शन, गुंडागर्दी और लूट इतनी बढ़ गयी है कि कोई भी सेफ नहीं है । सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पंजाब नशा और लिकर के साथ खत्म हो रहा है और देश भी खत्म हो जाएगा ।

इसमें सरकार को फटकार लगाई कि आपने पिछले दो सालों में, इन्होंने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 31,000 केसेज़ की एफआईआर दर्ज की हैं । पता है, चालान कितने पेश किए? केवल तीन चालान पेश किए । … (व्यवधान) इधर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि इस हिसाब से देश का क्या रह जाएगा? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपस में चर्चा न करें ।

… (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि आज हमारा देश, जो ड्रग्स स्मगल किए जाते हैं, … (व्यवधान) ड्रग्स फॉर स्मगलिंग में पूरे देश में पंजाब नंबर वन पोजीशन में

है, आप देखें कि ये ड्रग्स पूरे देश में सबसे ज्यादा यह राज्य फैला रहा है । ... (व्यवधान) एनडीपीएस का अपना डेटा है । ... (व्यवधान) महोदय, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि इधर तो छोड़िए, आज हमारे देश की सुरक्षा भी खतरे में है । आप सोचें कि आर्मी ने हाई कोर्ट को बोला है कि जो इल्लीगल, नाज़ायज माइनिंग हो रही है, उस माइनिंग के कारण देश की सुरक्षा के ऊपर भी खतरा है । ... (व्यवधान) इसके साथ देश की सुरक्षा को भी खतरा है । सर, आज हमारे लोगों को मारा-पीटा जा रहा है । ... (व्यवधान) इतना सारा नशा ... (व्यवधान) इन लोगों के टाइम में तो ... (व्यवधान) नाज़ायज लिकर के बारे में क्या कहें? इनका अपना मंत्री सिखी साईं एमपी ढिल्लों, उस हाउस में मैम्बर थे । इनके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी कि आपकी पुलिस और लीडर का नेक्सेस सीबीआई को दीजिए । बताइए, सीबीआई को क्यों नहीं दिया? मैं तो मंत्री जी को कहूंगी कि सीबीआई को दे दें । ... (व्यवधान) लेकिन मैं इन सबसे यही कहना चाहूंगी कि यह गुरुओं और पीरों की जो धरती है, आज ऐसे नशों के काबू में आ गई है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, एक घर के दो नौजवान बच्चे हों, न्यूली मैरिड लेडीज़ हों, घर-घर तक, कोने-कोने तक नशा इन्होंने पकड़ाया, भिजवाया और अपने ... (व्यवधान) मुख्यमंत्री को फेल करार देकर बदला । ... (व्यवधान) सर, मेरी कांस्टीटुएंसी में औरतें और लोग जाकर बताते हैं कि नशा बेचा है तो पुलिस उन्हीं को मारने लग जाती है । नशों के साथ, लिकर के साथ, ड्रग्स के साथ आज पंजाब का यह हाल हो गया है कि कोई अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है । लोग अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं । ... (व्यवधान) आप देखें कि 20 साल के बच्चे के मां-बाप के पास सिर्फ सात एकड़ जमीन थी, 40 लाख का एक्स्टार्शन का कॉल आता है, वह बेचारा कहां से देगा? बच्चे को मार दिया । ... (व्यवधान) हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिसने इसको मारा, सिद्धू मूसे वाला को मारा, गैंगस्टर कैनेडियन है, उसको अमेरिका में अरैस्ट कर लिया है, गैंगस्टर सरेआम जाकर मीडिया के सामने कह रहा है कि मुझे तो किसी ने अरैस्ट नहीं किया ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बार-बार नाम मत लें ।

… (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: इधर कोई राज नहीं है । … (व्यवधान) जंगल राज चल रहा है । गैंगस्टर पंजाब को चला रहे हैं, जेल के बीच में बैठकर चला रहे हैं ।… (व्यवधान) यह सरकार पंजाब के पैसों से जाकर, देश भर में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को चमकाने में लगी हुई है । … (व्यवधान) मैं पूछना चाहती हूं कि ये कहते थे कि 35,000 करोड़ रुपये करप्शन से बचा लेंगे, ये तो 1 लाख करोड़ रुपये का कर्जा पंजाब पर पांच सालों में चढ़ाकर चले गए, … (व्यवधान) दफा होएं, … (व्यवधान) इन लोगों ने चार महीने में 15,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया । आप जानते हैं कि जितनी इल्लीगल लिकर है गुजरात जा रही थी, सारी गाड़ियां पकड़ी गईं । कोर्ट ने पूछा कि You are going soft on them? जितनी ऐड्स, फुल पेज की एड कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलती हैं और सबसे ज्यादा फेसबुक ऐड गुजरात में चलती हैं । पंजाब का पैसा लूटकर पंजाबियों को नशेडी बनाकर … (व्यवधान) सर, ये जो नार्को-टेररिज्म चल रहा है । … (व्यवधान) हमारा एक बॉर्डर स्टेट है । … (व्यवधान) (This weak Government is helping Pakistan; ours is a border State. People are running to foreign countries from Punjab.) हमारे खेत कुछ उस तरफ हैं । आपको पता है, नीचे से टनल लगाकर ड्रोन्स के थ्रू आर्म्स पंजाब में फेंके जा रहे हैं, ड्रग्स फेंकी जा रही हैं और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है ।

सर, पंजाब के हालात ऐसे हो रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को पंजाब में रखना नहीं चाह रहे हैं । They put Punjab in the jaws of drugs. Drugs have made their way into schools, ...* people spread drugs into every household. Our youths have been ruined. चलो मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं । … (व्यवधान)

माननीय सभापति: रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

…*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): जिसे सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है । यह तो मैं नहीं कह रही हूं, सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, You are going soft. What are you doing? सर, मैं आग्रह करती हूं कि इसे थोड़ी संजीदगी से लिया जाए । इससे बॉर्डर स्टेट खराब हो जाएगा । Punjab today is a burning volcano or a smoking volcano which is on the brink of a civil war if it is not controlled and the Government is only interested in looting Punjab and spending it to make Kejriwal and his Government shine across the nation. I appeal, through you, Sir, that this may be taken very seriously.

पंजाब की जवानी इससे खत्म होती है । यह नशा सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है बल्कि यह देश भर में फैल रहा है, चाहे वह हरियाणा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो । गुजरात में बड़ी-बड़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी जा रही हैं । यह पूरे देश को नष्ट करने के लिए जो नार्को टेररिज्म चल रही है, यह सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं है, पूरे देश के लिए है । पाकिस्तान उधर बैठा हुआ है । यह …* सरकार पंजाब में बैठी हुई है । यह जो नेक्सस बना हुआ है, उससे पंजाब और देश को कैसे बचाया जाएगा । शुक्रिया … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री विष्णु दयाल राम जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग आपस में बातचीत मत कीजिए ।

… (व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सत्यपाल सिंह जी ।

आप मौके पर नहीं दिखे, इसलिए मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम ले लिया ।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, आपकी इनायत से मेरी चेयर इधर आ गई ।

माननीय अध्यक्ष : अच्छा ।

बोलिए माननीय सत्यपाल जी ।

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मादक पदार्थों का जो दुरुपयोग इस देश के अंदर या दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में आज यहां पर चर्चा हो रही है । अभी हाल में बिहार में जहरीली शराब पीने से लगभग 100 से 150 लोगों की जानें गई हैं । इससे यह विषय बहुत ही गंभीर हो जाता है ।

<u>14.27 hrs.</u> (Shri Kodikunil Suresh *in the Chair.)*

मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कई बार अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में इस विषय के बारे में, नशाखोरी के बारे में इस देश की जनता को, विशेष रूप से युवाओं को चेताया और इससे बचने की अपील की ।

दूसरी बात, प्रधान मंत्री जी ने पहली बार देश के अंदर वर्ष 2018 में सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण मंत्रालय की ओर से बहुत ही व्यापक सर्वे करवाया, जिसका नाम "*National Survey* on Extent and Pattern of Substance *Use in India*" है । यह देश के सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया । एम्स, 10 मेडिकल कॉलेज, 15 एनजीओ और 1500 लोगों ने मिलकर इस सर्वे को किया । इस देश में किस प्रकार की एक राष्ट्रीय नीति और रणनीति बनायी जा सके, जिससे युवा शक्ति को हम कैसे बचा सकें । मैं आदरणीय प्रधान मंत्री का अभिनन्दन इसलिए भी करना चाहूंगा कि उनके प्रयास से पहली बार इन मादक पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए गए, 15 देशों के साथ

एमओयू किया गया और दो देश, जर्मनी और सउदी अरब के साथ भी इसके बारे में समझौता किया गया ।

मैं इस देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कुछ समय पूर्व उत्तर-पूर्व में बोलते हुए यह कहा था कि यह नशा, नारकोटिक्स हमारे युवाओं को दीमक की तरह खा रहा है । ड्रग एडिक्ट एक अपराध ही नहीं, बल्कि एक विक्टिम और भुक्तभोगी है । उन्होंने मादक पदार्थों के राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चंडीगढ़ के अंदर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और गुवाहाटी तथा गांधीनगर में दो क्षेत्रीय सम्मेलन भी किए । इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं ।

महोदय, मैं अपनी बात एक शास्त्रीय कथन से करना चाहता हूं:-

“अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् ।
अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः॥”

इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जो बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल यूजलेस हो । चाहे वह अफीम हो, चाहे वह गांजा हो, चाहे वह भांग हो, इस दुनिया के अंदर हर एक पदार्थ का कुछ न कुछ उपयोग है । अगर हम यह कहें कि कोई चीज बेकार है, तो यह हमारी अज्ञानता है । ठीक इसी तरह से भगवान और प्रकृति ने इस दुनिया में जो भी पदार्थ बनाए हैं, कहीं न कहीं उनका कुछ उपयोग है, कहीं न कहीं उनका मेडिसनल यूज है ।

ये बात भी पूर्ण सत्य नहीं है कि इस दुनिया में हमेशा से नशाखोरी और शराब थी । जो लोग शुरू से इसको पीते थे, दुर्भाग्य से इस प्रकार के कुछ लोग हैं, जो इस बात का दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं । वे यह भी आक्षेप लगाते हैं कि हमारे ऋषि-मुनि भी शराब पीते थे । ये एकदम नितांत असत्य है । हमारे यहां इस प्रकार के काफी उदाहरण हैं । मैं आप लोगों और इस हाउस के समक्ष एक उदाहरण रखना चाहता हूं ।

उपनिषदों के अंदर एक कथा आती है । हमारे देश में एक राजा हुए थे । उनका नाम अश्वपति था । उनके यहां 9 ऋषिगण गए और राजा ने उनको अपने यहां इन्वाइट किया और कहा कि आप हमारे यहां आकर भोजन करिए । तब ऋषियों ने कहा कि पता नहीं राजा के यहां किस प्रकार का रेवेन्यू आता है, वह कैसे धन इकट्ठा करते हैं, हो सकता है कि वह पाप की कमाई हो, इसलिए हम आपके यहां भोजन नहीं करेंगे । तब राजा अश्वपति ने घोषणा की थी –

न मे स्तेनो जनपदे, न कदर्यो न मद्यपः ।

नानाहिताग्निर्नाविद्वानः न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥

उन्होंने कहा था कि मेरे देश के अंदर कोई भी चोर नहीं है । कोई शराब पीने वाला नहीं है, कोई शराब बनाने वाला नहीं है, कोई जुआ खेलने वाला नहीं है । ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो । ऐसा कोई दुराचारी पुरुष नहीं है, तो इस देश में दुराचार कैसे हो सकता है । इस देश में इस तरह का उदाहरण रहा है ।…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, यह चर्चा मादक पदार्थों पर है या फिर अल्कोहल पर है?

डॉ. सत्यपाल सिंह : महोदय, मैं अल्कोहल पर ही बोल रहा हूं ।…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, इसके पहले भी अल्कोहल पर चर्चा हो रही थी ।…(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : प्रोफेसर साहब, मादक पदार्थों की बात हो रही है । आप बैठ जाइए । …(व्यवधान)

ये अल्कोहल, ये शराब, ये मादक पदार्थ, इनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता है । आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मादक पदार्थों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है । ये समस्या कहां से शुरू हुई? जैसा कि मैंने कहा कि चाहे भांग हो, चाहे अफीम हो, इस देश के अंदर

लाखों और हजारों सालों से ये हैं, लेकिन कैसे ये मादक पदार्थ बन गए और इनका दुरुपयोग कैसे शुरू हुआ, हम लोगों को यह जानने की जरूरत है ।

बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया, तब उन्होंने भारतवर्ष में अफीम की खेती शुरू की । अफीम की खेती शुरू करके, वे उसको चाइना भेजते थे और चाइना से सिल्क खरीदकर अपने देश ले जाते थे । जब मादक पदार्थों ने चीन की युवा शक्ति को बर्बाद करने का काम किया और जब चीन के राजा ने इस बात का विरोध किया, तो आप सब लोगों को मालूम है कि उस समय अंग्रेंजो ने किस प्रकार से चीन के साथ दो युद्ध किए । एक युद्ध सन् 1839 में और दूसरा युद्ध सन् 1860 में हुआ । उन्होंने अपने देश में भी इसको बढ़ाने की कोशिश की थी । चाहे शराब की बात हो, चाहे अफीम की खेती की बात हो । केवल एक अपवाद है । मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्रों को भी यह बात अच्छी लगेगी, ए. ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशन कांग्रेस की स्थापना की थी । पट्टाभि सीतारमैया जी ने हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक एक किताब लिखी है । उसके दो बड़े-बड़े और मोटे वैल्यूम हैं । इस देश के अंदर आबकारी कमिश्नर बने थे ।

उन्होंने सन् 1859 में लिखा था कि “While we debauch our subjects, we do not even pecuniarily derive any profit from their ruin.” अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे । मैं आबकारी/शराब की बात कर रहा हूं । “Of this revenue, the wages of sin, it may in the words of the old adage be truly said that ill-gotten wealth never thrives, and for every rupee additional that the Abkari yields, two at least are lost to the public by crime, and spent by the Government in suppressing it. I, at this moment, see no hopes of reform. I have no doubt whatsoever that if I be spared a few years longer, I shall live to see effaced in a more Christian-like system one of

the greatest existing blots on our Government of India." ये उस समय ए. ओ. ह्यूम ने लिखा था ।

प्रो. सौगत राय: आप कांग्रेस की हिस्ट्री में क्यों पड़ रहे हैं?… (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह: यह मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ । इस देश के अन्दर मादक पदार्थों का दुरुपयोग बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अन्दर विशेष रूप से पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण, पाश्चात्य संस्कृति के कारण एक तरह की मजे की संस्कृति को बढ़ावा मिला है । इस मजे की संस्कृति में शराब है, ड्रग्स है, नारकोटिक्स है, वेश्या के लिए प्रॉस्टिट्यूशन है । इन सबके बावजूद जब दुनिया के अंदर सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर रिसर्च शुरू हुई तो उसके पीछे भी इस मजे की संस्कृति की ही बात थी । अभी मैंने पहले कहा था कि इस देश के अन्दर इसके ऊपर एक व्यापक सर्वे किया गया है । इस सर्वे के बाद एक अंदाजा लगा है कि देश के अन्दर लगभग 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं, जिनमें से करीब 6 करोड़ लोग शराब के ऊपर निर्भर हैं ।… (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Dr. Satya Pal Singh, the House is having a discussion under Rule 193.

डॉ. सत्यपाल सिंह: मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ ।… (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : You are speaking on alcohol, but the discussion is on drugs.

DR. SATYA PAL SINGH: I am discussing that only. Kindly go through and find out about drug abuse, Drug abuse includes alcohol also. I am telling you. It is there … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: You should understand the demography … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please come to the subject.

DR. SATYA PAL SINGH : I am coming to the subject.

HON. CHAIRPERSON: Adhir-ji, please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, we are discussing 'drug abuse in the country', and alcohol does not come under it, sorry. (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Satya Pal Singh-ji, please do not divert the subject. The subject is 'drug abuse' which is a very important issue.

… (*Interruptions*)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I am on a point of order.

HON. CHAIRPERSON: What is the Rule number?

DR. NISHIKANT DUBEY: It is Rule 349(ii).

HON. CHAIRPERSON: Dr. Satypa Pal Singh-ji, just a minute. He is on a point of order.

DR. NISHIKANT DUBEY: Sir, Rule 349(ii) says:

"Whilst the House is sitting, a member –(ii) shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner; " … (*Interruptions*)

सर, 193 पर कोई सब्जेक्ट पर बोले या नहीं बोले, कोई रूल कोट नहीं करता है कि सब्जेक्ट पर ही बोलना है ।… (व्यवधान) 193 पर आप इनको रोक नहीं सकते हैं ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The Chair has already given its ruling.

Dr. Satya Pal Singh-ji, you please speak on the subject.

DR. SATYA PAL SINGH: Yes, Sir.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अर्जुन राम मेघवाल): वे सब्जेक्ट पर ही बोल रहे हैं ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRAPERSON: Adhir-ji, I have already given my ruling. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

डॉ. सत्यपाल सिंह: सभापति महोदय, मैं विषय के ऊपर ही बोल रहा हूँ । मैं मादक पदार्थ अर्थात ड्रग एब्यूज के ऊपर ही बोल रहा हूँ । अगर किसी को यह बात समझ में नहीं आती है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ । मैं यह कह रहा था कि इस पर व्यापक सर्वे हुआ है । मादक पदार्थों की मांग कम कैसे हो, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट काम कर रही है और उसने पता लगाया है कि अब तक देश के लगभग 270 जिलों के अंदर इन मादक पदार्थों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है । सरकार ने 380 इंटिग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेन्टर्स खोले हैं । प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में डिएडिक्शन सेन्टर्स खोले हैं । 80 कम्यूनिटी बेस्ड इन्टरवेंशन सेन्टर्स खोले

हैं । 93 आउटरीच एंड टेस्टिंग सेन्टर्स खोले हैं । इस देश के 272 जिलों में 'नशा मुक्त भारत अभियान' को शुरू किया गया है । मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, जो इस पर निगरानी रखती है ।

सभापति जी, यहां पर 22 जिलों में अफीम की खेती होती है तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए तथा कस्टम्स डिपार्टमेंट के द्वारा पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स पर निगरानी रखी जाती है और दूसरे देशों से हमारे यहां पर जो स्मगलिंग होती है, उसको हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा कैसे कम कर सकते हैं?

गृह मंत्रालय एनडीपीएस एक्ट, 1995 को लागू करने का और अलग-अलग जो इस प्रकार के लोग मादक पदार्थों में सम्मिलित होते हैं और नशाखोरी का काम कर सकते हैं, उनको इस कानून के तहत कैसे चिन्हित और घोषित किया जाए, इसके लिए काम करता है । हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेन्स्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है । मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मादक पदार्थों के दुरुपयोग के क्या-क्या नुकसान होते हैं और नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में काम करती है । इस देश के अंदर जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं और जिनका मादक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल करने में जिनका प्रचलन बढ़ रहा है, उनमें से कुछ विशेष ड्रग्स हैं – ट्रामेडोल, अल्फाजोलम, ब्यूप्रिन, मॉरफिन, एम्फीटामीन, टाइपिसट्यूबलेंट्स, कोडीन बेस्ड कफ सीरप्स, कैटामिन, एक्सटेसी, एलएसडी, मेथाडोन । इन मादक पदार्थों का जो बिजनेस है, यह केवल हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है । दुनिया में इसका एक अंदाज लगाया गया है कि लगभग 400 अरब डॉलर का व्यापार सारी दुनिया में इन मादक पदार्थों का होता है । हमारे देश के बारे में मुझे पता नहीं है कि यह कितना सही है, लेकिन इंटरनेट कहता है कि हमारे देश के अंदर इसका लगभग 360 अरब रुपये का व्यापार होता है । मुंबई में इसके बारे में एक सर्वे हुआ था, उसमें कितनी बात सही है, यह मुझे मालूम नहीं है ।

मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है । नशाखोरी के जो नुकसान हैं, जिनको आज हम यहां डिसकस करना चाहते हैं, सब लोग इस बात को मानते हैं कि इसका स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत परिणाम होता है और बीमारियां आती हैं । बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं । बड़े शहरों के अंदर जितनी हत्याएं होती हैं, उनसे लगभग 6 गुना ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं । उन आत्महत्याओं के पीछे मात्र नशा ही नहीं, दूसरे कारण भी होते हैं, लेकिन नशा एक प्रमुख कारण है । नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि पिछले कई सालों में लगभग आत्महत्या करने वाले 7000 से 9000 लोगों के पीछे नशा एक प्रमुख कारण है । इससे परिवार टूट रहे हैं, डायवोर्स केसेज बढ़ रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं और रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं । रोड एक्सीडेंट्स के पीछे नशाखोरी और शराब पीना बड़े कारण होते हैं । 72 प्रतिशत मामलों में यही कारण पाए गए हैं । सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि हाइवेज की 100 मीटर दूरी तक शराब की दुकानें न खोली जाएं । इससे क्राइम बढ़ता है, मर्डर्स होते हैं । वर्ष 2013 में लंदन में एक कांफ्रेंस हुई थी – पोलिसिंग दि सिटिज । उसके अंदर कैनबरा के एक मेयर आए थे, उन्होंने वहां एक बात कही थी कि जो पब्स चलते हैं, जो बार चलते हैं, वहां पर रात एक बजे तक एल्कोहल और ड्रग्स बिकती हैं । उन्होंने कैनबरा शहर का उदाहरण दिया कि पहले वहां रात एक बजे तक जो पब्स चलते थे, उसको उन्होंने 11 बजे तक किया और 11 बजे तक करने के बाद वहां क्राइम में बहुत कमी आई और कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई । उन्होंने कहा कि अगर मेरा वश चलेगा तो मैं इन पब्स और बार को बन्द करूंगा । इससे महिलाओं के साथ छेड़खानी के केसेज कम होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आती है । अभी पंजाब और राजस्थान का जिक्र हो रहा था । पंजाब और राजस्थान में ड्रग्स का जो मेनेस बढ़ा है, इसके पीछे हमारे पड़ोसी देश का केवल बिजनेस का परपज़ नहीं था । इसके पीछे यह भी परपज़ है कि अगर हमारे बॉर्डर पर स्थित राज्यों के युवा कमजोर होकर ड्रग्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो कल सामरिक रूप से इसका फायदा हमारे दुश्मन देश को होने वाला है । जैसा मैंने पहले कहा था, ड्रग एडिक्शन की जब शुरुआत होती है,

हम अपने स्कूल-कॉलेज और घरों में इसको पीयर प्रेशर और दोस्ती में शुरू करते हैं । किसी ने एक बहुत अच्छा शेर कहा है :

"खुश्क बातों में कहां है शेख़ कैफ-ए-जिन्दगी,

वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है ।"

नशे खाने में जो मजा है, वह मजा खाकर ही मालूम होगा, जब इस प्रकार की बातें की जाती हैं, तब यह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है । हमारे स्कूलों और घरों में संस्कारों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा जिस प्रकार से कमी हुई, उससे ड्रग एडिक्ट्स और मादक पदार्थों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं ।

ड्रग एडिक्ट के बारे में कुछ समस्याएं हैं और प्रैक्टिकल समस्याए हैं । जो लोग ड्रग खाते हैं, उनको पुलिस अरेस्ट करे तो उनको लेकर कहां जाएं? जब मैं मुंबई में पुलिस कमिश्नर था, वहां के कोर्ट मौखिक आदेश करते थे कि ड्रग एडिक्ट को पकड़कर मत लाइए, कोर्ट में इनका क्या करेंगे और जेल का प्रशासन उनको रखना नहीं चाहता है । इसी तरह से बिना ड्रग के उनको विदड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं, उनको रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता है ।

इस ड्रग एब्यूज का हल क्या होता है, जैसा मैंने पहले कहा था कि घर, स्कूल या कॉलेज में नैतिक शिक्षा दी जाए । मैं अपने आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि वर्ष 2020 की हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर पहली बार इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हमारी एजुकेशन के अंदर मोरल एजुकेशन पर जोर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे सही रह सकें । हम इस मजे की संस्कृति में हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ जाएं ।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा । यहां पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं । एनडीपीएस एक्ट में पहले एक संशोधन किया गया था और वह संशोधन यह था कि अगर छोटी क्वांटिटी है तो उनको बेल हो जाती है, मगर कॉमर्शियल क्वांटिटी है तो उनको बेल नहीं

होती है । इसमें यह हो जाता है कि हम छोटी चोरी को माफ कर दें और बड़ी चोरी माफ नहीं होती है । एक्सपीरियंस यह कहता है कि ये ड्रग रेकेटर्स कल को ट्रैफिकर बन जाते हैं । ये उसका व्यापार करने लगते हैं । इस वजह से मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और योग, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है ।

महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा कि नशामुक्ति अभियान के तहत हमारे जितने सेंटर्स चलते हैं, चाहे इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हों, आउट रीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स हों, उनका रेगुलेशन और इंस्पेक्शन अच्छा किया जाए । मैं सरकार से एक निवेदन और करना चाहूंगा । मैं जब सीबीआई के अंदर था तो मैं एंटी नारकोटिक्स का चीफ था । मैं एक बार चित्तौड़गढ़ और मंदसौर जिले में भेष बदलकर घूम रहा था । यह बात आज भी है कि किसान वहां अफीम की खेती करते हैं और वहां पर अफीम का सरकारी रेट काफी कम है और ग्रे मार्केट के अंदर उसका 10-15 गुना रेट है । इसलिए वहां पर चोरी होती है, डायवर्जन होता है और डायवर्जन होकर ग्रे मार्केट में पहुंचता है । डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में मैं भारत सरकार का अभिनन्दन करता हूं कि इस पर विशेष रूप से एमएचए और आईबी अच्छा काम कर रही हैं । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को यहां विराम देता हूं ।

[*]श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : I thank you Sir, for giving me the opportunity to speak on the serious issue of 'Drug Abuse' under Rule 193.

Hon. Home Minister Shri Amit Shah ji is here. I have to give him some information and share my apprehension with him. Generally, we talk for or against a subject. How to check the menace, we do not talk about this. An hon. lady member gave a speech here. Her entire speech seemed to be a way to ventilate her frustration about how her party's rule can return in that State. What is the condition of drug abuse in our country.*

सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इण्डिया ग्रोइंग कंट्री है और यहां बहुत पॉपुलेशन है । एशिया के इस खित्ते में हमारा मुकाबला चाइना, पाकिस्तान और अन्य जो इर्द-गिर्द कंट्रीज हैं, उनके साथ है । वे कभी नहीं चाहेंगे कि समय-समय पर इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान मजबूत हो । यही कारण है कि हमारे जितने स्टेट्स हैं, वे सब डिस्टर्ब रहते हैं । वहां टेरेरिस्ट एक्टिविटी रहती है और टेरेरिस्ट के साथ-साथ पिछले 10-15 सालों से ड्रग ने एक नया रूप धारण कर लिया है । अभी जयशंकर जी यूनेस्को में बोलकर आए हैं । उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पर बयान दिया है और बोला था कि जो टेरेरिज्म एक्टिविटी है, वह पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है । जब तक वह इसे बंद नहीं करता, हम उससे बात नहीं करेंगे । मैं जयशंकर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ड्रग टेरेरिज्म पर भी आप ऐसी बात कीजिए, क्योंकि ड्रग टेरेरिज्म का सबसे बड़ा जो माई बाप है, वह अफगानिस्तान है । जो गोल्डन क्रिसेंट है और अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान का जो पहाड़ी एरिया है, उसमें सबसे ज्यादा यह चीज पाई जाती है ।

हमारे देश में कंज्यूमर्स ज्यादा हैं । पिछले लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप के बीच हम ग्लोबल हंगर इन्डेक्स में 101 स्थान पर चले गए हैं । हम पॉवर्टी में नीचे आ गए हैं । आपने हेल्थ

---

[*] ....* English translaton of this part of the speech originally delivered in Punjabi.

इश्यू में देखा है । अगर हम ओलंपिक में मेडल लेने जाते हैं, तो आपने वहां भी हाल देखा है । मतलब दिन प्रति दिन समय गुजरता जाता है और मेरा मानना है कि आरोप-प्रत्यारोप लगा कर देश नहीं चल सकता है । जब तक हम इकट्ठे होकर एक पॉलिसी पर कंक्रीट होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं । सर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस समय-समय पर इसको ठीक करने के लिए काम करता है । ड्रग में 15 वर्ष से 23 वर्ष के बच्चों की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है । 30-35 साल के व्यक्ति जिंदगी के बारे में समझ जाते हैं । एक एनजीओ का सर्वे है कि जितने भी रोगी ड्रग का इलाज कराने के लिए आते हैं, उनमें से 63.6 प्रतिशत रोगी 15 साल से नीचे के हैं, बाकी में से कुछ 20 साल के रोगी हैं और कुछ इससे ज्यादा उम्र के रोगी हैं ।

यह गंभीर चिंता का कारण है । हम यह मानते हैं कि प्रति वर्ष दो करोड़ नए बच्चे और लोग ड्रग एडिक्शन में शामिल होते हैं । वे ड्रग लेना शुरू करते हैं । पर-डे 55 हजार लोग ड्रग एडिक्ट बनते हैं । हमारा मुकाबला विकसित देशों से है । अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, तो वहां पर-डे तीन हजार लोग स्मोकिंग में शामिल होते हैं । हमारे बच्चे नशा तंबाकू, शराब और अन्य चीजों से शुरू करते हैं ।

अभी अल्कोहल के बारे में बात हो रही थी । होम मिनिस्टर साहब ये बातें क्यों आती हैं कि अल्कोहल ड्रग है या नहीं है? इसमें ड्रग ज्यादा है या कम है । हम लोग सर्वे पढ़ कर पार्लियामेंट में बोलने के लिए आ जाते हैं । हमारा रिसर्च सेंटर सर्वे से ही तथ्य लेकर आता है । अभी माननीय सांसद ने कहा है कि 16 करोड़ लोग ड्रग्स लेते हैं, उनमें से पांच प्रतिशत, दो प्रतिशत ड्रग एडिक्ट्स हैं ।

सर, आम लोग जो एक लीटर अल्कोहल लेते हैं, हम उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, 700 रुपए या 1000 रुपए तय कर सकते हैं । इससे ज्यादा से ज्यादा छ: लोग शराबी हो सकते हैं । एक किलोग्राम हेरोइन की कीमत आप अंतराष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ रुपए बताते हैं और स्टेटवाइज उसकी कीमत पांच करोड़ रुपए होती है । क्या आप यह मान सकते हैं कि 1000

ग्राम को मिक्स करके उपयोग करने से 20,000 से ज्यादा लोग एडिक्टेड होते हैं । ये आंकड़े कहां से निकाले जाते हैं? इसके लिए एजेंसीज बनी हुई हैं । वे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में भी हैं । वे देख लेती हैं कि अल्कोहल की बोतल की कंजम्पशन कितनी है, क्योंकि यह लीगल है । यह सब जगह से पता चल जाता है कि कौन-से स्टेट में कितने अल्कोहल की बोतल की खपत हुई है । वे पर बॉटल के हिसाब से आंकड़े दे देते हैं, लेकिन हेरोइन लीगल नहीं है । यह बॉर्डर पार से आता है । वे कोकीन और ब्राउन शुगर से संबंधित आंकड़े नहीं दे पाते हैं । अगर आप नीचे जा कर सर्वे कराएंगे तो इनके आंकड़े अल्कोहल से ज्यादा निकलेंगे । अगर मैं पंजाब की भी बात करूं, तो आप वहां भी देख सकते हैं । बार-बार पंजाब की बात आती है, तो सर मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करना चाहता हूं ।

सर, स्कूलों में छोटे बच्चे होते हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार कोशिश करती है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, ताकि छोटे बच्चे इसके करीब न आएं । मेरा मानना है कि छोटे बच्चों के लिए पांचवी क्लास से एंटी ड्रग एजुकेशन शुरू कर देनी चाहिए । सब कुछ हो रहा है, तो अब बताने के लिए क्या रह गया है । आप बोलेंगे कि यह क्यों बताते हैं? आप यह नहीं बताते है, बल्कि वे घर में यह देखते हैं । जो बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके बाप जब प्रॉक्सीवन खाते हैं, जब वे गोली खा कर सोते हैं, डोडे पोस्त पीते हैं । जब ये सब चलते हैं, तो आप बच्चों को कैसे बचाएंगे? जब हम एजुकेशन देंगे, तो यह हो सकता है कि बच्चे इन चीजों से दूर हो जाएंगे ।

सर, जो गोल्डेन क्रेसेन्ट है – अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान । जो हमारा यह खित्ता है । इन्होंने इंडिया में ड्रग्स स्मगलिंग का एक रूट बना लिया है । पूरे विश्व में नौ हजार टन अफीम की पैदावार होती है । आठ हजार टन केवल गोल्डेन क्रेसेन्ट में पैदा होती है । अब वे वहां तक नहीं रहे हैं कि सिर्फ यहीं पैदा होगी । इसके बाद उन्होंने इससे ब्राउन शुगर तैयार करना शुरू कर दिया, हेरोइन बनाना शुरू कर दिया और कोकीन बनाना शुरू कर दिया । हम ये बातें छोटे में सुनते थे कि मेट्रो सिटीज में रेव पार्टीज होती हैं । वहां ऐसे नशे चलते हैं ।

लेकिन उन कंट्रीज ने हमारी इंडिया को खराब करने के लिए, हमारी सोसायटी को खराब करने के लिए, हमारी अगली पीढ़ियों का नुकसान करने के लिए, हमारे ही कुछ लोग, जो इधर बैठे हुए हैं, उनके स्मगलर बन जाते हैं, कुछ और टेक्नीक यूज करके, इन नशों को इंडिया में भेजना शुरू कर दिया है । अब उनका ध्यान सबसे ज्यादा इसी पर है कि इंडिया की जो छोटी पॉपुलेशन है, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें से मैक्सिमम को ड्रग्स की लत में डाल दिया जाए । अब यहाँ उन ड्रग्स के ज्यादा निकलने के रास्ते बन गए, इसमें कोई शक नहीं कि हर जगह पर चेक पोस्ट्स हैं । हम लोग चेक करते हैं, सिस्टम है, लेकिन एचएम साहब, मैं बड़े ही दुख से कहना चाहता हूँ कि अटारी बॉर्डर पर ट्रक स्कैनर लगा हुआ है । वर्ष 2012 में यूपीए सरकार ने आईसीपी का उद्घाटन किया था ।

आपकी गवर्नमेंट आयी, 10 साल के बाद, पूरी मशक्कत के बाद, वहाँ वर्ष 2018 में रिजिजू जी गये थे और कहकर आए थे कि अब ट्रक्स स्कैनर लग जाएगा । 10 साल की मशक्कत के बाद जब ट्रक स्कैनर लगा, तो पता चला कि ये ट्रक स्कैनर उसके काबिल नहीं है । कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे सिस्टम को आगे बढ़ने नहीं देते हैं । हम तो उलझे हुए हैं, आपका सारा जोर इस बात को कहने पर लग जाता है कि कांग्रेस ने 70 साल तक यह नहीं किया, वह नहीं किया और हमारा जोर यह कहने में लग जाता है कि आपने कुछ नहीं किया । लेकिन वाकई नीचे कुछ नहीं हो रहा है । हमें वहाँ ध्यान देने की जरूरत है ।

सर, देश में कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं । अफीम की लीगल खेती भी होती है, क्योंकि अफीम का इस्तेमाल मेडिसीन्स में भी होता है । इसीलिए यह मान्यता दी गई थी कि ज्यादातर पेनकिलर्स में, जैसे मॉर्फिन के इंजेक्शन हैं, ट्रेडामॉल है, ये सब यूज होते थे । अपने देश में राजस्थान, एमपी, झारखण्ड, वेस्ट बंगाल, यूपी, ओडिशा है, जो नेशनल पॉलिसी है, जहाँ इसकी खेती नहीं भी होती है, तो उनको इससे क्या नुकसान हो रहा है? वहाँ जितनी अफीम पैदा होती है, मेरा मानना है कि अफीम की पैदावार ज्यादा होने से इल्लीगल तरीके से दूसरे प्रदेशों में भी जाती है ।

सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हम पार्लियामेंट में खड़े हैं, हम छोटे थे, तब से ये अलामते हम देखते रहे हैं । कभी अफीम खाने वाला मरता नहीं था, देसी शराब पीने वाला कभी मरता नहीं था । अब हुआ यह है कि जो महंगे ड्रग्स हैं, वे तो ऊपर वाले लेने लग गए और अब गरीब आदमी फंस गया । जो स्मगलर थे, उनके हाथ में क्या आ गया? उनके हाथ में आ गई ट्रेमाडॉल, प्रॉक्सी-1, मॉर्फिन इंजेक्शन है, हाथी को बेहोश करने वाले इंजेक्शन हैं । सर, मैं यह ग्राउंड की हक़ीकत बता रहा हूँ । इन सबको मिलाकर और सभी सस्ते ड्रग्स को मिलाकर ये लोगों ने बच्चों को अब इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है । आप जिस 10 करोड़ रुपए के हेरोइन की बात कहते हैं, वह आम आदमी, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता है, जो स्ट्रीट पर घूमता रहता है । आप स्कूल का सर्वे चेक कीजिए, जो बच्चे पाँचवीं क्लास से गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल होते हैं, वे दसवीं तक जाते-जाते 75 परसेंट आउट हो जाते हैं, वे पढ़ते ही नहीं हैं । रोज़गार तो है नहीं, वे रोज़गार में नहीं लगते हैं । जब वे लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो धीरे-धीरे उनको स्ट्रेस हो जाता है, कई तरह की अलामते हैं और तम्बाकू, सिगरेट आदि से शुरू करते हुए, वे इसमें धीरे-धीरे आगे बढ़ जाते हैं ।

सर, ये जो मेडिकल ड्रग्स हैं, ये इंजेक्शन के तौर पर भी यूज होते हैं, जैसे ट्रेमाडॉल है, यह आदमी के लिए खरीदना बहुत मुश्किल है, अगर आप परची पर लिखवाकर भी लेने जाएंगे, तो बहुत मशक्कत से यह मिलती है । लेकिन पंजाब से कितनी चाहिए, तुरन्त अवेलेबल हो जाता है, चाहे सौ चाहिए या दो सौ चाहिए, वहाँ यह तुरन्त मिल जाती है । जो इसे पैदा कर रहे हैं, जिन फैक्ट्रीज में ये बन रहे हैं, वे दिखाते कुछ हैं और पैदा कुछ करते हैं, इसलिए यह वहाँ तक पहुंच रही है ।

सर, एक तो हमारी लड़ाई जो बाहर बैठे हैं, उनसे है और दूसरे जो अन्दर के दुश्मन, सिस्टम में बैठे हुए हैं, एक लड़ाई उनसे है । इस पर जिन्हें कानून के तहत कंट्रोल करना है, एक लड़ाई उनसे है ।

यदि हम ड्रग्स स्टोर की बात करेंगे, तो हम इस बात को बंद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल की सहूलियत सबको चाहिए । जैसे, कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा बाहर से कंट्रोल होगा, लेकिन जो अंदर का कंट्रोल है, वह इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देने के बाद हो सकता है ।

15.00hrs .

मुझे पता है कि इससे क्या निकलेगा। 70 सालों में आपने इतने लोगों को बीमार कर दिया, इतना ड्रग बेच दिया, यह हो गया, वह हो गया। लेकिन जो हुआ है, हो सकता है कि हम उसी की वजह से इधर आए हों। आपको मौका मिला है, आप इसके ऊपर थोड़ा और अच्छा काम कीजिए।

सर, अब एक रास्ता गुजरात सी-पोर्ट का शुरू हो गया है । हमें यह सुनकर दुख हुआ । हम सोचते थे कि प्राइम मिनिस्टर भी वहां के हैं, होम मिनिस्टर भी वहां के हैं और आप ही की सरकार वहां है । … (व्यवधान) प्लीज, सर, काइन्डली मुझे बोलने दीजिए, यह बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू है ।

सर, सरकार भी इन्हीं की है, लेकिन जब हमने सुना कि तीन हजार किलोग्राम ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पर डीआरआई पकड़ती है, तो हम बहुत शॉक्ड हुए । एक बार नहीं, बल्कि 13 जुलाई, 2022 को गुजरात एंटी टेरिरिस्ट स्कॉड और पंजाब पुलिस के सांझे जतन से 75 किलो हिरोइन पकड़ी जाती है और मई, 2022 में डीआरआई द्वारा 500 करोड़ रुपए की कोकेन पकड़ी जाती है ।

सर, ये जो दो लास्ट कनसाइनमेंट्स हैं, ये हमारे ध्यान में मीडिया के जरिए आए हैं । एक यूएसए से आई है, जहां बोलते हैं कि ड्रग्स वाले को मौत की सजा हो जाती है और एक दुबई से शुरू हुई है । यह एक नया रूट शुरू हो गया है, जहां हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि यह भी एक एरिया है, जहां से हमें ड्रग्स में धकेला जा सकता है । ये कनसाइनमेंट्स तो पकड़ी गई हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कितनी कनसाइनमेंट्स यहां से गुजर गई होंगी ।

पहले हम पंजाब के बारे में सुनते थे । अब जब यहां सांसदों से बात होती है, तो हर कोई कहता है कि यार, मेरे एरिया में भी यह आना शुरू हो गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो महंगा

ड्रग है, वह तो बड़े-बड़े सिस्टम में जा रहा है, लेकिन जो सिंथेटिक ड्रग है, जैसे सिंथेटिकल कोल, सिंथेटिक अफीम, सिंथेटिक चिट्टा, यह सारा इधर तैयार होता है, इधर ही मशीनरी है, इधर ही सिस्टम है । इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा, सबका कोई न कोई जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी की भी खराबी है और हमारे भी कई लोगों की खराबी है । हमें यह कहने में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वहां बीजेपी और अकाली दल का राज रहा है । बहन जी यहां बैठी हुई हैं ।

आपके समय यह चिट्टा वहां इंट्रोड्यूस हुआ था । … (व्यवधान) आप मेरी बात सुन तो लीजिए । मैडम, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप क्यों चिंता कर रही हैं? … (व्यवधान) पांच साल हमने भी कोशिश की । हमारी कोशिश में कैप्टन साहब हमेशा कहते रहे कि हमने 50 हजार आदमियों को अंदर कर दिया । अंदर करना कोई हल नहीं है । कौन से 50 हजार आदमी अंदर किए हैं? जो पेडलर्स थे, जो छोटे पेडलर्स थे, जो पीते थे, उनके ऊपर फोकस यह करने की जरूरत है कि जो पीते हुए फर्स्ट टाइम पकड़ा जाता है या सेकेंड टाइम पकड़ा जाता है, उनके लिए हमें स्किल और डिटेंशन सेंटर्स बनाने होंगे । कोई स्नैचिंग जैसा छोटा काम करता है, कोई चोरी का काम करता है, ये लोग इससे ही आगे बढ़ते हैं ।

इन स्नैचर्स और छोटे क्राइम करने वालों को आप जेल में भेज देते हैं । जेल इस समय क्राइम्स का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, चाहे कोई भी जेल हो । मुझे आपके यहां का तो पता नहीं, लेकिन पंजाब में यही हालत है । वहां टेलिफोन से फिरौती भी वसूल होती है, वहां टेलिफोन से सब कुछ हो रहा है । … (व्यवधान) दिल्ली के बारे में आपको पता ही है । सिद्धू मूसेवाला जी का कत्ल हुआ है, उसकी तारें तिहाड़ जेल, दिल्ली से जुड़ी हैं । आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है ।

सर, जब आदमी नशे में जकड़ जाता है, तो वह अकेला नहीं मरता, उसका पूरा परिवार उसमें मरता है । वह सबसे पहले अपने परिवार को टार्गेट करता है, उसका सामान चोरी करता है,

मां की बालियां बेचता है, बहन का सामान बेचता है, फिर जाकर वह पड़ोसी के यहां चोरी करता है, फिर किसी रास्ते वाले को लूटता है ।

सर, मैं अब इसके हल की बात कहना चाहता हूं । मैंने ट्रक स्कैनर्स की आपसे बात की है, वह बात तो आपसे हो गई है, लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ व्यापार भी बढ़ाना है । जिन्होंने गलत ट्रक स्कैनर खरीदे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए । पाकिस्तान ने वर्ष 2013 में दो ट्रक स्कैनर लगाए हैं, हमने एक लगाया, लेकिन हम दस सालों में कहते हैं कि हम उससे ज्यादा आगे हैं? हमें सोचना होगा कि ये कौन लोग हैं, जो रोकते हैं? हिरोइन उधर से भी आती है ।

सर, हमें नेशनल ड्रग पॉलिसी मजबूत करने की जरूरत है । यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी में जयशंकर जी ने जो मुद्दा उठाया है, वैसे ही दोबारा हमें ड्रग टेरिरिजम का मुद्दा भी उठाने की जरूरत है ।

महोदय, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा माननीय हाई कोर्ट और जो दूसरे कोर्ट्स हैं, उनकी न्याय प्रणाली बहुत धीमी है । पहली बात तो यह है कि आम आदमी ड्रग्स के केस पर किसी के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है । जब ड्रग्स जब्त किए जाते हैं, तो एक जगह रखे जाते हैं । हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जिससे समय पर यह पता चल सके कि यह कौन-सा ड्रग है चाहे ड्रग दुबई में पकड़ा जाए, चाहे हाँगकाँग में पकड़ा जाए, एयरपोर्ट पर जो रिपोर्ट बन जाती है, उसके आधार पर सजा होगी । उसके लिए कोई गवाही की जरूरत नहीं है । हमें कानून में तब्दीली करने की जरूरत है ।

महोदय, गृह मंत्री जी सदन में हैं, उन्हें यह बताना बहुत जरूरी है । हमें एयरपोर्ट पर मशीनें लगाने की जरूरत है, बार्डर पर मशीनें लगाने की जरूरत है। मेरा मानना है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट हैड में, जहां पुलिस है, उनके अंडर पुलिस दीजिए और जो रिजल्ट उस समय आए, उसकी कमेटी बनाकर उस रिजल्ट को अदालत में गवाही के तौर पर लिया जाए ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्री गुरजीत सिंह औजला: हाई कोर्ट में ड्रग्स केस की रिपोर्टें बंद लिफाफे में पड़ी हैं । यदि माननीय हाई कोर्ट रिपोर्ट्स नहीं खोलेगा, तो कौन खोलेगा? तीन-तीन साल से रिपोर्ट्स बंद लिफाफे में पड़ी हैं और इस वजह से लोगों को बेल मिल जाती है । बिक्रम जी की भी बात है । वे कह रहे हैं कि हम नहीं हैं ।… (व्यवधान)

बहनजी, मैं आपकी ही बात कह रहा हूं । वे कह रहे हैं कि हम ड्रग्स में नहीं हैं और हम कह रहे हैं कि ये हैं, तो ड्रग्स की रिपोर्ट्स क्यों नहीं खोली जाती हैं ।… (व्यवधान) यदि रिपोर्ट खोली जाए, तो हो सकता है कि वे शामिल न भी हों या हों भी ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not intervene.

… (*Interruptions*)

श्री गुरजीत सिंह औजला: आप रिपोर्ट्स को खुलवाइए, क्योंकि रोजाना इस विषय पर पंजाब में भी बहस होती है और टीवी चैनल्स पर भी रोजाना बहस होती है लेकिन वे रिपोर्टें कौन खोलेगा? … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

… (*Interruptions*)

श्री गुरजीत सिंह औजला : महोदय, मुझे मालूम है कि माननीय हाई कोर्ट को डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं लेकिन एक कानून लेकर आइए कि जो एक बार या दो बार क्राइम करता है, एक निश्चित समय-सीमा में गवाही की इजाजत दीजिए । जो चौथी बार या पांचवीं बार क्राइम करता है, उसके ऊपर लम्बा केस नहीं चलना चाहिए ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude. Your time is over.

Dr. Kalanidhi Veeraswamy.

… (*Interruptions*)

श्री गुरजीत सिंह औजला: महोदय, जब तक बड़े मगरमच्छ को नहीं पकड़ा जाएगा… (व्यवधान) बहनजी, गुस्सा क्यों करती हैं? चिट्टे आदि ड्रग्स का इल्जाम इनके ऊपर आता है ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. I have already called the other hon. Member. There are many other Members to speak.

… (*Interruptions*)

श्री गुरजीत सिंह औजला: महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पंजाब को… (व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this very important discussion. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalanidhi ji, please wait. Aujla ji, please make your last point in one sentence.

श्री गुरजीत सिंह औजला: सभापति जी, मैं अपना लास्ट पाइंट कहकर बात खत्म करूंगा । हाउस में जो आरोप लगते हैं, उस पर बात करने की जरूरत होती है । इन्होंने कहा कि हमने इमरजेंसी में गिरफ्तारियां दीं । इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने संतोख सिंह जी को कहा था… (व्यवधान) आपको या किसी सरदार को बंद नहीं किया था ।… (व्यवधान) उन्होंने हक में बयान दिया । उन्होंने उसे अकाली दल से बाहर निकाल दिया और किसी ने इन्हें गिरफ्तारी देने के लिए नहीं कहा ।… (व्यवधान)

इनकी वजह से सारा पंजाब संताप भोग रहा है । स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उस समय कहा था कि पंजाब को जो चाहिए, वह ले ले, लेकिन हम इसके ऊपर काम खत्म करना चाहते हैं । ये पंजाब को खत्म करके बार-बार दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं । इनके राज में दस साल चिट्टा बिका है ।... (व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to discuss on under Rule 193 on the problem of drug abuse in our country and the steps taken by the Government.

I would like to quote Thiruvalluvar who has written about everything under the Sun, where he has said:

"*Eendral mugatheyum innadhal enmatru*

Sandror mugathu kali"

Technically, what he is trying to say is this: A mother will not tolerate a son being under the influence of alcohol or any drug abuse. When such is the situation when a mother feels that way about him, what will the learned people of this society talk about that person?

Taking from his words, I would like to say that drug abuse in our country is a huge concern. The major drugs which are being abused are cannabis, opioids, sedatives, inhalants, cocaine, amphetamine stimulants, and hallucinogens.

Though these are common throughout the country and probably in the whole world, it is more common in States like UP, Punjab, Sikkim, Chhattisgarh

and Delhi. India being sandwiched between the golden crescent about which my earlier friend was talking of Pakistan, Afghanistan and Iran on the one side and the golden triangle on the other side right from Thailand from where we get a lot of drugs from both the Eastern and the Western sides.

When we are talking about these drugs that are coming in, we have to understand that they are coming in through ports. The earlier speaker also spoke about the Gujarat port where there was a huge haul of about 3,000 kgs. of drugs that were seized, but subsequently we do not have any idea about what happened to those drugs. What kind of action was taken in the matter? Was anybody held accountable for it? What we are looking at is trying to see how we can protect our country and our citizens from the abuse of drugs.

The second biggest abuse is the abuse of the powers under the NDPS Act. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act is a draconian Act because it treats the drug peddlers and the consumers at the same level. One has to understand that the consumers are teenage kids who have lost their way, and probably most of them are in schools or colleges. The earlier speaker was also talking about the importance of giving these people an opportunity where they should probably be put in rehabilitation centres and not sent to jail. I am saying this because sending these youngsters to jail is a sure way of making them hardened criminals when you are allowing them to co-exist along with the hardened criminals in the jail.

We also know how the NDPS Act is being abused. We know that there was a famous personality whose son was caught in possession of a small quantity of a drug and the rigmarole which followed. The political vendetta, the highlight, and everything was being diverted as if that was the only case that was happening in this country. Everything else in this country was forgotten at that point of time. So, I would urge the Government to ensure and pass a Bill where consumers of drugs are not treated as criminals and are treated as people with a disease. They have some kind of a psychiatric disease and they need support from the Government. To that end, I would urge the Government that you need to have more rehabilitation centres.

When we are talking about the need for rehabilitation centres, there has been a lot of survey that shows that the number of rehabilitation centres in our country is very less. So, I would urge the Government that -- we have about 543 Parliamentary Constituencies -- in each Parliamentary Constituency a free drug rehabilitation centre should be provided. If not two, at least one such centre should be provided in each Parliamentary Constituency to ensure that there are facilities available both as out-patients and in-patients for serious drug abuse victims.

As regards the ill-effects of drug abuse, we have to invest in this because the youngsters are our wealth for tomorrow and if you are going to ignore these children, then the number of people who are going to be economically productive for our country in the future is going to fall because all

these drugs cause great health hazards like increased heart rate, fluctuation in BP and lead to more instances of heart attacks, stroke, psychosis, change in personality, and change in appetite. They also lead to heart diseases, lung diseases, cancer, HIV/AIDS, and hepatitis. The way to prevent drug abuse is to stop these drugs from coming into our country or we can try and reduce indigenous manufacture of these drugs in our country. But the other way is to give these children an opportunity to engage themselves to distract them from these drugs and to engage them productively by starting more sporting facilities. In our State of Tamil Nadu, our hon. Chief minister has initiated a very appreciable scheme where each and every MLA Constituency will have a sports complex with Rs. 3 crore investment from the Government. So, when the State Government of Tamil Nadu can do it, I would request the Union Government to spend at least Rs. 50 crore per MP Constituency to start a sporting complex in each and every Parliamentary Constituency. I feel that this would help the youngsters to stay away from drugs because once you engage them in some kind of sporting activity, the incidents of drug abuse would also definitely come down. The earlier speaker from Mumbai was saying that each and every substance has a use and all those things.

Why is that referred to as "abuse"? It is because when the use is exceeded – in Tamil, we have "*alavukku meerinal amirthamum nanju."* So, when taken in excess, even the nectar can become poisonous. Of course, we have medical substances like amphetamine, ketamine, etc. There are so many drugs used in medicine that are being abused. So, I feel that the

Government should also ensure that these pharmacological agents are kept out of reach of the general public. So, we should implement a system in which prescription drugs are handled with extreme caution; they should not be sold across the table; they should not be given to the general public; and people who provide these kinds of over-the-counter sales of these drugs should face strict penalties, as they are also considered drug peddlers.

Unless we bring in changes like this, I do not think we will go forward. I hope the Government will definitely consider starting a sports complex in each parliamentary constituency, starting a rehabilitation centre in each constituency should be taken up favourably, Sir.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, it is a position that is acceptable in the country. Everyone will accept that. India is facing a great problem and a great challenge to curb drug abuse. It is an acceptable position. There is no blame game in play. This is the position in which we must confront the situation in the country. The United Nations Office on Drugs and Crime World Report of 2022 estimated that around 284 million people use drugs worldwide. The report also claims that India is one of the world's single largest opiate users. Youth in India are among the most affected by drug abuse. I am sorry to say that more than 60 percent of the illicit drugs seized in India are from Punjab. According to the study, more addicts are between the ages of 15 and 35, and many are unemployed. Although it has been said, I want to make it very clear that India is sandwiched between the two largest opium producing regions of the world. That is, the Golden Triangle is on one side, and the

Golden Crescent is on the other side. Now, the Golden Crescent area includes Pakistan, Afghanistan, and Iran. And the Golden Triangle area comprises Thailand, Myanmar, Vietnam, and Laos. During the National Household Survey, more than 40,000 men and boys, aged between 12 and 16, were interviewed. Studies looked at drug misuse among women, prison inmates, and the rural population in the border area. Each state bears responsibility. However, in the case of smuggling from other countries into India, the Central Government must accept responsibility for preventing these smugglings. We are talking about so many ways and means. How do I stop it? We can give a number of suggestions on how to build, how to educate our children, how to educate young generation, etc. But crime has to be prevented at the root itself. If it is not prevented at the source, then simply educating the young generation and others will not suffice.

Who are the parents in the country? These parents are among us. Which parent does not teach their children that no, you must be on the correct path, you do not mix up with these types of people or this category of people? Despite the fact that every parent gives good education and good lessons to their children, unfortunately, these youngsters, who are in the adolescent age, are on the wrong path. Why are they on the wrong path? It is because there are many attractions. In the field, it is not only the drugs; abuse of drugs also brings different colours of crimes.

The crime has to be stopped. The first preventive step to take is that the Central Government has to stop this smuggling itself. Everyone should cooperate with the Central Government. I am not making any remark against anybody but this is my suggestion. This has not been happening for one year, two years or five years. This has not been happening because of this Chief Minister or that Chief Minister. It has been going on for decades. Who was in power in 2004? The survey report of 2018 is with us. The cases are increasing. We have failed. This is not a credit. We have not prevented it. We could not educate our children. This is our fault. This is the fault of the older generation that they cannot teach their children the correct path. Why are such attractions there? Why are there so many cabarets? Why are there so many hotels where children go and stay from evening to midnight? They stay late night also. This is going on and we have failed to stop it. The practical thing is that we have to accept this proposition. I will just give you some statistics on it. As per the Comprehensive National Survey on Extent and Pattern of Substance Use in India conducted in 2018, there is 26 per cent increase in the cases of drug abuse reported in previous decades. Whom will I blame? I will blame the present Government only. Governments after Governments have failed to stop it. Now, the time has come where this Government should stop it. It should be prevented at any cost. It is not the fault of any particular Government. We will blame this Government or that Government. No, we have failed it. The name of the substance is cannabis whose estimated number of users from age 10 to 17 years is 20 lakhs, and from 18 to 75 years is 2,90,80,000 in our country. The

estimated number of users of opiates from 10 to 17 years is 40 lakhs. The number of users of sedative is 20 lakhs; of inhalants is 30 lakhs; of cocaine is two lakhs; and of ATS is four lakhs. These are the figures for people aged from 10 to 17 years. The data pertaining to people aged from 18 to 75 years: the number of users of opiates is 1,86,44,000; of sedative is 5,80,000; of inhalants is 51,25,000; of cocaine is 9,40,000; and of ATS is 15,47,000. Now, applying estimates of prevalence to population figure, the survey estimated that India whose population is over a billion, 62.5 million people use alcohol, 8.75 million people use cannabis, two million people use opiate, and 0.6 million people use sedative or hypnotics.

Around 17 to 26 per cent people are classified as dependent users who need urgent treatment, says the report. There are cases of domestic violence coming into the court. When we hear about those cases, it gives us pain. In almost 75 to 80 per cent domestic violence cases, the women are suffering because of their husband's drug addiction. It is the present scenario of our country. It has to be stopped at any cost. If we really wish that India should progress and our young generation should take our India to a larger extent in the world, we have to stop it. Our young generation has to be saved by any means. If a more coercive step has to be taken and a more coercive law has to be brought, it has to be done.

If we do that, we will be able to save our youths from this menace.

I will tell you very honestly, I cry sometimes remembering why women of our country suffer from so much of domestic violence. Every day, some victim of domestic violence comes and cries. In most of the cases, the cause is drug addiction. I will refer to one case without giving details. One of the richest men in Kolkata married. Rs. 7 crore had to be spent by the bride's father. Within one year and fifteen days, the woman died an unnatural death. Do you know the reason? He was one of the richest men of Kolkata, an Oxford-educated person, coming from a cultured background, having access to Ministers of State and Central Governments. She died because of the drug-addict husband. I do not want to quote the language that was used. I have seen all that. I am seeing such incidents every day. This has to be stopped.

Sir, currently India does not have a system of national or local monitoring for drug misuse. Dr. Rajat Roy, Head of the Centre of Behavioural Sciences at the AIIMS, New Delhi said this. The present scenario of Indian society has entirely changed compared to the earlier times. Now in the urban areas the families are getting nuclear. That is also one of the great problems. There is a need to build enough treatment centres. It has already been suggested. That is a policy which has to be formulated by the Government. We are happy that the hon. Home Minister is present here. Of course, he will take all correct and positive steps. Prevention is one aspect. There is another aspect which is very sad. Application of NDPS Act in a proper manner is always appreciated. But misuse of the provisions of NDPS Act should be deprecated.

It is common scenario now that if you want to pick up someone, file an FIR against him under the NDPS Act. We know that if an FIR is lodged against someone under the NDPS Act, the accused does not have scope to get anticipatory bail under Section 438 of the CrPC. He has to surrender first and then to prove that he was not involved in the case. The burden of proof is shifted to the accused. In several cases, misuse of the Act is taking place. When they are not getting any cases and the superior officer asks them to fulfil the target, they pick up someone and file an NDPS case. This is being done. … (*Interruptions*) Sir, hon. Home Minister is sitting here. A few weeks ago, I was not aware that in Gujarat also alcohol is banned.

I was not aware. One client came to me from Ahmedabad itself three or four weeks back, just before the Gujarat elections. I asked, after the Conference, what is the situation in Gujarat, etc., etc. Then he said that in Gujarat, alcohol is banned, but home delivery of alcohol is available in Gujarat itself, in Ahmedabad itself. Sometimes, you learn to have the degree of tolerance, to face the reality. It is not that I am blaming someone. It is happening. It is whose responsibility; that is not the point. … (*Interruptions*)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री निशीथ प्रामाणिक**): अभी बंगाल में जो इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, उसके बारे में बोलिए न!… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Industry *bandh* is not the issue. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: *…*[*] also accused in one criminal case. Why are you saying so? Do not say it. … (*Interruptions*) Do not go to any other issue. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record.

… (*Interruptions*)….*

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Nothing is going on record. I have already given the ruling.

… (*Interruptions*)…..*

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on this very important issue. Currently, I think, this is the most serious issue our country is facing which is more serious than the border threats, more serious than even the pandemic. This is the worst situation we can be in, in terms of drug abuse in the country. It is very important because it is spreading at a rapid pace. We cannot imagine it. It is growing manifold. It is growing ten times. I think, it is right time that we put aside politics and come with an iron fist to control this.

As per the report presented by the All India Institute of Medical Sciences, around five crore Indians reported to have used cannabis and opioids in 2018. Imagine in a population of 130 crore or 140 crore, five crore people are under the influence of drugs. So, you can imagine what per cent of

---

[*] Not recorded.

our population is using it, and that too in 2018. The report also says that 8.5 lakh people were using injectables in 2018. They say that around 60 lakh people need treatment to get out of this mess. If this is the situation, if cases are going to grow like this, how is the country going to progress?

There was recently an article in *The Hindu*. It was about the comments of some of the NCB officers. It is estimated that close to 10 crore drug users are there in the country, currently. If out of a population of 130 crore, 10 crore people are expected to be drug users or drug abusers, then what is the situation we are in? I think, this is the right time to act. Also, recently we have seen a report released by NCB. From April, 2021, Rs.26,000 crore worth of heroin has been seized. This is only what has been apprehended and seized. What about the other drugs? If you even consider that 10 per cent was caught and seized, the drug trade is more than worth Rs.2 lakh crore or Rs.3 lakh crore. That is the estimate, even if you go by what they have seized. It is just about the heroin they have seized, which is worth Rs.26,000 crore. This is an alarming situation. What the Ministry of Social Justice submitted in the Supreme Court is that 1.58 crore children aged between 10 and 17 years are addicted to drugs. This is a very bad thing for our country. If the young children aged between 10 and 17 years are under the influence of drugs, what future they will have? What impact it will have on the society? It has to be thought out.

Currently, we boast about having the highest population of youth in our country. We say that we have 60 per cent population of youth in our country. But if you see the number of drug users, out of the expected 10 crore drug users, the majority, 80 per cent, are youth. If people lose their career at an age ranging from 20 years to 30 years, even from 30 to 40 years, at the prime time of their life, it is a serious problem for our country. There are various types of drugs. The most common one is stimulant abuse.

Amphetamines are used as stimulants. They make a person hyperactive, euphoric, and energetic. These drugs are being misused by kids. Cocaine is a very common drug. I happened to be in one of the restaurants in Delhi. In its washroom it was written that cocaine is not allowed to be consumed there. I have read it with my own eyes. If such is the situation, it shows the extent of the usage of drugs like cocaine. Where are we going, is the question. Even Adderall, a prescription drug, is being abused extremely. Meths are also being abused. It is known for its euphoric effects. In the extreme case, it may cause depression, and may lead to severe psychological problems, which may end up with permanent disorders. There are two types of Opioids, natural and synthetic, but both are equally addictive and damaging, both physically and psychologically. There was a seizure of Rs.26,000 crore worth heroin. This is one of the major drugs being abused in our country. Prescribed painkillers like OxyContin, Vicodin and Fentanyl are also being abused. Sedatives are also being misused. Hallucinogens have become a part of club culture. There has been a talk about rave party. The effect of

hallucinogens last long. They have an extreme impact on both the psychological and physical conditions of a person. Ecstasy is also being abused widely. So, there are a number of drugs which are being abused. The Government has to take necessary steps to stop this.

There was an article mentioning that drugs are now no longer available in packets or powder form, but are being sold as eatables also. They are being sold as cake, oil or butter. This shows that its use is going to the extreme. We need to take precautionary measures and act in the right direction. I would request the Government to act just like it did during COVID-19 pandemic.

The Government had made available free vaccine for the people of the entire country. Today, we are not under the threat of COVID-19. I would request the Government to take immediate action. All the students, from high school to university, must be screened for drug abuse at the Government level because then only we will know who is under the influence of the drug and who is not. If it is not done, parents will not come to know that their kids are getting addicted to drugs. If the Government is really serious to control drug abuse, screening is an important step, and it must be done every year.

Parents of a medical student from my constituency came to me. The student was in his final year and was very good in studies. He is related to me also. They came and told me that their son is innocent but he has been booked in a drug case. I was wondering why the police has booked him, and I

spoke to the police also. They told me that he was actually paddling drugs to make money for his drugs. These drugs are extremely costly, and students – all the drug users – are getting exploited. If boys are getting exploited like that, you can imagine the plight of the girls who are under the influence of drugs. This is a serious issue which we need to take up.

What is addiction? It is a sign, a symptom of distress. We need to treat the addicts with empathy…. (*Interruptions*) Sir, I have initiated this discussion on behalf of my Party. I have been allotted twenty minutes.

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): He is YSR Congress Party floor leader.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Hon. Chairperson, Sir, they should not be stigmatized. People should not be treated bad because they are under the influence of drugs. We need to give them a chance. We need to see that they recover because most of them are youth. Earlier, we used to see that drug abuse issue was there in cosmopolitan cities or in big cities only, but now, it is prevalent in Tier II and Tier III cities also because drugs are now being manufactured in small rooms. They just need some chemicals to mix up and some small utensils to manufacture drugs. A lot of drug busts have happened these days. Nowadays, they are manufacturing these drugs in small rooms. So, we need to do more than what we are doing right now. We need to put in a lot of efforts. The Government is saying that they have made several laws. But these laws are not enough. We need to come up with more stringent laws.

I think, this matter has to be dealt with an iron hand. There is a huge impact of drugs on the society. It is a threat to our demographic dividend. Drugs are also a threat to the happiness of all the families. If eight crores or ten crores of people are under the influence of drugs, it means that if you take three persons per family, it goes close to thirty plus crores out of the 130 crore or 140 crore population. So, it is not a small thing today. It is a serious issue which needs a serious thought.

Hon. Chairperson, Sir, there is a strong link between injectable drugs and spread of diseases like HIV/AIDS and other infectious diseases. Illegal nature of drug trafficking is prone to money laundering and even terror financing.

Hon. Chairperson, Sir, I think, apart from controlling the usage of drugs, a major step -- which needs to be taken -- is screening. Screening is very important. So, I request the Government to make a decision with regard to screening of all the colleges and institutions. It is good that we are spending money on this issue. If we spend a rupee now, we will save thousands of rupees later in the form of the future of the country.

The Andhra Pradesh Government, under the leadership of Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, has set up a Special Enforcement Bureau exclusively for dealing with drugs and other illegal activities. There have been a lot of busts and a lot of seizures which have happened. A lot control is there. Therefore, the Government of India should set up such an exclusive force or bureau to

control drugs at this moment because this is one of the most important issues in our country.

Before I conclude, I would like to make it very clear. This is above politics. Kalyan Ji was also speaking about it. This is above politics. We do not need to blame any party. We do not need to blame the previous Governments. But we have to look forward and we have to take the right steps so that we can save the future of our country.

Thank you very much.

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, नियम 193 के तहत मादक पदार्थों के सेवन और उसकी रोकथाम पर चर्चा के लिए सदन में विषय लाया गया है। यह देश के लिए बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है। देश के अंदर मादक पदार्थों के सेवन के चलते करोड़ों नौजवान और छात्रों का भविष्य आज खतरे में पड़ गया है। इस देश के अंदर मादक पदार्थ के नशे की हालत में 70 पर्सेंट क्राइम किये जाते हैं। जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें चाहे शराब का नशा हो या मादक पदार्थ का नशा हो, 100 में से 70 लोग नशे की हालत में एक्सीडेंट्स करते हैं। देश के अंदर जो भी क्राइम होते हैं, चाहे किसी तरह का अपराध हो या घरेलू हिंसा हो, कोई भी बिना नशे के ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा करने में आदमी बहुत हिचकता है। अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो उसे लगता है कि हम एक गलत काम करने जा रहे हैं।

लेकिन, वही जब नशे की हालत में होता है तो गलत और सही का उसको पता नहीं चलता है, सही चीज को भी, मादक पदार्थ के नशे की हालत में, गलत काम कर बैठता है, यह समस्या है। देश के अंदर विदेशी शक्तियां, जो हमारी सीमावर्ती हिस्से में आती हैं, एक साजिश के तहत बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के रास्ते हमारे देश में मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर करती हैं। बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के रास्ते मोर्फिन, हेरोइन, अफीम, चरस और ड्रग्स की तस्करी हो रही है और एक बड़े पैमाने पर हो रही है। तस्करों का एक बहुत बड़ा उद्योग-धंधा देश में चल रहा है।

हम सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों की आप ड्रोन से देखरेख कीजिए। हमारी सेना ने, ड्रोन के चलते, बहुत सारे तस्कर पकड़े भी हैं, बहुत सारे हथियार भी पकड़े हैं, बहुत सारे मादक पदार्थ भी पकड़े हैं। इस तरह से निगरानी की जाए ताकि जो विदेशी तस्कर हैं, वे देश में ऐसे पदार्थों की तस्करी न कर सकें।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): आपके यहां क्या हो रहा है?

श्री महाबली सिंह: महोदय, गुजरात में भी शराब पर पाबंदी थी तो क्यों लोग वहां जहरीली शराब पीकर मर गए। उत्तर प्रदेश में क्यों लोग मर गए, हम कहते हैं जहां शराब बंदी नहीं है, वहां क्यों जहरीली शराब पीकर लोग मर जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराब बंदी लगाया है, वह राज्य के हित में किया है।

माननीय सभापति: आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री महाबली सिंह: सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार में शराब बंदी लागू की गई है, उसी तरह से पूरे देश के अंदर नशा बंदी लागू की जाए। चाहे कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, अगर वह नीतियां बनाती है तो देश के अंदर सिर्फ आर्थिक सृजन के लिए नीति नहीं बननी चाहिए, देश के नौजवानों, देश के गरीबों और सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, सिर्फ आर्थिक सृजन के लिए नहीं होनी चाहिए।

हम मानते हैं कि बिहार में शराब बंदी से राजस्व की क्षति हो रही है। … (व्यवधान) गुजरात में लोग क्यों मर गए, उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीकर लोग क्यों मर गए? छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब पीकर लोग क्यों मर गए? मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीकर लोग क्यों मर गए? कोई भी जहर पीएगा तो मरेगा, आप भी जहर पीजिएगा तो मरिएगा, जहर पीने से आदमी मरता है। जहर पीजिएगा तो मरिएगा।

बिहार ही नहीं पूरे देश में जो भी मद्य द्रव्य पदार्थ हैं, जो भी मादक पदार्थ हैं, उस पर सभी जगह रोक लगनी चाहिए। चाहे शराब का नशा हो, मादक पदार्थ का नशा हो, कोई भी नशा देश हित में नहीं है। हम सदन के माध्यम से आज फिर से दोहराना चाहते हैं।

माननीय सभापति: रामकृपाल जी। प्लीज आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री महाबली सिंह: हम तो यही कह रहे हैं कि आप बिहार को ही क्यों लाते हैं? उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं लाते? गुजरात में जहरीली शराब पीकर मरे हैं। वहां की बात क्यों नहीं की जाती? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : राम कृपाल जी, आप बैठिए।

… (व्यवधान)

श्री महाबली सिंह: आपके प्रदेश में जहरीली शराब पीकर आदमी मरे। … (व्यवधान) बिहार में भी मरे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: राम कृपाल जी, जब आपका समय आएगा तब आप रिप्लाई दीजिएगा।

… (व्यवधान)

श्री महाबली सिंह: सब जगह की बात होनी चाहिए, सिर्फ बिहार की ही क्यों हो रही है? … (व्यवधान) बिहार की बात होगी, उत्तर प्रदेश की नहीं होगी, मध्य प्रदेश की नहीं होगी तो बिहार की क्यों होगी? देश भर की बात होनी चाहिए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: हमारा विषय ड्रग एब्यूज़ है। आप विषय पर चर्चा करें।

… (व्यवधान)

श्री महाबली सिंह: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।… (व्यवधान) हम तो इस पर नहीं आ रहे थे, आपने कहा बिहार में क्यों हो रहा है? … (व्यवधान)

माननीय सभापति: राम कृपाल जी, आप बैठिए, आप सीनियर मैम्बर हैं। जब आपका समय आएगा, आप रिप्लाई दीजिएगा।

… (व्यवधान)

श्री महाबली सिंह: बिहार में शराबबंदी के समय बीजेपी भी थी, उस समय थी, आज जब अलग हो गए तो आज ऐसी बातें निकल रही हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप इधर देखिए।

… (व्यवधान)

श्री महाबली सिंह: कल तो बिहार में साथ थे, उस समय शराबबंदी के पक्ष में थे। आज जब अलग हो गए तो सरकार का विरोध कर रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप कन्कलूड करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप इनको रिप्लाई क्यों दे रहे हैं?

… (व्यवधान)

श्री महाबली सिंह: यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, सब परमानेंट नहीं हैं, सबको पूर्व होना है, इसकी चिंता मत करिए। … (व्यवधान) यहां कोई परमानेंट बनकर नहीं आया है। सबको एक दिन पूर्व बनना है। … (व्यवधान)

सभापति महोदय, हम सदन के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अभी जो मादक पदार्थ देश के अंदर है, विदेशी ताकतों के इशारे पर हमारे देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसलिए इसे रोकने के लिए ठोस से ठोस कानून बनाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I rise to speak, on behalf of the Nationalist Congress Party, regarding the problem of drug abuse. I thank my colleagues and friends, Shrimati Badal, Shri Midhun Reddy and Shri Gurjeet Singh Aujla who have initiated this debate.

Sir, drug abuse is a very serious issue and I think the country needs to hear it with one voice from this House that this is not a place to make political speeches. This is a subject where the entire nation must stand with the Government. I think we need to fight against this menace of drug abuse unanimously.

Sir, I stand here because it is a very serious issue for me personally as well for the reason that I grew up in Mumbai and drugs was something which was very far distant. When I went to study in America and came back, there were two people whom we knew were evil or bad in society. One was Pablo Escobar and the other one was of the series which most people have seen called El Chapo. These persons were big drug dealers who controlled almost the world. They started it in South America, then back into America and the whole world knew who these people were. Pablo Escobar controlled money, controlled drugs and controlled media. It was a huge power because he had money in it. The entire economy of the drugs, as per what media says or what one gets in reading, is worth about 650 billion dollars globally. So, it is a huge

business. I think, there is no Government, whether you are sitting on this side or that side, which would support drugs or dealing in drugs.

I think we really need to put our minds together on what we are going to do to stop this and how we can work together with the Government to stop this menace. I feel that I stand here not just as a citizen or a Member of Parliament of this country, but also as a mother of two young children. As a mother, I think that the biggest challenge is किसी माँ को, जब बच्चे बड़े होते हैं और जब वे 17-18 साल के होते हैं तो उसके मन में यह चिंता रहती है कि मेरा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई करे और शराब तथा नशे में न फंसे। हर माँ और फैमिली की कोशिश रहती है कि बच्चा पढ़ाई करे। दोस्तों के साथ हंसी-मजाक कर ले, लेकिन एक माँ को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है, जब उसका बच्चा नशा करता है। So, drug abuse is not an issue in isolation. The entire family suffers when this kind of thing happens. What are we going to do with the new age people?

People are constantly talking about it. My friend, Shir Shivkumar constantly talks about cryptocurrency and Darknet. I would like to bring that issue. I think the Home Ministry really needs to address the entire menace that we are dealing with and how our people are transacting. It is no more just like कहीं गए कोने में और ड्रग्स ले लिए। Now-a-days, you can order it and you can pay through the Crypto or Darknet. We do not have any regulations or rules for it. We have not been able to control it. We taxed Crypto at the rate of 30 per cent when we did not have any rules for cryptocurrency in India. How are you going to handle this drug menace? Last week, our friend from Biju Janata Dal spoke

about the acid attack on a woman. Mehatabji talked about it. The culprit had bought the acid on net. So, net has become a big transacting point. So, the Darknet and Crypto are the biggest challenges for us. There is a huge access to it. Every Government – whether it is their Government or our Government – has always worked making sure that किसी स्कूल या कॉलेज के सामने ड्रग्स न मिले । But we all know it that हर स्कूल और कॉलेज के पास ड्रग्स मिलते हैं, कौन-से ड्रग्स मिलते हैं, मुझे नहीं पता । and they keep evolving with time. Pablo Escobar was in our time. At that time, there was a drug, in 1990s, called 'ecstasy' which was very well known. There is so much evolution now in all the drugs. They are in different forms. They are more potent. They are more chemical oriented. What is the Government doing for streamlining all these things? We want to work with you in this aspect. What is the way by which we can work together? We are all on the same side. This is like COVID-19 war. All of us worked together to fight against the virus. In the same way, we can work together against this horrible menace of drugs. Another thing is the taboo in the drugs. I read a lot about the programme. नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम यह सरकार चला रही है, there are two major gaps that I have seen. We have passed the Mental Health Care Bill in this House. सब समझते थे कि मेंटल मतलब पागल । But that is not how it is looked at. It has got a difference. You can look at the icons in our society. Look at the film actress Deepika Padukone as an example. She said that she was depressive. That is when people started talking about mental health. If Deepika Padukone can be depressed, maybe it is okay to talk about it. So, people need recognition. इसको हो रहा है, मुझे हो रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है । I want to talk about the film actor

Sanjay Dutt. I would like to put it on record. I have seen that case as a young girl.

He was a superstar and an icon for us. But then, he went through drug abuse and came out of it. His family went through a very difficult time. But they fought against it as a family. So, these are success stories. How can we use those icons to tell the children and produce the strength in them to say no to drugs? I think we have to have academic discussions. We need to take all our stakeholders on board, get colleges on board and make a national programme on 'say no to drugs'. Let us not trivialise this issue. Dr. Satya Pal Singh is a very accomplished person. But I wish he had talked about some success stories of Maharashtra. I take great pride in telling them. It does not matter who is in power – whether we are in power or they are in power in Maharashtra. But Maharashtra police have done a wonderful job. He talked about drinking and driving. The best success story in drinking and driving is there in our Mumbai police. They have made sure that no child or parent today is petrified. Today, nobody drinks and drives in Mumbai because the police have done a wonderful job in Maharashtra. We are very proud of them. It does not matter who the Home Minister is. It is the police who have implemented it. Why cannot we talk about such success stories which are all over the country? Sir, there is another small point about the accessibility. Do you think that we can talk about it in school education?

16.00hrs.

It is still a taboo but it exists in society. So, is there something to do about it? During education, can we have some activity-based programmes where children talk about this? It is because these things are available. We banned 'gutka' in Maharashtra, but 'gutka' is still available there even today. The same thing is with drugs. So, what is the best way to prevent it? The main point is about the NCB going through the high profile cases. I would like to put it on record that there are a lot of high profile cases which get discussed on every television channel and sometimes, the person is even innocent. So, how are you controlling all your officers and making them accountable? If they pick up a child, who needs help, he or she does not need to go to jail. They need to go to a rehab centre. They need help.

They are not some convicts. So, I think, we need to relook at this policy. Why should we only go into high profile cases? There are a lot of youngsters – women and men – who are in jails today, sometimes because of the whims and fancies of some officers. So, how are you going to make your officers accountable? If you really want to curb this drug menace, you have to be fair and just with every citizen, every child of the country.

So, you have to give confidence to every parent that the Government is not here to harass their children, but to help their children. That is what the Governments are supposed to do. So, we need a holistic plan and a good support system for professionals to help. We do not have enough

professionals to help these children when they are through this drug abuse situation. So, I think, we need a special education programme also for this. Lastly, I would like to tell the Government again that we are here with them. In one voice, we support this Discussion under Rule 193. Please bring a comprehensive Bill. They should get all the stakeholders on board. We will support the Government.. Let us get this drug menace out of our nation.

Thank you.

PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Hon. Chairman, Sir, on behalf of Biju Janata Dal, I stand here to speak on the Discussion under Rule 193.

16.02 hrs. (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

It is a burning issue. More people are using drugs; and more illicit drugs are available than ever in our country. The COVID-19 led-crisis has made this challenge even more grave.

The vulnerable and marginalised groups, youth, women, and the poor have been harmed the most. While more people use drugs in the developed countries than in the developing countries, and wealthier segments of society have a higher prevalence of drug use, people who are socially and economically disadvantaged, are more likely to develop drug use disorders. The pain in the whole issue is that around 13 percent of those involved in drug and substance abuse in India are below 20 years of age. Nine out of 10 people with drug addiction begin using substances before they turn 18.

It has a very bad impact on the person in particular and society in general. It comes with negative effects like higher risk of unintentional injuries, accidents, domestic violence, and also death. Demographic dividend suffers. It affects relationships with family and friends creating emotional and social problems. It increases financial burden. Drug abuse seriously affects our health, security, peace, and also development. Drug dependence, low self-

esteem, and hopelessness can lead to criminal action and even suicidal tendencies.

However major challenges to curb the drug menace that exists, are: legally available drugs, lack of availability of rehabilitation centres, smuggling of drugs, disproportionate focus of law enforcement agencies on cases of personal consumption of drugs rather than the root issue of drug trafficking, and lack of a distinction between addicts, first-time drug users, and recreational drug users.

Having said about the magnitude, cause and impact, I would like to mention here that under the leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi-ji, our hon Home Minister, Shri Amit Shah-ji has been pursuing a decisive war against the drugs menace, working together with the Ministries of Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilisers, and Social Justice and Empowerment.

We commend the initiatives like strengthening the institutional structure, empowerment, and coordination of all narco agencies, comprehensive awareness campaigns, and de-addiction helplines for support. We also appreciate the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) to strengthen action and cooperation in achieving the goal of a sustainable world, free of substance abuse. The launch of NMBA in 272 Districts across 32 States and Union Territories will go a long way to address the problem in the most vulnerable areas.

I also recall one of the *Mann ki Baat* speeches where hon. Pradhan Mantri *ji* advised young population that addiction is not cool and not a style statement. His way of dealing with most complex problems from all angles is truly praiseworthy.

I would also like to highlight what back home in Odisha we are doing to address this issue. I like to apprise the House that several initiatives have been launched by the Odisha Government under the leadership of Shri Naveen Patnaik to help the young generation to develop a positive attitude that is protective against substance abuse. Our hon. Chief Minister says that in Odisha, it is imperative to give a serious push to efforts to contain drug abuse and drug trafficking so that the emerging problem is nipped in the bud. This can be done by a combination of demand reduction, supply reduction, and harm reduction measures.

The Odisha Government has launched the Navchetana Programme to curb drug abuse among the children. The Programme is being implemented under the National Action Plan for Drug Demand Reduction in 10 selected districts, namely Puri, Cuttack, Jagatsinghpur, Angul, Sundargarh, Khurda, Ganjam, Balasore, Kendrapara and Kalahandi for the next three years to reduce adverse consequences of drug abuse. The Government has directed the District Social Security Officers to implement the Programme as per the State Action Plan prepared in line with the National Action Plan. As a part of the Programme, 10 schools in each of the 10 identified districts are being

taken up to provide education and awareness on drug abuse among the school-going children in the age group of 11 years to 18 years.

The Outreach and Drop-in Centres in five Districts - Cuttack, Puri, Angul, Khurda and Jagatsighpur – have been set up to conduct outreach activities in the community for the prevention of drug abuse with a particular focus on youth who are dependent on substances. A community-based peer-led intervention drive has also been launched in three districts namely, Puri, Angul and Khurda.

To deal with these things, there is an urgent need to prioritise treatment, education, and rehabilitation because stigma, shame, and silence will perpetuate the problem; and channelling funds towards treatment and rehabilitation will go a long way towards addressing the root of drug addiction. As a society, we must collectively envision and take steps to minimise the stigma and discrimination across party lines. Let us move to a health-based and human rights-led approach along with institutional mechanism to address the issue.

Thank you very much.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत ड्रग एब्यूज पर जो डिस्कशन हो रहा है, उस पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

सभापति महोदय, यह किसी से छिपा नहीं है कि आज हमारे छात्र और नौजवान किस तरीके से इस नेक्सस का शिकार हो रहे हैं । मैं नेक्सस इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ड्रग्स कहां से और कैसे आते हैं? बिना नेक्सस और सिस्टम में लूपहोल्स के बिना ड्रग्स स्कूली बच्चों के पास नहीं पहुंच सकते हैं ।

महोदय, आज हम देश की आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं । पूरी दुनिया को हमें देश दिखाना है, जी20 की प्रेजिडेंसी हमें मिली है, लेकिन छात्रों और नौजवानों के जो हालात हैं, वे किसी से छिपे नहीं हैं । पिछले कुछ दिनों में जो खबरें सामने आईं कि कितने हजार करोड़ रुपये की ड्रग्स फलां पोर्ट पर पकड़ी गई, कई बार गुजरात का नाम आया । मुझे मालूम है कि आदरणीय मंत्री जी क्या जवाब देंगे । वे कहेंगे कि साहब, कम से कम हमने पकड़ी, पहले तो यह पकड़ी नहीं जाती थी । मुझे मालूम है कि क्या जवाब मिलने है, लेकिन यह तो चन्द पकड़ी गई । … (व्यवधान) वह अडानी का पोर्ट हो, अम्बानी का हो या सरकार का हो, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को नशे में धकेलने का जो काम हो रहा है और जिस तरीके से ड्रग्स पकड़ी जा रही है, यह चिन्ता का विषय है । … (व्यवधान) मैं जब बोलता हूं तो पता नहीं क्यों ट्रेजरी बेंचेज एकदम परेशान हो जाती हैं । मैंने कहा कि हम सबको मिलकर इस बीमारी का इलाज ढूंढना होगा । हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही हैं । हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां जगह मर्डर हो गया, बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया, बेटे ने मां का मर्डर कर दिया । किसलिए? उसे नशे के लिए पैसे नहीं दिए । वह पैसे मांग रहा था, लेकिन मां मना कर रही थी, बाप मना कर रहा था । आजकल ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं । हमें चिन्ता इस बात की है । अभी सुप्रिया सुले जी बोल रही थीं, उनका दर्द ठीक था कि एक मां के लिए यह चिन्ता का विषय होता है कि अगर उसका बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वह सही-सलामत आएगा या नहीं, कहीं ऐसी गलत सोसाइटी में नहीं

बैठेगा । सुप्रिया जी, यह केवल मां की ही नहीं, बाप की भी चिन्ता होती है । मेरे भी बेटा-बेटी 9वीं और 11वीं कक्षा में जाते हैं तो मुझे भी चिन्ता होती है कि कहीं मेरे बच्चे ऐसी किसी सोसाइटी में न बैठें । यह सबकी चिन्ता है । इसलिए इसमें बजाए पोलिटिकल स्कोर्स करने के, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जब यहां गृह मंत्री जी जवाब देंगे, तब इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे । मुझे उम्मीद है कि सरकार इन सारी चीजों पर काम भी कर रही होगी । When I was pursuing my Master's Degree, I used to go for the field work in a Nasha Mukti Kendra. मैं मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क का स्टूडेंट था तो मैं देखता था कि वहां कैसे बच्चे आते थे । वे अच्छे-बड़े घरों के बच्चे होते थे और उनके पेरेंट्स रोते थे । उनके पास कोई चारा नहीं होता था । यह ड्रग एडिक्शन इतनी बड़ी बीमारी है कि इससे निजात पाना जरूरी है । मैं समझता हूं कि आपने यह चर्चा रखी है, पूरा सदन एकमत होकर आज यह फैसला ले कि हमें इस बीमारी से इस देश की नौजवान पीढ़ी को आज़ादी दिलानी है ।

हम जानते हैं, आप पोलिटिकल स्कोर्स करिए । मुंबई में अभी पिछले साल कौन सा केस हो रहा था, जिसमें रात-दिन टीवी चैनल्स पर आता था कि फलां हीरो, फलां हिरोइन का मामला, फलां एक्ट्रेस का मोबाइल पकड़ा गया, व्हाट्सएप पकड़ा गया, रिया चक्रवर्ती या अभी कुछ नौजवान पार्टी में जा रहे थे । उनमें एक बॉलीवुड स्टार का बेटा पकड़ा गया कि साहब, इसके पास 10 ग्राम डग्स पकड़ी गई, फिर वह कितने दिन जेल में रहा । फिर बाद में उसे छोड़ दिया गया कि इसके पास कुछ था ही नहीं । बच्चे आपके भी हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं, खाली पोलिटिकल स्कोर करने के लिए हम यह डिबेट न करें । इस बीमारी से कैसे बाहर निकलना है, इस पर चर्चा हो और सरकार कोई ऐसा कांप्रिहेंसिव प्लान बनाए, जिससे इस बीमारी से निजात मिल सके । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

[کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے رول 193 کے تحت ڈرگس ایبیوز پر جو بحث ہو رہی ہے، اس پر بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے بہت بہت شکریہ۔

چیرمین صاحب، یہ کسی سے چھِپا نہیں ہے کہ آج ہمارے طلباء اور نوجوان کس طریقے سے اس نیکسس کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں نیکسس اس لئے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ڈرگس کہاں سے اور کیسے آتا ہے؟ بنا نیکسس اور سسٹم میں لوپ ہول کے بنا ڈرگس اسکولی بچوں کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہیں۔

چیرمین صاحب، آج ہم ملک کی آزادی کا امرت کال منا رہے ہیں۔ پوری دنیا کو ہمیں ملک دِکھانا ہے، جی-20 کی پریزیڈینسی ہمیں ملی ہے، لیکن طالب علموں اور نوجوانوں کے جو حالات ہیں، وہ کسی سے چھِپے نہیں ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں جو خبریں سامنے آئی کہ کتنے ہزار کروڑ کی ڈرگس فلا پورٹ پر پکڑی گئی، کئی بار گجرات کا نام آیا۔ مجھے معلوم ہے کہ عزت مآب منتری جی کیا جواب دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ صاحب، کم سے کم ہم نے پکڑی، پہلے تو یہ پکڑی ہی نہیں جاتی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا جواب ملنے ہیں، لیکن یہ تو چند پکڑی گئیں (مداخلت)۔ یہ اڈانی کا پورٹ ہو، امبانی کا ہو یا سرکار کا ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمارے بچوں کو نشے میں دھکیلنے کا جو کام ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ڈرگس پکڑی جا رہی ہے، یہ باعثِ تشویش ہے۔ (مداخلت) میں جب بھی بولتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں ٹریزری بینچز پریشان ہو جاتی ہیں۔ میں نےکہا کہ ہم سب کو ملکر اس بیماری کا علاج ڈھونڈنا ہوگا۔ ہماری آنے والی نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ ہم

اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ مرڈر ہو گیا، بیٹے نے باپ کا مرڈر کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ کس لئے؟ اسے نشے کے لئے پیسے نہیں دئے۔ وہ پیسے مانگ رہا تھا، لیکن ماں منع کر رہی تھی ، باپ منع کر رہا تھا۔ آج کل ایسی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہمیں اس فِکر اس بات کی ہے۔ ابھی سپریا سولے جی بول رہی تھیں، ان کا درد ٹھیک تھا کہ ایک ماں کے لئے فکر کی بات ہے کہ اس کا بچہ اگر اسکول جا رہا ہے تو وہ سہی سلامت گھر آئے گا یا نہیں، کوئی ایسی غلط سوسائیٹی میں نہیں بیٹھے گا۔ سپریا جی یہ صرف ماں کی ہی نہیں باپ کی بھی چِنتا ہوتی ہے۔ میرے بھی بیٹا بیٹی 9ویں اور 11ویں کلاس میں جاتے ہیں تو مجھے بھی فِکر ہوتی ہے کہ میرے بچے بھی کہیں کسی ایسی سوسائیٹی میں نہ بیٹھیں۔ یہ سب کی چِنتا ہے۔ اس لئے اس میں بجائے پولیٹیکل اسکورس کرنے کے، چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب یہاں وزیرِ داخلہ جواب دیں گے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ سرکار ان ساری چیزوں پر کام بھی کر رہی ہوگی۔ When I was pursuing my Master's Degree, I used to go for the field work in a Nasha Mukti Kendra. میں ماسٹرس ڈیگری اِن سوشل ورک کا طالب علم تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہاں کیسے بچے آتے تھے۔ وہ اچھے بڑے گھروں کے بچے ہوتے تھے، اور ان کے والدین روتے تھے۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ڈرگس ایڈکشن اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس سے نجات پانا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ چرچا رکھی ہے، پورا ایوان آج ایک ساتھ ہو کر یہ فیصلہ لے کہ ہمیں اس بیماری سے اس ملک کی نوجوان پیڑھی کو آزادی دلانی ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ پولیٹیکل اسکورس کیجیئے۔ ممبئی میں ابھی پچھلے سال کونسا کیس ہو رہا تھا، جس

میں دن رات ٹی۔وی۔ چینلز پرآتا تھا کہ فلاں ہیرو، فلاں ہیروئن کا معاملہ۔ فلاں ایکٹریس کا موبائل پکڑا گیا، وہاٹس ایپ پکڑا گیا، ریا چکرورتی یا ابھی کچھ نوجوان پارٹی میں جا رہے تھے۔ ان میں ایک بالی ووڈ اسٹار کا بیٹا پکڑا گیا کہ صاحب، اس کے پاس 10 گرام ڈرگس پکڑی گئی، پھر وہ کتنے دن جیل میں رہا۔ پھر بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا کہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ بچے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بھی ہو سکتے ہیں، خالی پولیٹیکل اسکور کرنے کے لئے ہم یہ ڈیبیٹ نہ کریں۔ اس بیماری سے کیسے باہر نکلنا ہے، اس پر بحث ہو اور سرکار ایسا کوئی وسیع پلان بنائے، جس سے اس بیماری سے نِجات مل سکے۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : सभापति महोदय, धन्यवाद ।

*I would like to congratulate all for having a serious discussion in this august House on the problem of Drug abuse in our country. Chairman, Sir, this has become a very big problem for our country as well as our society.

This drug menace is attracting everybody towards it at a faster pace and everyone is getting hooked. These narcotic substances are being spread throughout the country and we cannot ignore the drug smugglers and the agencies involved in it.

Sir, it is very unfortunate that the Police Department, Narcotics Department and the Security agencies seem to be supporting the drug mafias directly or indirectly. The Government Departments meant to control these illegal activities are found to be helping these drug syndicates and it is really very unfortunate.

Sir, there are 443 identified drugs in our country and some of them are used as medicines. Some are used for the treatment of cancer too. These 443 drugs are banned.

The menace of Gutkha is also increasing day by day but the Central and State Governments are helpless. Gutkha is still being sold outside school and college gates. They are targeting our new and younger generation and trying to ruin it.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

In the coastal areas of the States like Maharashtra, Gujarat and Goa, these international drug smugglers are very much active and they smuggle it in broad daylight and openly. In my Sindhudurg district there is place called Doda Marg, a Centre of cashew cultivation, lot of villagers can be found consuming drugs supplied from Goa sitting under cashew trees.

In a small town like Samantwadi, school children were found to be used as drug peddlers. One boy was arrested for drug peddling and he found to be belonged to the family of one Police Officer. It means they are controlling the entire system.

Sir, earlier consumption of liquor, Gutkha or drug served as some kind of mental relief to the persons having some mental tensions. But now this is not limited to that only.

We can see the people residing in slums along the railway lines consuming drugs and liquor throughout the day. The people living on footpaths and in under bridges are actively and openly involved in consumption and supply of drugs.

In the metropolitan city like Mumbai, we have been witnessing the crimes like murder, loot, robbery and burglary in the houses of senior citizens for the last so many years and the drug addicts were found to be guilty in these cases.

There are also cases in which the drug addict children killed their own parents under the intoxication. This poison of drug is influencing our family bonding very adversely and killing everybody.

Hence, if we really want a drug free country, drug free society and to eradicate this drug menace, Government should bring a comprehensive bill in this House in this regard in addition to the existing laws. Government should also ensure the effective implementation of laws.

Thank you.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, at the outset, I would like to thank the hon. Members for raising a very important issue which is beyond politics, beyond religion, beyond caste, and beyond gender. It is a very serious menace which the law makers of this country should be aware of, and should be ready to tackle. I congratulate the hon. Members, the hon. Speaker and the Government for allowing this discussion because it is a very important one.

Sir, 50 per cent of our country's population is below 25 years of age. When we have a young population, we all should understand how important the youngsters and human resource of a country are. Most of the drug peddlers or the big lobbyists mainly concentrate and focus on students and youngsters of a country.

Sir, the report, which the Government of India submitted in the Supreme Court, states that a staggering 1.58 crore children aged between 10 and 17 are addicted to substances in the country. This is a very shocking fact, and is something which we have to very carefully look upon.

Sir, India is hosting the G-20 Summit next year. One of the main agendas of the G-20 Summit should be on narcotics and drugs, where India should anchor this debate on safety of children and reduction of drug usage. The legal civil societies, organizations and other NGOs, as I have mentioned earlier, should be involved in anchoring this agenda, and making sure that we adopt good practices of other countries in this regard. So, in the G-20 Summit, we should have a discussion mainly focussed on this matter.

A country's development cannot be just measured on the basis of the infrastructure it builds, on the roads or bridges it has or the number of buildings it possesses. The Happiness Index ranking is one of the biggest statistics or the yardsticks to measure the happiness of people in a country. If a person has to be happy, development should be inclusive and sustainable.

Sir, the hon. Member who spoke just before me mentioned how the parents, whose children are drug addicts, are suffering from this drug menace. So, if a country has to be self-sustained or happy, the population of the country has to be happy.

They should also make sure that the use of drugs or synthetic narcotic substances is much less. The idea of drugs itself has been outdated. Earlier, the names of drugs which we used to hear were common in our country, but now the modern synthetic drugs always amaze us. Drugs like LSD, MDMA, cocaine, hashish and ecstasy are drugs which can give you an effect up to 15 to 18 hours. Most of the young population is addicted to certain music and certain drugs which they enjoy during parties like drug parties, rave parties. The film industry of India has even parties called pack-up parties which are given after a location is shifted or the shooting of a film is over, and they are drug parties which have also been the subject of quite a discussion of the time.

Sir, there are many important ports in a country like India, such as Cochin Port, Kolkata Port, Mumbai Port and Chennai Port. These are transit ports for drug trafficking, with Mumbai also having a destination port of drugs

from Pakistan and West Africa. These are details which came up in newspapers and other magazines.

The updated version of 2015 Indian Maritime Doctrine recognises the Indian Ocean as the hotbed of narco-terrorism, smuggling, gun-running and associated crimes. The need to counter such threats in conjunction with the Coast Guard, the Navy and other law enforcement agencies is very important. India is very much connected with the international waterways. As many of the hon. Members have spoken, there are many major ports which have been hubs of drug trafficking, but unfortunately, there was no serious action taken by any of the Governments. So, we have to strengthen our border security forces, especially the Navy and other allied authorities which can very effectively deal with drug trafficking through our international water channels.

Sir, there are many organisations, NGOs, which are working against drugs and the usage of drugs. I come from Kerala and my State has started a huge campaign. When the Congress Party, in the Opposition, raised a very important issue related to drugs and when an Adjournment Motion was presented in the Assembly, the State Government started a series of campaigns in schools, in colleges and in public spaces through the local self-governments. There are many actions taken, but unfortunately, these are gatherings in which we take oath and be a part of those campaigns.

During the World Cup time, we hit a goal against drug addiction and against these menaces, but unfortunately, we have not been able to target the

exact users of drugs or we have not been able to break the chain or we have not been able to use the law enforcement to prevent the flow of drugs or to arrest a particular group or mafia or the people working behind these illegal activities.

Sir, Kerala has been doing a lot of campaigns, but as I said, the law enforcement has not resulted in taking out the exact culprits who are working in these arenas, as yet. The Excise Department, the Police Department – all these departments have limitations because of the NDPS Act which is existing. I believe that a comprehensive plan and law should be made where, as I said, beyond politics, beyond religions and beyond any interest, all the law-makers in the Parliament should make sure that there is a law to curb this menace and there is a legal enforcement.

There should be awareness in a proper direction. Our system of education should also be connected. The awareness classes or the curriculum should be connected to make sure that children at a very young age are taught how to curb these menaces and how to avoid falling into the trap of these menaces. They should also be told how the security of our country and how the prosperity of our country are affected by the usage of drugs.

Thank you.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद ।

महोदय, निश्चित रूप से ड्रग-एब्यूज एक गंभीर, जटिल और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समस्या है । इससे पहले कि मैं मुख्य विषय वस्तु पर बोलूं, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे इस विषय की गंभीरता का अंदाजा पूरे सदन को लग जाएगा ।

सभापति महोदय, एक विश्व विजेता राजा अपने काफिले के साथ बाजार से होकर गुजर रहा था । काफिले के आगे-आगे एक संन्यासी चल रहा था । राजा ने उस संन्यासी को रास्ता देने के लिए कहा । संन्यासी ने पूरी स्थिरतापूर्वक, बिना कुछ कहे उसने हाथ से इशारा किया कि बगल के रास्ते से चले जाओ । राजा को यह बहुत नागवार गुजरा और वह अपने घोड़े से उतरकर, तलवार निकालकर उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं एक संन्यासी हूं । उसने पूछा कि तुमने रास्ता क्यों नहीं दिया? इस पर उसने कहा कि तुम विश्व विजेता हो, लेकिन मैं उससे बड़ा विजेता हूं, मैंने अपने मन पर विजय पाई है, तुमने केवल दुनिया पर विजय पाई है ।

सभापति महोदय, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ने अपने मन पर विजय प्राप्त करने की बातें बताई हैं । आज ड्रग- ड्रग-एब्यूज के चलते सबसे ज्यादा प्रभाव मन पर पड़ रहा है । यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स की गिरफ्त में आ जाता है, तो उसकी मानसिक दशा क्या होती है, उसकी मनोस्थिति क्या होती है और उसके मन में जो विकार पैदा होता है, शरीर का जो क्षरण होता है और जो बौद्धिक क्षमता का ह्रास होता है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्षति होती है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है । वह व्यक्ति अपनी क्षमता खोने के चलते अपनी क्षमता के अनुसार न अपने, न अपने परिवार, न अपने समाज, राज्य और न अपने देश के उत्थान में योगदान दे सकता है ।

सभापति महोदय, ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, क्योंकि इसका जुड़ाव संगठित अपराध, मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ गया है । आज दुनिया के

100 से ज्यादा देश इस समस्या से ग्रसित हैं, भारत भी इससे अछूता नहीं है । भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग की समस्या के बहुत सारे बाह्य और आंतरिक कारण हैं । बाह्य कारणों में से इसकी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होना है, जिसे हम गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जानते हैं । इसके साथ ही साथ दूसरी ओर म्यांमार, लाओस और थाइलैंड जैसे देश, जिनको हम गोल्डन ट्राएंगल के नाम से जानते हैं, से इसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा है ।

इसके परिणामस्वरूप हमारा देश एक ट्रांजिट पॉइंट के साथ-साथ डेस्टिनेशन भी हो गया है । इसके साथ-साथ भारत की एक बहुत बड़ी समुद्री सीमा है, जो अवैध घुसपैठ की संभावनाओं से युक्त है । भारत एक फार्मास्युटिकल-इंडस्ट्रियल हब है, जहां फार्मास्युटिकल सब्सटेंसेज का डायवर्जन होने के चलते प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स का दुरुपयोग भी बढ़ रहा है ।

हमारे देश में नशीले पदार्थों की तस्करी साउथ-वेस्ट एशिया और साउथ-ईस्ट एशिया से हो रही है ।

महोदय, हमारे देश के कुछ भागों में अफीम और भांग की भी खेती होती है, जिसका प्रयोग हेरोइन जैसे पदार्थो के उत्पादन के लिए होता है । वर्तमान में ड्रग ट्रैफिकिंग इंटरनेट और डार्क नेट के जरिए क्रिप्टो करेंसी तथा बिटकॉइन के माध्यम से हो रही है । ऐसा देखा गया है कि तस्करी के व्यापार को बढ़ावा देने में विदेशी नागरिकों का भी हाथ है । आजकल तस्करी पार्सल और कोरियर के माध्यम से की जा रही है, जो लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है । जल मार्ग के जरिए ड्रग्स ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत आ रहे हैं और यहां से श्रीलंका और मालदीव को जा रहे हैं । कोविड पेनडेमिक के बाद लॉकडाउन की स्थिति में नए-नए साइको एक्टिव सब्सटांसेस का इवोल्यूशन हुआ है, जो एक और गंभीर मुद्दे को इस विषय के साथ जोड़ता है । हाल में यह देखा गया है कि मेरीटाइम ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स में वृद्धि हुई है और अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के रास्ते अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी ड्रग्स ट्रैफिकिंग सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है ।

महोदय, कितने लोग गिरफ्तार किए गए और क्या स्थिति है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन अभी तक जो बातें नहीं कही गई हैं उदारहण के लिए सरकार ने इसमें जो एफर्टस किए हैं और जो नीतियां ड्रग ट्रेफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं, उन बातों को मैं उजागर करना चाहता हूं। मोदी सरकार पूर्णरूपेण ड्रग ट्रेफिकिंग पर नियंत्रण पाने के लिए कमिटेड है । इसमें कहीं भी किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है, किसी के दिल में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। मादक द्रव्यों के प्रयोग को रोकने के लिए हमारी सरकार ने दो आयामी नीति बनाई है । ड्रग ट्रेफिकिंग के पीछे दो ही बिंदू हैं । पहला बिंदू मांग है और दूसरा बिंदू आपूर्ति है । मांग बढ़ती है तो आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश होती है, लेकिन हमें इन दोनों चीजों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है । मांग को भी कम करने की आवश्यकता है और आपूर्ति को भी कम करने की आवश्यकता है । इन्हीं दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर सरकार ने नीति बनाई है ।

माननीय सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री विष्णु दयाल राम: महोदय, आपूर्ति का जहां तक प्रश्न है, इसे कम करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है और गृह मंत्रालय इसे बखूबी निभा रहा है । गृह मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और उसकी जो नीतियां और प्रोविजन्स हैं, उन्हें एग्जिक्यूट करने का कार्य करता है । इसके साथ ही साथ दूसरी एजेंसीज के साथ समन्वय का कार्य करता है चाहे वह राज्य सरकार की एजेंसी हो या भारत सरकार की एजेंसी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे कोस्टल गार्ड हो, चाहे वह सीबीआई हो, सभी के साथ कोआर्डिनेशन का कार्य एनसीबी द्वारा किया जाता है । आपूर्ति को कम करने के लिए NCORD की स्थापना वर्ष 2016 में की गई ।

इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गयी थी, लेकिन वर्ष 2019 में इसमें स्ट्रक्चरल चेंज लाया गया और उसके अंतर्गत जो एपेक्स कमेटी बनी, उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा की जाती है । जो कार्य समिति बनी, उसकी अध्यक्षता विशेष सचिव द्वारा की जाती है, राज्य स्तरीय

कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव के द्वारा तथा जिला समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है । मैं दो-चार मिनट्स में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

महोदय, मैं यह दर्शाना चाहता हूं कि किस प्रकार से भारत सरकार, खासतौर पर गृह मंत्रालय इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर है । बहुत बड़ी-बड़ी जब्तियों में कई तरह के एलीगेशन्स लगने लगते हैं। जो जब्त करने वाले लोग हैं, जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, जो काँस्टेबल्स हैं, उनके द्वारा जब्ती में हेराफेरी की जाती है और बड़े-बड़े केसों का अनुसंधान ठीक से नहीं होता है । इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया है, जो बड़े-बड़े देशों के अनुसंधान पर नजदीकी नजर रखता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो । इसी तरह से राज्यों के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है । ये सारी चीजें पहले नहीं थीं । यही कारण है कि मैं इन सारी चीजों का वर्णन कर रहा हूं । मादक पदार्थ रोधी कार्यदल का गठन किया गया है । डार्क-नेट और क्रिप्टो करेंसी की चर्चा बहुत सारे माननीय सदस्यों ने की है। इसके लिए एक विशेष कार्यदल का गठन किया गया है, जो सूचना ब्यूरो की निगरानी में कार्य करता है ।

महोदय, हम इस समस्या से अवगत हैं कि किस प्रकार से ड्रग ट्रैफिकर्स के द्वारा डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का यूज करके ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है । अत: इस समस्या को दूर करने के लिए पहले से ही यह कदम भारत सरकार ने उठाया है । सीमा पार से तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकारों की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनका हाथ मजबूत करने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए गए हैं । उन सारे उपायों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, लेकिन आयात-निर्यात के स्थानों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है, ताकि न हमारे देश में ड्रग्स आएं और न ही यहां से ड्रग्स बाहर भेजे जा सकें । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ।

HON. CHAIRPERSON: Now, it is time for completion of your speech.

SHRI VISHNU DAYAL RAM: Sir, I was the second speaker from my Party.

श्रीमन्, दूसरे देशों के साथ जो समझौते किए गए हैं, एमओयू साइन किए गए हैं और जो बाय-लेट्रल एग्रीमेंट्स किए गए हैं, उनके बारे में भी पहले चर्चा की जा चुकी है । मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे सार्क, ब्रिक्स, कोलंबो प्लान आदि माध्यमों से समन्वय का कार्य किया जा रहा है । भारत सरकार पूरी तरह से इस दिशा में प्रयत्नशील है कि कहीं से किसी भी प्रकार से समझौते के आधार पर या बाय-लेट्रल एग्रीमेंट के आधार पर कोई ड्रग ट्रैफिकर छूटने न पाए । यह तो मैंने केवल गृह मंत्रालय के बारे में बात की ।

इसी तरह से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मांग को कम करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) बनाया है, जिसके तहत National Survey on *Extent and Pattern of Substance*s in India पर एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गयी थी । उसी के आधार पर उन्होंने अपनी नीति बनायी । इस कार्य योजना का उद्देश्य मादक द्रव्यों की मांग में कमी लाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना है । इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को धनराशि भी दी जाती है, राज्य सरकार के माध्यम से डी-एडिक्शन सेंटर्स भी स्थापित किए जाते हैं ।

जागरूकता पैदा करने का कार्य भी किया जाता है, उपचार करने का कार्य भी किया जाता है, पुनर्वास की व्यवस्था करने का कार्य भी किया जाता है। आईआरसीएस, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की, उसकी स्थापना करना भी इसी कार्य योजना का हिस्सा है। Community-Based Peer-Led Intervention भी इस योजना के तहत किया जाता है ।

अंत में, मैं नशा मुक्त भारत अभियान की चर्चा करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा । नशा मुक्त भारत अभियान की घोषणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2020 में की थी । लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना निश्चित रूप से किसी भी अभियान का पहला चरण होता है और लोगों के बीच में जागरूकता नहीं रहेगी तो वे उसकी बुराइयों को नहीं समझेंगे और

शायद, वे उस दलदल में भटक जाने के लिए प्रेरित होंगे । यह कार्य कितने जिलों में शुरू हुआ है, इन सारी चीजों को विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है ।

अंत में, मैं इस अभियान में लगी सारी लॉ-इनफोर्समेंट एजेंसीज के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी से अपील करता हूँ, मैं सदन के माध्यम से देशवासियों से भी अपील करता हूँ कि आप अपने को और अपने परिवार को ड्रग्स से दूर रखें । आप न केवल यह सुनिश्चित करें कि नशीले पदार्थों का उपयोग आपके और आपके परिवार के द्वारा न किया जाए, बल्कि समाज के द्वारा भी नशीले पदार्थों का उपयोग न किया जाए, क्योंकि यह समाज को खोखला बनाता है और इससे जो धन अर्जित होता है, वह धन देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है । इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ ।

अंत में, मैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयास से आने वाली पीढ़ियों के चेहरे पर मुस्कान आएगी । अब जो लीगेसी छोड़कर जाएंगे, उस लीगेसी के चलते वे महफूज रहेंगे । इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत हो रही इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं । यह बात सत्य है कि आज हम लोगों का यूथ नशे में लिप्त हैं । इसके कई कारण हैं । कुछ कारण डिप्रेशन भी है, कुछ कारण स्ट्रेस भी है और कुछ कारण गलत संगति भी है । ये कई कारण यूथ को बर्बाद करते हैं । इन पर काफी गंभीरता से सोचने की जरूरत है । यहाँ पर कई माननीय सदस्यों ने पंजाब के बारे में बताया कि किस तरीके से वहाँ पर नशा फैला हुआ है । उसी तरीके से देखें और अगर हम अपने देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी कुछ कम नहीं है । अगर आप दिल्ली के बिल्कुल पॉश इलाके में जाएं, जो कि कनॉट प्लेस कहलाता है, आप वहाँ जाकर देखिए कि वहाँ किस तरीके से छोटे-छोटे बच्चे नशे के आदी हैं । वे नशे की हालत में सड़क के किनारे लेटे रहते हैं । ये सारे बच्चे कोई महंगा नशा नहीं कर रहे हैं । ये कोई कोकीन नहीं ले रहे हैं, कोई एक्सटेसी नहीं कर रहे हैं । ये एक ऐसा नशा कर रहे हैं, जो बाजार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है । यह हर दुकान में मिलता है । यह नशा केमिस्ट शॉप पर मिलता है । आप स्टेशनरी की शॉप पर चले जाइए, यह वहाँ मिलता है । आप हार्डवेयर की शॉप पर चले जाइए, यह आपको वहाँ भी मिलेगा । ये बच्चे उसका सेवन करते हैं । हमें इनके लिए भी सोचना होगा । कोकीन, एक्सटेसी, वीड, गांजा आदि एक और चीज है । लेकिन, जो हमारे बच्चे हैं, हमें इनके लिए भी सोचना होगा, क्योंकि ये जो चीजें छोटी-छोटी दुकानों में जाकर ले लेते हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है । इनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है । हम यह एक बात आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं ।

सर, अगर हम आपका ध्यान बिहार की तरफ लेकर जाएं तो बिहार में जब से शराब बंदी कानून लागू हुआ है, तब से बिहार में नशीले पदार्थ और इसकी तस्करी चरम सीमा पर है । रिपोर्ट तो यह कहती है कि हर महीने करोड़ों रुपये की तस्करी बिहार में हो रही है । अगर आप हाल फिलहाल छपरा जिले का उदाहरण लें तो वहां किस तरीके से जहरीली शराब पीकर 100 से

ज्यादा लोगों की मौत हो गई है । वहां के मुख्य मंत्री जी एक दलित विरोधी बयान देते हैं और कहते हैं कि तुम शराब पीओगे तो तुम मरोगे । हम तुमको कोई मुआवजा नहीं देंगे और तुम्हारे परिवार की कोई मदद नहीं करेंगे । इस तरीके का दलित विरोधी बयान एक राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा दिया जाता है । यह बहुत ही चिंता करने वाला विषय है ।

सर, बिहार में जो शराब बंदी कानून लागू है, वह क्या कहता है? वह यह कहता है कि अगर आपके घर में शराब की बोतल पाई जाती है तो आपके घर के मुखिया को जेल में डाल दिया जाएगा । इसकी आड़ में जिसको भी फंसाया जाता है, उसको कुछ नहीं करना है, एक शराब की बोतल लेकर उसके घर के अंदर रख देना है और उस आदमी को जेल में डाल दिया जाएगा । बिहार में जब से शराब बंदी कानून लागू है, तब से 5 लाख लोगों को जेल में डाला जा चुका है ।

अभी तक का आंकड़ा दिखाया गया है कि जहरीली शराब से हजार लोग मरे हैं । लेकिन यह इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि जब **...*** शराब की बोतल पाई जाती है तो किसको जेल में डाला जाएगा । अगर किसी के घर के परिसर में शराब की बोतल पाई जाती है तो उस घर के मुखिया को जेल में डाला जाता है । अगर **...** * शराब की बोतल मिलती है तो किसको जेल में डाला जाएगा?… (व्यवधान) सर, मैं टॉपिक पर आना चाहूंगा ।

HON. CHAIRPERSON: You please do not quote the proceedings of the State Legislative Assembly. All those observations will not be there on the record because it is an insult to that House. It is the Bihar State Legislative Assembly; please do not quote those things. We are running this House.

श्री प्रिंस राज : सर, यह काफी अहम मुद्दा है, इसलिए हमने रखा है । लेकिन, मैं टॉपिक पर आना चाहूंगा । बिहार में एक डर बैठ गया है, इसकी वजह से एक नशीले पदार्थ का व्यापार बिहार में चालू

---

* Expunged as ordered by the Chair.

हो गया है । जिस तरीके से बिहार के लोग दूसरे पदार्थ का सेवन करने लग गए हैं, ताकि पुलिस उनको तंग न करे । हमारे एक सीनियर सदस्य हैं, उनसे काफी अच्छे संबंध हैं । उन्होंने एक बात रखी है । अभी उनकी पार्टी से यहां कोई सदस्य नहीं है । उन्होंने नीति और नीयत की बात कही । उन्होंने कहा कि हम लोग शराब बंदी के विरुद्ध हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है । जब यह नीति बिहार में लाई गई कि बिहार को शराब मुक्त और नशा मुक्त बनाया जाए तो हम लोग और यहां भारतीय जनता पार्टी है, हम सभी ने यह कहा कि यह होना चाहिए, यह यूथ के लिए होना चाहिए । लेकिन उस दिन इनकी इस नीति के पीछे नीयत साफ हो गई कि ये शराब बंदी नहीं, बल्कि एक दलित बंदी, गरीब बंदी कर रहे हैं । इसकी आड़ में लोगों को जेल में डाला जा रहा है, तब हम लोगों ने इसका विरोध किया । जब हम यह कहते हैं कि इसकी आड़ में पूरे प्रदेश में इस तरह की तस्करी बढ़ती जा रही है, नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ती जा रही है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है । ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और दलित विरोधी बयान देते हैं और कहते हैं कि जो पीएगा सो मरेगा, हम उसके परिवार की मदद नहीं करेंगे ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री प्रिंस राज : सर, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा, आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने आज जो डिस्कशन सदन में रखी है, यह बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन रखी है । यंग इंडिया कहा जाता है । पूरे विश्व में यंग इंडिया कहा जाता है, लेकिन अगर हमारी यंग इंडिया नशीले पदार्थ में लिप्त रहेगी तो यह कहां जाएगी, कोई नहीं कह सकता है । इस पर बहुत अच्छी नीति और नीयत होनी चाहिए । मेरा सरकार को यह सजेशन रहेगा कि इस विषय को लेकर इसके लिए अलग से बजट का एलोकशन किया जाए और हर जिले में कम से कम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए, मानसिक रूप से उनकी मदद की जाए, उनको सहायता दी जाए । धन्यवाद ।

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Thank you, hon. Chairman for allowing me to participate in this discussion under Rule 193. I also thank the hon. Members who have initiated this discussion on a very important and urgent matter. Drug addiction has assumed alarming proportions across the country almost in every State.

HON. CHAIRPERSON: Try to conclude within three or four minutes. That is the direction from the Speaker, please.

SHRI HASNAIN MASOODI: Sir, according to the United Nations Office on Drug Abuse, 70,000 people are reportedly addicted to drugs in Jammu and Kashmir. So, it does not only impact 70,000 people, it also impacts their families. Directly or indirectly, it impacts around six lakh people. As reported by one of our experts in mental health, there are almost 10,000 patients in the Institute of Mental Health and Neuroscience, Srinagar.

What are the reasons for such an alarming situation? Why were we caught napping? Why did it go to this level? There can be a number of reasons. In case of youngsters below 20 years of age, it can be an exposure to an adverse atmosphere, a hostile atmosphere and not having a good ambiance. In case of adults, it can be unemployment and under-employment. Even in the last few years, one lakh people are on the streets of Srinagar who are not getting work. They are need-based employees, daily wagers and casual workers who are not getting regularised. It is not that every case will end up in drug abuse but it is likely that the people who are affected by all this

lack of empowerment fall prey to drug abuse. Again, disillusionment with the system, bitterness, denial of justice and political uncertainty: these may be among a number of other reasons. There may be a number of reasons in the case of Jammu and Kashmir. Some are reported, and in proximity, some of the reasons are given.

What should be the strategy to combat the situation? First is the legal regime. I do not find there is anything deficient in the legal regime. We have a good law in the shape of the NDPS Act. But the problem is that the enforcement agency is not up to the mark because we do not have special investigating officers.

As a trial Judge, I have seen that prosecution fails in most of the cases because investigation was not there in accordance with the rules; seizure was not there in accordance with the rules; sampling was not there in accordance with the rules. Then, analysis was not there in accordance with the rules. So, a police officer, who is, in the forenoon, working on a law-and-order duty or maybe he is with a VIP, in the afternoon, he is asked to investigate a matter under the NDPS Act which is a highly technical matter. So, my request would be this. The problem is that we are not able to make use of the legal regime as a weapon against this menace.

HON. CHAIRPERSON: If the quantity is small, it is a bailable offence also.

SHRI HASNAIN MASOODI: Yes, Sir. Then, I mean there is no problem with the law, as such. But the machinery is to be put in place to enforce the law.

We should have a specialised force in almost every police station, more so in the police stations which are in vulnerable areas. Then, we must have awareness at the grassroots level. We must engage the civil society groups because they have an impact. It has been seen that in case of this situation of drug abuse, the civil society has a very important role to play. Then, we must have screening in the suspect areas. We can go for mass screening in educational institutions, in the areas that are known to be prone to drug abuse. So, screening is one of the strategies, one of the tools that we can use. Then, once somebody is detected to have fallen prey to addiction, we do not have adequate number of deaddiction centres. As regards Jammu and Kashmir, we do not have them in adequate number in all the districts. At least, there must be one centre in each district. Then, the local representative, MLA or MP, must be associated because he will help the administration to tailor the programmes. At least, he will play his role. Once it is detected – as I said that it is reported that there are 10,000 patients – then we do not have treatment facilities.

17.00hrs.

I would like to quote one instance. I had to find a place in Bangalore for a boy, who was reported to be a drug addict, as there has been no adequate facility in Srinagar. So, in every district we must have a de-addiction centre where we can treat persons who fall prey to drugs. Emphasis should be laid on the role of NGOs and universities. If we wish to fight a war against drug

addiction, we should start at the grassroot level. We should wean away students or youngsters who fall prey to drugs or who are influenced by the negative elements. We should take steps to see that they do not fall prey to drugs. We can wean them away and reform them at the earliest.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, while participating in this discussion, I feel that I am joining a holy war against the most dangerous evil that this country is now facing.

When we read the newspaper in the morning, we get a lot of disturbing news. I was thinking about the ill side of the budding generation. They are perishing inch by inch. It affects them physically, emotionally, mentally, economically, and socially.

Let me first point out a lacuna in the law. We had brought an amendment to the NDPS Act. In 2001, the definition of a ‘small quantity’ was altered. You have also just now mentioned it, Sir. Small quantity of Ganja was earlier specified as 500 g., whereas in the notification issued pursuant to the amendment, it was increased to 1000 g. Likewise, as per the earlier notification, opium and hashish were specified as 5 g., whereas, it is 25 g. and 100 g. respectively as per the new notification. In the case of cocaine, earlier it was 125 mg., which has now been increased to 2 g. What is the effect of this? Every offender, who commits very serious offence, is not given punishment according to the gravity of the offence. And, they will also get bail very easily.

We are the law-makers of this country. As the law-makers we are duty-bound to see what is to be done. We have to dedicate ourselves to scan and plug the loopholes in the legislation. I have got a very limited time to speak.

Drug mafia has spread its net even in schools. They are following the policy of 'catch them young'. Through this policy they are canvassing or bringing them in the fold of this danger.

We all know about the effects of drugs on health. There has been an unprecedented growth of diseases which affect, liver, respiratory system, neuro, heart, cancer, etc. Alcohol consumption is the main reason.

We are the villains in other crimes, like the crime against women and kids, domestic violence, motor accidents, riots, suicides, and so on. For women, their house is the safest place but even there domestic violence takes place. Who is the villain? I would say that it is alcohol only. We have to realise that and address it properly.

The Supreme Court has also once said that we must have a National Action Plan, which may include counselling and rehabilitation. In contrast, what is happening? We have the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan. I am a Member of the Consultative Committee of the Ministry of Social Justice and Empowerment.

We are doing certain things. But that is not sufficient. It is a very dangerous evil. Hon. Chairperson, Sir, I would like to place certain shocking facts. The incidence of drug abuse among children and adolescents is higher than the general population. What is the reason behind the same? That is because youth is a time for making experiments. Like, let us make a trial. Even the children of the age group of 15 years and 20 years are into drugs.

Drug mafia use the technique of, 'catch them young'. So, that is very dangerous. … (*Interruptions*)

Hon. Chairperson, Sir, I am concluding. I just want to make one more point. The Central Government has certain responsibilities when it comes to this drug issue. I agree with it. The Government has to do it. That is why, we are discussing it here. But the State Governments also have a role to play in this regard. I would like to state one fact with all politeness. What is happening in the State of Kerala? There is an open general licence policy of that Government for opening liquor shops everywhere. Wherever they want, they have taken that policy. It is a very dangerous thing. What is happening is that, wherever it may be -- whether it is mosque, church, temple, or school -- it is liberal. Even during the COVID period, they were supplying it. They have a determination that there should not be any shortage in the supply.

So, these kinds of things are going on. As I have told you in the beginning, it is a holy war. We are bound by it. If we do not act properly with regard to this issue, we will be called 'culprits' in history. In order to achieve this noble cause, we have to work hard. I hope that these deliberations will pave a way for such progressive steps by the Parliament of India.

Thank you very much.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत मादक द्रव्यों के सेवन पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ । मैं कुछ बातें पढ़कर और कुछ बातें मौखिक रूप से रखने का प्रयास करूँगा ।

सभापति महोदय, वर्ष 2003 से भारत को नशामुक्त करने का संकल्प हमारे देश के संचालकों ने लिया । वर्ष 2003 से आज यानी 19 साल के बाद एक बार फिर हम मादक पदार्थ के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं । खासकर हमारे नौजवान बच्चे मादक पदार्थ की ओर बढ़ रहे हैं और इसके बारे में हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं । इस सभा में सभी लोग पार्टी लाइन छोड़कर अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि इस चर्चा के बाद हमारी सरकार कुछ नया करेगी । हमारी सरकार इस संकट से देश के नौजवानों को बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता निश्चित रूप से निकालेगी । मैं सरकार की कुछ पहल के बारे में बताना चाहूँगा । मोदी सरकार मादक पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है । मादक पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने द्विआयामी रणनीति बनायी है ।

विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों जैसे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, सीमा शुल्क/डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय), बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, बीएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी और राज्यों की एजेंसीज़ जैसे राज्य पुलिस, आबकारी, वन विभाग को नशीले पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण रखने के लिए एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अंतर्गत अधिकार दिये गये हैं ।

सभापति महोदय, समुद्री रास्ते से मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

समुद्री पुलिस बल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 से तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) को चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया गया है । यह योजना 9 तटीय राज्यों और चार संघ राज्यों क्षेत्रों में लागू की गई है ।

भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) को स्वापक एवं मन:प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के तहत समुद्र में मादक पदार्थों पर पाबंदी लगाने का अधिकार दिया गया है ।

वर्ष 2016 में नार्को समन्वय केंद्र (एन. कार्ड) की स्थापना और वर्ष 2019 में एन.कोर्ड का पुनर्गठन किया गया । इसके अंतर्गत चार स्तरीय संरचना केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर का प्रावधान किया गया है ।

सभी राज्यों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनायी गई है, जिसके पास मादक पदार्थ से संबंधित प्रमुख मामलों की जांच करने की शक्ति होगी ।

जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, अहमदाबाद, बेंगलुरू और इंफाल में नेशनल नारकोटिक्स कैनाइन पुल को चालू कर दिया गया है । इस स्क्वाड का उपयोग केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ राज्य एजेंसियों द्वारा भी किया जाएगा ।

भविष्य में हवाई अड्डे के टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, रेलवे पार्सल टर्मिनल जैसे संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा । 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है । 15 देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी साइन किया गया है । जर्मनी और सऊदी अरब के साथ सुरक्षा सहयोग पर भी करार किया गया है ।

हमारे देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह जी ने इस विषय में गृह मंत्रालय के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है । हम सब एक्रॉस दी पार्टीलाइन इस बात से सहमत हैं कि अमित शाह जी का जहां पर भी नाम आता है, 50 पर्सेंट प्रॉब्लम ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाती है । मैं चाहता हूं कि इस डिस्कशन के बाद, 25 पर्सेंट वर्ष 2024 की लोक सभा के पहले पूरा हो जाएगा और उसके बाद निश्चित रूप से हम भारत को 100 पर्सेंट नशामुक्ति की ओर ले जा सकेंगे ।

गृह मंत्रालय ने एनसीबी के सहयोग से चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया । इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने की थी । इसमें

सभी राज्यों के स्वापक पदार्थ रोधी कार्य दल (एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स) के प्रमुखों सहित केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था । इसी तरह गुवाहाटी और गांधीनगर में भी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था ।

माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन और गुवाहाटी एवं गांधीनगर में दो क्षेत्रीय सम्मेलन भी किए गए, जो कि मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान को प्रोत्साहित करने तथा राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय बैठाने में मददगार साबित हुई है ।

इस मुद्दे पर 27-28 अक्टूबर, 2022 को सूरजकुंड के चिंतन शिविर (गृह मंत्रियों के सम्मेलन) में भी विचार-विमर्श किया गया । इसमें माननीय प्रधान मंत्री ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया । माननीय गृह मंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए वित्तीय जांच पर विशेष जोर देने के साथ केंद्रीय और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण रखने का निर्देश दिया है ।

सभापति महोदय, अभी इस चर्चा के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने जिला स्तर पर रीहैबिलिटेशन सेंटर्स की भी बात की । मैं रीहैबिलिटेशन सेंटर्स के विरोध में नहीं हूं । यह भी करना चाहिए, लेकिन इसे करने से हम समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पायेंगे । हमें एक ऐसे भारत देश का निर्माण करना होगा, जिसमें देश इस प्रकार की समस्या की ओर आगे ही न बढ़े ।

संविधान दिवस पर, देश के राष्ट्रपति का आधे घंटे का भाषण मैंने सुना । उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात की और एक बहुत बड़ी दिशा देशवासियों को और खासकर हम जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दी । देश में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है । इतने सारे लोग जेल में बंद हैं । भिन्न कारणों से उनको बेल नहीं मिली है, वह एक अलग विषय है । लेकिन, उन्होंने एक बात बहुत मन से कही, अपनी अंतर्रात्मा से कही कि देश में नयी-नयी जेल बनाने की मांग हो रही है । वे कहते हैं कि भारत जैसा देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ रहे हैं ।

ऐसे समय पर जेलों को बढ़ाने की आावश्यकता क्या है, जेल कम होनी चाहिए । जेल में कोई न जाए, इस प्रकार का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए । इस बात को अगर मैं इस विषय के साथ जोडूं, तो हम भिन्न-भिन्न प्रकार के रीहैबिलिटेशन सेंटर्स, कायदे-कानून, टास्क फोर्स, पुलिस की भर्ती जब करने की आवश्यकता होगी, तब करेंगे । लेकिन, क्यों न हम सारे समाज को साथ में लेकर, उसमें अपने इन्वॉल्वमेंट को जोड़कर, हमारे देश के बड़े-बड़े साधु-संत प्रवचन करते हैं तो हजारों की संख्या में वहां लोग जुड़ते हैं, तो इसमें ऐसे लोगों का भी सहयोग लें । एक चर्चा के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चे इस क्षेत्र की ओर न जाएं, इसका हमें प्रयास करना चाहिए । देश में बहुत सारे एनजीओज़ हैं, उनका भी हम साथ ले सकते हैं । प्रेम का संबंध, प्रेम का नाता, अपनेपन की भावना लेकर अगर हम उतरते हैं, तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं । हमने पिछले दिनों में सब करके दिखाया । हमने पोलियो मुक्त भारत किया और टीबी मुक्त भारत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं । भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं । इस बात से सभी लोग सहमत हैं कि कम से कम केंद्र पर 8 सालों में किसी ने भी इस प्रकार का एक भी आरोप लगाने का प्रयास नहीं किया । अगर हम प्रामाणिकता से प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, यह देश के प्रधान मंत्री ने हमें करके दिखाया है । मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर, समाज के साथ जुड़कर इसमें बगैर पैसा खर्च किये, बगैर कोई कानून का निर्माण किये, प्रेम भाव से नाता जोड़कर इस बीमारी को कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा ।

जैसे-जैसे देश आगे बढ़ेगा, वैसे इस प्रकार की समस्या निश्चित रूप से आने वाली है । पंजाब के बारे में हम सभी लोग चिंतित हैं, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है, जिसने एग्रीक्लचर के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, अब पैसा आ गया । यदि पैसा आता है तो दस प्रकार की बीमारी भी आती है, पैसा आने के बाद लोग इस बीमारी की ओर न बढ़ें, इसलिए हमको एक मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है । उस मैकेनिज्म को हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है । एक बात और आई, एक-दो सदस्यों ने इसका भी उल्लेख किया, खासकर दानिश अली जी ने इसका उल्लेख

किया कि गुजरात में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ को पुलिस ने पकड़ा । उन्होंने यह भी कहा कि रिप्लाई में क्या आएगा, रिप्लाई में अमित शाह जी क्या कहेंगे, यह भी उन्होंने बताया । मैं मानता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है । यह हमारी पादरर्शिता से काम करने का तरीका है कि विरोधियों के मन में भी आ सकता है कि सच्चाई क्या है और जवाब में क्या आएगा । दानिश अली जी अभी यहां बैठे नहीं हैं, वे परसों सभागृह में भगवा पहन कर आए थे ।

मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हफ्ते में एक दिन भगवा पहनें, जिससे अच्छी बातें बोलने की आदत लगेगी, सच बोलने का प्रयास करेंगे । यदि हफ्ते में एक दिन वह भगवा पहनते हैं तो दानिश अली जी को देखकर देश के सारे, उनके जितने अनुयायी हैं, वे भी जिस दिन भगवा पहनेंगे, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस बीमारी पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी और पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है । जिस दिन यह देश भगवामयी हो जाएगा, उस दिन हम सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे ।

सभापति महोदय, मैं अब समाप्त करता हूं । आप भी एक बात से सहमत हो जाएंगे, आप इस बात के लिए पूरे देश में सर्वे कीजिए, संघ परिवार ने आजादी के पहले और आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो सीख दी है, आज भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले जितने भी फालोअर्स हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेन्टिटिव हैं, आप उनका सर्वे कीजिए, उनमें से कितने परसेंट लोग इस प्रकार के काम में जुड़े हैं और बाकी लोग कितने परसेंट हैं, तो इसका नतीजा सामने आ जाएगा ।

माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री गोपाल शेट्टी: सभापति महोदय, नरेन्द्र मोदी जी जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैक्सिमम लोग जुड़ रहे हैं । जिस दिन 80 प्रतिशत लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे, उस दिन इस सभागृह में इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं

पड़ेगी । मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद । भारत माता की जय ।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू की है, आपने मुझे उस पर बोलने का मौका दिया है । आज के दौर में भारत के लिए ड्रग्स एब्यूज सबसे बड़ी समस्या है और यह दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है ।

पिछले दस सालों में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक्स सब्सटांस एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत जो केसेज रजिस्टर्ड हुए, उनकी संख्या दोगुनी हो गई है । इससे जाहिर है कि यह एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन स्थिति हमारे देश में बनी है । यहां तक कि यह ड्रग्स 10 से 17 साल के बच्चों तक भी पहुंच गई है ।

मेरे पास डाटा है कि डिफरेंट स्टेट्स में कौन-कौन सी ड्रग्स और लिकर हैं । मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे साथियों ने डाटा दिया है । लेकिन, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आज ड्रग्स ट्रैफिकिंग के तरीके बदल गए हैं । जब कोविड का दौर था तो कोरियर के तहत भी घरों में सप्लाई होने लगी थी । पहले ड्रग्स लैंड बार्डर से आती थी, लेकिन आज दुख की बात है कि 70 परसेंट ड्रग्स की स्मगलिंग समुद्री रास्ते से हो रही है । **...*** मुंद्रा पोर्ट से भारत में बड़ी भारी मात्रा में स्मगलिंग हो रही है । पिछले दिनों रिकवरी भी हुई है । मैं पंजाब से आता हूं ।

माननीय सभापति: संतोख जी, आप नाम नहीं लीजिए । उसे एक्सपंज करा दो ।

श्री संतोख सिंह चौधरी: माननीय सभापति महोदय, मुंद्रा पोर्ट से स्मगलिंग हो रही है । यह रिकवरी हुई है, इसे सब जानते हैं ।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

मैं पंजाब से आता हूं । एक साल में 200-250 ड्रोन्स एक्सरसाइज हुई हैं और पाकिस्तान से अमृतसर बॉर्डर में आए हैं, इनमें हथियार भी थे और ड्रग्स भी थी । मैं कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स का सोर्स है । दूसरा है प्रिवेंशन, तीसरा है एन्फोर्समेंट । जब तक सोर्स है, सप्लाई है, उसे नहीं रोका जाएगा तो प्रिवेंशन और एन्फोर्समेंट काम नहीं कर सकेगा । सप्लाई और सोर्स के बारे में भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर कंट्रोल करे ।

महोदय, आदरणीय हरसिमरत कौर जी ने यह डिबेट इनीशिएट की, अच्छा होता अगर वह नेशनल इश्यू पर बोलतीं कि इसका क्या करना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए, लेकिन उन्होंने सारा समय पुरानी कांग्रेस सरकार के बारे में बोलने पर लगा दिया ।

मैं आज सदन में कहना चाहता हूं कि सही मायने में पंजाब ने टेररिज्म भोगा । उसके बाद नार्को-टेररिज्म आया । ड्रग्स का टेररिज्म कौन लाया? वर्ष 2012 में राहुल गांधी जी चंडीगढ़ गए और उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एड्रैस किया । उन्होंने वहां चिंता जाहिर की कि पंजाब के बहुत सारे बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे हैं, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए । उस वक्त की सरकार ने बहुत बवेला खड़ा किया । पंजाब में ड्रग्स कौन लाया? फिल्म बन गई 'उड़ता पंजाब' । आप सबने देखी होगी कि यह कितनी गंभीर समस्या है ।

महोदय, डीएसपी भोला को पहले वर्ष 2008 में मुम्बई पुलिस ने ड्रग्स के मामले में पकड़ा था । वर्ष 2016 में पंजाब में पकड़ा, 6000 करोड़ रुपये का रैकेट ड्रग्स का था । वह कौन था? उसके लिंक किसके साथ थे? अभी वे यहां नहीं बैठीं । उनके लिंक किसके साथ थे? किन ऑफिशियल्स के साथ थे?

माननीय सभापति : चौधरी जी, आप चेयर को एड्रेस करें ।

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदय, उनके लिंक उस वक्त अकाली दल और बीजेपी के जो पोलिटिकल लीडर सत्ता में थे, उनसे थे । यह सब जानते हैं कि ड्रग्स एब्यूज़ एक गंभीर समस्या देश में है, पंजाब में है, ये लाए थे ।

मेरी कांस्टीटुएंसी का एक गांव बिलगा है। वहां एक ही गांव के 35 नौजवान बच्चे ड्रग्स लेकर मारे गए। मेरी कांस्टीटुएंसी के एक अकाली दल के लीडर ने पहले छोटे-छोटे बच्चों को कोरियर बनाया। उनको ड्रग्स पर लगाया, जब वे ड्रग्स में लग गए, फिर उनको कोरियर बनाया । पंजाब में यह एक ऐसा काला दौर था, जैसे पीज़ा डिलीवरी होती है, उस वक्त ड्रग्स घर-घर में पीज़ा डिलीवरी की तरह जाता था । इसमें लाखों बच्चे गिरफ्त में आए । लोग डर गए, पेरेंट्स डर गए और उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में भेजना शुरू कर दिया । ड्रग्स तो पंजाब का मसला है ।

माननीय सभापति: यह देश का मसला है ।

… (व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी: 60,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू पंजाब से विदेशों में जा रहा है । ड्रग्स के डर से लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं । हमारी सरकार आई, उस वक्त हमने 40,000 पैडलर्स को गिरफ्तार किया। हम पांच लाख ड्रग्स एब्यूज प्रिवेंशन अफसर लाए। उन्होंने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया ।

सर, हमने ये सब चीजें लाकर कंट्रोल किया। लेकिन, दु:ख की बात है कि आज की जो मौजूदा सरकार है, हमने जो भी मिशन शुरू किए थे, वे सारे मिशन उन्होंने बंद कर दिए । आप सब जानते हैं कि उस सरकार को जो हेड कर रहे हैं, क्या वे ड्रग और नशा पंजाब में रोक सकेंगे? आज पंजाब में एक नया टेररिज्म दौर शुरू है। एक्सटॉर्शन का दौर शुरू है। एक्सटॉर्शन टेररिज्म, जिसके तहत आज रोज पंजाब में मर्डर हो रहे हैं और पंजाब में एक्सटॉर्शन हो रहा है । अभी पांच दिन पहले मेरे कांस्टिट्यूएंसी के एक व्यापारी से तीस लाख रुपये मांगे गए। 15 दिनों तक उससे

वार्तालाप हुई । यह चीज सारे देश में वायरल भी हुई । लेकिन, अल्टीमेटली उसको मार दिया गया। उसका जो गनमैन था, वह नौजवान था, मेरे साथ भी सिक्योरिटी में रहा था, उसको भी मार दिया। … (व्यवधान)

सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं । इसी तरह से आज पंजाब में जितने भी सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन हैं, मेरे क्षेत्र के इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया और सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया । … (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह सब अलग विषय है । अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदय, ये सब ड्रग में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मनी तो ड्रग की चल रही है । विदेशों में बैठे जो गैंगस्टर हैं, वे दूसरे स्टेट से शूटर को हायर करते हैं ।

यहां होम के मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं । यह ठीक है कि जो प्रिवेंशन है, वह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को करना है, उनका अपना काम चल रहा है, लेकिन जब तक भारत सरकार इंटर फोकस नहीं करेगी, तब तक यह मेनेस खत्म नहीं होगा ।

महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब से यह विनती करना चाहूंगा कि पंजाब फिर एक काले दौर से गुजर रहा है, आप उसको संभालिए । जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वह विजनलेस गवर्नमेंट है । यह उसके बस की बात नहीं है । यदि आप वहां फोकस नहीं करेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो पंजाब फिर बड़े टेररिज्म की ओर चला जाएगा । … (व्यवधान)

महोदय, लास्ट में मैं आपनी डिमांड रखना चाहता हूं । मेरी भारत सरकार से मांग है कि एक नेशनल ड्रग पॉलिसी इसके एनफोर्समेंट एंड प्रिवेंशन के लिए बनाई जाए और एक इंटर स्टेट के जरिए को-ऑर्डिनेशन हो, ताकि दूसरे स्टेट की बॉर्डर से जो आ रहा है, उसको खत्म किया जाए । इसी तरह से जो ड्राइ पोर्ट्स हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए । धन्यवाद ।

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): धन्यवाद सभापति महोदय, इससे पहले कि हम भारत में मादक पदार्थों की लत के इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें, हमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशीली दवाओं की लत के बीच की शर्तों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है ।

कोई व्यक्ति जो अवैध ड्रग्स का सेवन करता है, वह ड्रग एब्यूजर है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह एडिक्ट हो । एक ड्रग एडिक्ट वह है जो ड्रग्स पर निर्भर है और ड्रग्स का दुरुपयोग करने के लिए हर संभव संसाधन का प्रयास करता । एक ड्रग एडिक्ट वह भी है जिसके जीवन की गुणवत्ता अब गंभीर रूप से बाधित है और उसे ठीक होने और सामान्य स्वस्थ जीवन जीने के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता और मनोसामाजिक पुनर्वास की आवश्यकता हो सकती है ।

देश में एडिक्ट्स की बढ़ती संख्या के साथ, भारत को इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए एक योजना की आवश्यकता है। यह केवल दुरुपयोग किए जा रहे नशीली दवाओं के प्रकार, व्यसनियों के आयु-समूह, उच्चतम खपत वाले राज्यों और नशामुक्ति केंद्रों की उपलब्धता पर विस्तृत अध्ययन की मदद से किया जा सकता है। शराब के बाद कैनाबिस और ओपिओइड सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। मोटे तौर पर 2.8% भारतीयों का दावा है कि उन्होंने भांग के किसी न किसी उत्पाद का इस्तेमाल किया है। देश की लगभग 2.1 परसेंट ओपिओइड का उपयोग करती है। अपने देश में हेरोइन, फार्मास्युटिकल, अफीम, शामक, इनहेलेंट्स, कोकीन, और एम्फैटेमिन ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं।

महोदय, लगभग एक दशक पहले, संयुक्त राष्ट्र ने भारत में नशीली दवाओं के उपयोग के बारे में एक सर्वेक्षण किया था। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि अधिकांश भारतीयों ने ड्रग्स के साथ अपनी पहली बातचीत तब की थी जब वे युवा थे या जब वे पंद्रह वर्ष के थे। विशेष रूप से भांग और शराब जैसी नशीली दवाओं के दुरुपयोग करने वालों की औसत आयु पैंतीस के आस-पास थी। उनमें से लगभग 95% पुरुष थे। मैग्नीट्यूड ऑफ सब्स्टेंस एब्यूज, 2019 के

सर्वेक्षण से पता चलता है कि अब दस वर्ष से कम उम्र के और पचहत्तर वर्ष की उम्र तक के ड्रग एडिक्ट्स हैं ।

इसके साथ ही नशा करने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है । भारत युवाओं का देश है, इसलिए यह संख्या वास्तव में चिंताजनक है । ड्रग्स और नशीले पदार्थ खरीदने के लिए पैसे का दबाव होता है, तो वे भीख मांगने, उधार लेने और कई बार लोग चोरी करने का भी सहारा लेते हैं । भारत में नशीले पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण यह स्पष्ट करता है कि एक बड़ी आबादी नशीली दवाओं की आदि है । हालांकि उपचार की मांग और उपलब्ध उपचार सेवाओं के बीच एक बड़ा अंतर है । एक राष्ट्रीय स्तर पर उपचार कार्यक्रम समय की आवश्यकता है ।

इसके अलावा हमें पेशेंट्स के उपचार के साथ-साथ दवाओं, डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों की उचित पहुंच के साथ-साथ और पेशेंट को अधिक सरकारी सहायता प्राप्त नशा मुक्ति केन्द्रों की आवश्यकता है । समय-समय पर यह साबित होता है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है ।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ रोकथाम कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, हाउसिंग सोसाइटिज़, फैमिली क्लीनिक और अस्पतालों में चलाए जाने की जरूरत है । फोकस सिर्फ नशे को न कहने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर भी होना चाहिए कि मन और शरीर दोनों स्वस्थ कैसे रहें, तनाव और निराशाओं से कैसे निपटें और समाज के उत्पादक सदस्य कैसे बनें?

भारत के सामने एक लंबा और कठिन रास्ता है, लेकिन सही योजनाओं और संशोधनों के आवंटन से चीजें बेहतर हो सकती हैं । खासकर तेलंगाना राज्य में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर रोक लगाने व नियंत्रण करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नशीली दवाओं की तस्करी और खपत की अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने के लिए राज्य स्तरीय नारकोटिक्स बैठक त्रिमासिक आयोजित की जा रही है । राज्य पुलिस विभाग और अन्य राज्यों के मादक पदार्थों के अवैध

परिवहन की पहचान करने के लिए आधुनिक उपकरणों से वह लैस है। पुलिस, आबकारी, वन, आदि जाति कल्याण, राजस्व विभाग राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग की जांच के संबंध में काम कर रहे हैं। सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी के खतरों को रोकने के लिए केन्द्रीय औषधि नियंत्रण एजेन्सियों के साथ भी निकट रूप से काम कर रही है ।

इसके अलावा दलित बंधु जैसी अच्छी स्कीम दी है, ताकि फार्मिंग में गांजे की खेती न हो, सरकार की तरफ से ऐसी कोशिश की जा रही है। पुलिस विभाग नशा तस्करों और नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उनके खिलाफ कड़े निवारक रोध पीडी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं । राज्य के सभी पुलिस आयुक्तालयों और जिला मुख्यालयों में ड्रग और नारकोटिक प्रिवेंशन सेल्स स्थापित किए गए हैं ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सर, हम आज जिस अहम मसले पर इस ऐवान में बहस कर रहे हैं, मेरा मानना है कि हमारे भारत के आईन और संविधान में बुजुर्गों ने आर्टिकल 47 का जिक्र किया है । इस सरकार की अक्ल में, उनकी इल्म में इज़ाफ़े के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 47 आर्टिकल 44 से ज्यादा अहम है । अगर हमारे मुल्क में ये जो ड्रग्स फैल रहे हैं, ये दीमक की तरह हमारे इस मुल्क की आने वाली नस्ल को खोखला कर रहे हैं । अगर एक दहशतगर्द का हमला होता है, तो लोग मरते हैं । मगर ये ऐसा हमला है, जिससे नस्लें बर्बाद हो रही हैं ।

सर, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत आर्टिकल 44 के बजाय 47 पर ज्यादा तवज्जों मरकुज़ करेगी। जो दीमक पूरे मुल्क में हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहा है, उस पर इस सरकार को उतरना पड़ेगा। अगर सिर्फ ऐलानात और बातें होंगी, तो कुछ नहीं होगा ।

सर, मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूं। यह इतना बड़ा मसला है कि वर्ष 2021 में ड्रग्स के ऊपर 78,331 एफआईआर्स रजिस्टर हुई हैं । उसी साल यानी वर्ष 2021 में एनडीपीएस एक्ट में जो सीजर्स हुए हैं, वह 12 लाख हैं। अगर लीटर्स में देखेंगे, तो करीब 8,90,000 सीजर्स हुए हैं । मैं आपकी इत्तला के लिए बताना चाहूंगा कि जो पुलिस का खर्चा होता है, सरकार पुलिस को जो देती है, मेरे पास उसका डेटा है । मिसाल के तौर पर दिल्ली पुलिस कितना खर्चा कर रही है । उनका बजट 99 करोड़ रुपये है, तो वर्ष 2022-23 बीई में सिर्फ 0.1 प्रतिशत ही खर्च हुआ है । आप इस दीमक, इस दहशगर्दी का मुकाबला ऐसे करेंगे?

सर, आप आंध्र प्रदेश और असम को देखिए । There is 6 per cent expenditure on police. If you come to Rajasthan, only 3 per cent expenditure is there in 2023 BE. In West Bengal, only 4 per cent expenditure is there. Now, this is what is the main issue over here. We are not spending the money which is allocated. How are we going to control this menace?

Sir, there is another important point. India is sandwiched between two largest opium producing regions of the Golden Triangle, जिसमें थाईलैंड और म्यांमार है । गोल्डन क्रिसेंट है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है ।

हमारे मुल्क में 70 परसेंट ड्रग्स समुद्र के रास्ते से आते हैं । अगर समुद्र के रास्ते से आते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है । आप क्या कर रहे हैं? 70 परसेंट ड्रग्स समुद्र के रास्ते से आते हैं । ड्रग्स अरेबियन सी के रास्ते से आते हैं और बे ऑफ बंगाल के रास्ते से आते हैं । मेरा सरकार से सवाल है कि how would you control the dark web? डीलिंग्स पूरी डार्क वेब पर होती है । दूसरा, ड्रग्स की जो पर्चेजिंग होती है, चूँकि डार्क नेट एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से क्रिप्टोकरंसी से ड्रग्स खरीदे जाते हैं । इसके ऊपर आपके पास क्या लॉ-ए-अमल है?

तीसरी बात यह है कि तेलंगाना की पुलिस गोवा गई थी । गोवा की सरकार तआउन करने के लिए तैयार नहीं है । तेलंगाना पुलिस गोवा के तीन बड़े ड्रग किंगपिंग्स को पकड़कर लेकर आई और गोवा की पुलिस अनऑफिशियली बोलती है ।

> "You arrest them after the New Year, otherwise our tourism industry will get affected."

What kind of non-sense is this? वे बोल रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को मुतासिर करें । ड्रगपिन में जो हैं, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। I do not want to name him. That fellow was a waiter but now, he is a mafia lord. यह कैसे होगा? इसलिए हम सरकार से इसे खत्म करने की उम्मीद करते है । Now, if you take this case to court, what will happen in the court? If the drugs are seized, they are shown as 'seized' but not 'sealed', and that is where you get the bail. आपने उसे सील्ड ही नहीं करते हैं ।

There are so many lacunae. About 70 per cent of drugs are coming through the sea route. It is for this Government to stand up and deliver on it. Just forget about Article 44 and kindly remember Article 47. It is important because drugs are destroying the whole nation. Sir, one simple experiment can be done on 31st December. In all the important cities of our country like Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, you tell the people that you will check everyone before entering into the rave parties. There are children of the age of 14 to 15 years, belonging to the richest families in Hyderabad, who are involved into all this. So, I hope, the Government will take action against this.

Lastly, Sir, this is a threat to India because the majority of drugs are coming from Afghanistan and Iran. वे हमारे से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हैं, नफरत करते हैं । आप उसके लिए क्या करने वाले हैं? अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से जो ड्रग्स आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सब बोल रहे हैं कि ड्रोन से आ रहे हैं, ड्रोन से आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? We have seized so much of drugs. That is not the question. The question is, how would you put an end to this, and what actions are you going to take for that? I hope, the country will rise up. We have to work together to stop this menace, अदरवाइज, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी ।

[جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): سر، ہم آج جس اہم مسئلے پر اس ایوان میں بحث کر رہے ہیں، میرا ماننا ہے کہ ہمارے بھارت کے آئین اور سنویدھان میں بزرگوں نے آرٹیکل 47 کا ذکرکیا ہے۔ اس سرکار کی عقل میں، ان کے علم میں اضافے کے لئے میں کہنا چاہوں گا آرٹیکل 47 آرٹیکل 44 سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ہمارے ملک میں یہ جو ڈرگس پھیل رہے ہیں، یہ دیمک کی طرح ہمارے اس ملک کی آنے والی نسل کو کھوکھلہ کر رہے ہیں۔ اگر ایک دہشت گرد کا حملہ ہوتا ہے تو لوگ مرتے ہیں۔ مگر یہ ایسا حملہ ہےجس سے نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔

سر، اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت آرٹیکل 44 کے بجائے 47 پر زیادہ توجہ مرکوز کرے گی۔ جو دیمک پورے ملک میں ہماری نسل کو برباد کر رہا ہے، اس پر اس سرکار کو اُترنا پڑے گا۔ اگر صرف اعلانات اور باتیں ہونگی تو کچھ نہیں ہوگا۔

سر، میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سال 2021 میں ڈرگس کے اوپر 78331 ایف۔آئی۔آرس رجسٹر ہوئی ہیں۔ اسی سال یعنی 2021 میں این۔ڈی۔پی۔ایس۔ میں جو سیزرس ہوئے ہیں، وہ 12 لاکھ ہیں۔ اگر لیٹرس میں دیکھیں گے تو قریب 890000 سیزرس ہوئے ہیں۔ میں آپ کی اطلاع کے لئے بتانا چاہوں گا کہ جو پولس کا خرچہ ہوتا ہے سرکار پولس کو جو دیتی ہے میرے پاس اس کا ڈاٹا ہے۔ مثال کے طور پر دہلی پولس کتنا خرچ کر رہی ہے۔ ان کا بجٹ 99 کروڑ روپئے ہے تو سال 2022-23 بی۔ای۔ میں صرف 0.1 فیصد ہی خرچ ہوا ہے۔ آپ اس دیمک اس دہشت گردی کا مقابلہ ایسے کریں گے؟]

There is 6 percent [سر، آپ آندھرا پردیش اور آسام کو دیکھئے] expenditure on Police if you come to Rajasthan only 3 percent expenditure is there in 2023 BE. In West Bengal, only 4 percent expenditure is there. Now this is what is the main issue over here. We are not spending the money which is allocated. How are we going to control this menace

Sir, there is another important point. India is sandwiched between two largest opium producing regions of the Golden Triangle, [جس میں تھائی لینڈ اور [میانمار ہے۔ گولڈن کریسینٹ ہے، جس میں پاکستان، افغانستان اور ایران ہے۔

ہمارے ملک میں 70 فیصد ڈرگس سمندر کے راستے سے آتے ہیں۔ اگر سمندر کے راستے سے آتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ 70 فیصد ڈرگس سمندر کے راستے سے آتے ہیں، ڈرگس بحرعرب کے راستے سے آتے ہیں اور بے آف بنگال کے راستے سے آتے ہیں۔ میرا سرکار سے سوال ہے کہ **How would you control the dark web.** ڈیلینگس پوری ڈارک ویب پر ہوتی ہے، دوسرا ڈرگس کی جو پرچیزنگ ہوتی ہے، چونکہ ڈارک نیٹ ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے، جس کے ذریعہ سے کرپٹو کرینسی سے ڈرگس خریدے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کے پاس کیا لائحہ عمل ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ تیلنگانہ کی پولس گوا گئی تھی، گوا کی سرکار تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ تیلنگانہ پولس گوا کے تین بڑے ڈرگس کِنگپِنس کو پکڑ کر لے کرآئی اور گوا کی پولس ان آفیشیلی بولتی ہے۔

"You arrest them after the new Year, otherwise our tourism industry will get affected. "

وہ بول رہے ہیں کہ ٹورزم انڈسٹری کو متاثر کرے۔What kind of non-sense is this? I do not what to name**him.** That **ڈرگپن میں جو ہیں، اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں۔** fellow was a waiter, but he is a Mafia Lord. **یہ کیسے ہوگا؟ اس لئے ہم سرکار سے اسے ختم کرنے کی امید کرتے ہیں۔** Now if you take this case to Court, what willhappenin the Court? If the drugs are seized, they are shown as 'seized' but now ' sealed', and that is where you get the bail. **آپ اسے سیلڈ ہی نہیں کرتے ہیں۔**

There are so many lacunae. About 70 percent of drugs are coming through the sea route. It is for this Government to stand up and deliver on it. Just forget about Article 44 and kindly remember Article 47. It is important because drugs are destroying the whole nation. Sir, one simple experiment can be done on 31st December. In all the important cities of our Country like Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, you tell the people that you will check everyone before entering into the rave parties. There are children of the age of 14 to 15 years. Belonging to the richest families in Hyderabad. Who are involved into all this. So, I hope, the Government will take action against this.

Lastly, Sir this is a threat to India because the majority of drugs are comingfromAfghanistan and Iran. **وہ ہمارے سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، آپ اس کے لئے کیا کرنے والے ہیں؟ افغانستان سے پاکستان سے جو ڈرگس آ رہا ہے، اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب بول**

رہے ہیں کہ ڈرون سے آ رہے ہیں، ڈرون سے آ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ We have seized so much of drugs.That is not the question. The question is, how would you put an end to this , and what actions are you going to take for that? I hope, the country will rise up. We haveto worktogether to stop this menace, ادروائز، ہمارے نسلیں برباد ہو جائیں گی۔]

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सर, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । आज हमारा मुल्क अंदर से कितने परसेंट खोखला हो चुका है, यह हमें मालूम नहीं है । यह बहुत संजीदगी की चीज है कि यह इश्यू आपने उठाया है । मेरे हिसाब से इस हाउस को इस विषय पर पूरा एक दिन देने की जरूरत है । हर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट अपने इलाके की बात करे । अगर हर कोई अपनी गिरेबान में झांकेगा तो यह नहीं बोल सकेगा कि मैं इससे बचा हुआ हूँ । यह किसी को भी मालूम नहीं है कि मेरे घर में बेटा क्या कर रहा है? यह किसी को भी मालूम नहीं है कि मेरे घर में जवान बेटी, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रही है, वह किस तरह से घर में आ रही है । कॉलेज के बाहर जो ड्रिंक्स वगैरह बेचते हैं, जो चना वगैरह बेचते हैं, वे सब सप्लायर बन चुके हैं । ऐसी हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं । ये ऐसी चीज है, जिसे हर पार्टी, पार्टी के हिसाब से न देखकर मुल्क बचाने के नजरिए से देखे । हम दहशतगर्दी की बात करते हैं । यकीनन वह भी एक जरिया है । मुल्क को बचाना चाहिए और मुल्क इसी से बचेगा । ड्रग्स दीमक की तरह हमारी नस्लों को खाए जा रहे हैं । उसके लिए हम सबको मिलकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा । इस पूरे मुल्क को एक होना पड़ेगा । जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमें ड्रग्स फ्री मुल्क बनाना है । इसलिए मेरा यही कहना है कि आप-हम सब मिलकर इस मामले पर एक होने चाहिए तथा हम कॉलेजेस के ऊपर ध्यान दें, हम यूनिवर्सिटीज़ पर ध्यान दें ।

सर, अब हॉस्पिटलों में डाक्टरों के बारे में शिकायत आती है । थानों में पुलिसवालों की शिकायत आती है । अब लोगों में एक आम नज़रिया हो गया है कि 10 बजे के बाद थाने में कोई फोन मत करो, क्योंकि वे तो नशे में धुत होंगे । अखबारों में इस किस्म की रिपोर्ट्स आती हैं कि वहां एक औरत अपनी इज्ज़त बचाने के लिए जाती है, लेकिन वह वहां से इज्ज़त लुटवाकर चली आती है । इसलिए कॉलेजों में अगर टीचर्स इसके नशे के आदी हो जाएं, प्रोफेसर्स इसके नशे के आदी हो जाएं, अगर पढ़ाने वाले इसके आदी हो जाते हैं तो इन बच्चों का क्या होगा? यही हमारे भविष्य हैं । हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा । पोलिटिकल डिफ्रेंसेज हैं, वे अपनी जगह पर होते रहेंगे, इलेक्शन के टाइम पर हम एक दूसरे के खिलाफ लेक्चर देंगे, लेकिन इस किस्म के

माद्दे में हम सभी लोगों को एक होना चाहिए । हम सभी को मिल-जुलकर लड़ना चाहिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए और नशामुक्त मुल्क हमें बनाना है । इसकी हमें यही से अहद करना चाहिए । धन्यवाद ।

[جناب بدرالدین اجمل (دھبری): جناب چیرمین صاحب، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئےمیں آپ کا شکرگزار ہوں۔

آج ہمارا ملک اندر سے کتنے فیصد کھوکھلہ ہو چکا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ بہت سنجیدگی کی چیز ہے کہ یہ ایشیو آپ نے اُٹھایا ہے۔ میرے حساب سے اس ایوان کو اس مُدعہ پر پورا ایک دن دینے کی ضرورت ہے۔ ہر ممبر آف پارلیمینٹ اپنے علاقے کی بات کرے۔ اگر ہر کوئی اپنی گریبان میں جھانکے گا تو یہ نہیں بول سکے گا کہ میں اس سے بچا ہوا ہوں۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر میں بیٹا کیا کر رہا ہے؟ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر میں جوان بیٹی، جو یونیورسٹی یا کالج میں جا رہی ہے، وہ کس طرح سے گھر میں آ رہی ہے۔ کالج کے باہر جو ڈرنکس وغیرہ بیچتے ہیں، جو چنا وغیرہ بیچتے ہیں وہ سب سپلائر بن چُکے ہیں، ایسی ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جسے ہر پارٹی، پارٹی کے حساب سے نہ دیکھ کر ملک بچانے کے نذریعہ سے دیکھے۔ ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، یقیناً وہ بھی ایک ذریعہ ہے، ملک کو بچانا چاہئیے اور ملک اسی سے بچے گا۔ ڈرگس دیمک کی طرح ہماری نسلوں کو کھائے جا رہی ہے، اس کے لئے ہم سب کو ملک کر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس پورے ملک کو ایک ہونا پڑے گا۔ جیسے کہ وزیرِ اعظم صاحب نےکہا ہے ہمیں ڈرگس فری ملک بنانا ہے۔ اسی لئے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ ہم سب ملکر اس معاملے پر ایک ہونے چاہئیے اور ہمیں کالجز کے اوپر دھیان دینا چاہئیے، ہمیں یونیورسٹیز پر دھیان دینا چاہئیے۔

سر، اب اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے بارے میں شکایت آتی ہے تھانوں میں پولس والوں کی شکایت آتی ہے، اب لوگوں میں ایک عام نظریہ ہو گیا ہے

کہ 10 بجے کے بعد تھانے میں کوی فون مت کرو کیونکہ وہ تو نشے میں دھُت ہوں گے۔ اخباروں میں اس قسم کی رپورٹس آتی ہیں کہ وہاں ایک عورت اپنی عزت بچانے کے لئے جاتی ہے لیکن وہ وہاں سے عزت لُٹوا کر چلی آتی ہے، اس لئے کالجوں میں اگر ٹیچرس اس کے نشے کے عادی ہو جائیں، پروفیسرس اس کے نشے کے عادی ہو جائیں، اگر پڑھانے والے اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ یہی ہمارا مستقبل ہیں، ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ پولیٹیکل اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ ہوتے رہیں گے۔ الیکشن کے وقت پر ہم ایک دوسرے کے خلاف لیکچر دیں گے، لیکن اس قسم کے معاملے میں ہم سبھی لوگوں کو ایک ہونا چاہئیے۔ ہم سبھی کو مل جُل کر لڑنا چاہئیے۔ اس ملک کو آگے بڑھانا چاہئیے اور نشہ مُکت ملک ہمیں بنانا ہے۔ اسکا ہمیں یہی سے عہد کرنا چاہئیے۔ شکریہ]

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति जी, सबसे पहले माननीय सांसद श्रीमती हरसिमरत कौर जी द्वारा जो यह महत्वपूर्ण विषय – मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम, पर नियम 193 के तहत सदन में चर्चा लेकर आए, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा । मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि इस पर लम्बे समय से यह मांग चल रही थी कि नशे की रोकथाम के लिए क्या उपाय हों । हिन्दुस्तान, जहां पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक नौजवानों की आबादी है और यह देश नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है और बर्बाद होता जा रहा है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय हों । इस संबंध में आज यह चर्चा चल रही है, कई माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन हम भाषण देकर चले जाएंगे, सारी बातें कह देंगे । मेरा निवेदन है कि इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय हों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर समाज में किस तरह से जनजागरण अभियान चलें, किस तरह हम युवा पीढ़ी को बचाएं । अभी हाउस में मैंने देखा, जब हरसिमरत कौर जी पंजाब के बारे में बोल रही थीं, तो किस तरह के एलिगेशन्स भी लगे । पंजाब, राजस्थान और हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के अंदर नशे का कारोबार फलता-फूलता जा रहा है । मैं पोलिटिकल पार्टियों से एक निवेदन करूंगा कि नशे के कारोबारी, चाहे वह शराब के कारोबारी हों, शराब माफिया हो या ड्रग्स माफिया हो, उसे आप टिकट ही मत दो । जब ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो आदमी जैसा धन्धा करके आगे बढ़ता है, वह वैसा ही काम करता है । पोलिटिकल पार्टियों को देश हित में यह बात सोचनी चाहिए कि ऐसे लोगों को राजनीति में न आने दें । अभी मेरे कांग्रेस के साथी नाराज हो जाएंगे, राजस्थान के अंदर 20 से ज्यादा विधायक और मंत्री ऐसे हैं जो …* कारोबार करते हैं, …* का काम करते हैं, वे सारे लोग मंत्रिमंडल में बैठे हैं । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है । मेरा यह निवेदन है कि जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो हमारे सजेशन्स भी आने चाहिए । हम बात करके चले जाएंगे, लेकिन इसकी रोकथाम कैसे हो, रोकथाम के उपाय क्या हों । सबसे पहला उपाय यह हो कि पोलिटिकल पार्टियां यह तय करें कि नशे के कारोबार से जुड़े व्यक्ति को पार्टियां टिकट नहीं देंगी । इससे देश के अंदर आधा काम

* Not recorded as ordered by the Chair.

अपने आप हो जाएगा । यहीं से शुरुआत की जाए, क्योंकि जब ऊपर से शुरुआत होती है, तो वही नीचे जाती है । आप देखेंगे कि अगर जिले का एसपी ईमानदार होता है तो थानेदार अपने आप ईमानदारी से काम करता है । अगर कलेक्टर ईमानदार होता है तो पटवारी भी ईमानदार होते हैं । अगर वे चोर होंगे तो नीचे भी चोरी चलेगी । ऊपर से शुरूआत की जाए । यह मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करे और फिर कांग्रेस टिकट के मामले में उसे फॉलो करे । यह मेरा निवेदन है ।

सभापति महोदय, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और मादक द्रव्यों का सेवन देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, इसे रोकने के लिए हमारे पास कई अनिवार्य कानून हैं, लेकिन मौजूदा कानूनों में कुछ कमियां तथा उनके क्रियान्वयन में कमी के कारण मादक पदार्थों पर प्रभावी रूप से लगाम नहीं लग पा रही है, जो सरकार के सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में एवं मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाने तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित बच्चों को परामर्श और पुनर्वास की आवश्यकताओं को लेकर जो सुझाव दिए, उन पर अब तक क्या क्रियान्वयन किया गया है? मार्च, 2022 में लोक सभा में एक सवाल में सरकार ने जो जवाब दिया, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि वर्ष 2018 के दौरान एनडीडीटीसी, एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से भारत में नशीले पदार्थों की मात्रा एवं पैटर्न पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा विभिन्न नशीले पदार्थों के सेवन का जो आंकड़ा है, वह बहुत चिन्ताजनक है । मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके युवक ही होते हैं । … (व्यवधान)

सर, मुझे थोड़ा और बोलने दीजिए ।… (व्यवधान)

जब देश का युवा ही नशे को फैशन बना चुका है तो यह निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है । यह बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारी सभ्यता जितनी आगे बढ़ी, नशाखोरी और अपराध की घटनाएं भी उतनी तेजी से आगे बढ़ी हैं । हिंसा, बलात्कार, चोरी, आत्महत्या आदि अनेक अपराधों के पीछे नशा बहुत बड़ी वजह है ।

सर, मैं राजस्थान का एक उदाहरण दूंगा । दिल्ली के पालम क्षेत्र की एक घटना है, उसके बाद मैं राजस्थान की बात बताऊंगा । दिल्ली में एक युवक ने अपनी माता, बहन, पिता तथा दादी की हत्या कर दी और इसलिए हत्या कर दी कि उसके घर वालों ने उसे नशे के लिए पैसे देने से मना कर दिया था । इसी प्रकार त्रिपुरा में एक नाबालिग ने अपने परिवार की हत्या कर दी । इसी प्रकार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव फेफाना में नशे की लत ने पूरे परिवार को निगल लिया, क्योंकि नशे के आदि युवक को घर वालों ने नशा मुक्ति केंद्र भेजा था । वहां से वापस आकर और इस बात से नाराज़ होकर उसने माँ-बाप तथा छोटे भाई की हत्या कर दी । छीना-झपटी, डकैती और चोरी की बढ़ती वारदातें भी नशे के आदी लोग करते हैं, जो देश के लिए चिंता का विषय है ।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात को शॉर्ट में ही समाप्त करूंगा, क्योंकि दो-तीन महत्वपूर्ण मामले हैं । चूंकि मैं लोक सभा के अंदर नौजवानों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की राजनीति से आया हूं तो मुझे इस बात के लिए दो मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए ।

माननीय सभापति : नहीं, नहीं ।

श्री हनुमान बेनीवाल : महोदय, ड्रग्स की तस्करी का प्रचार-प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है । जैसा ओवैसी जी बता रहे थे कि किसी आतंकी घटना का नुकसान सीमित मात्रा में होता है, लेकिन समाज में ड्रग्स का प्रसार पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है । नारकोटिक्स दीमक की तरह हमारी युवा पीढ़ी को खत्म कर रहा है । इसके व्यापार से आने वाला अवैध धन आतंकवाद को भी पोषित करता है । देश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखने और आतंकवाद के वित्त

पोषण पर करारा प्रहार करने की दृष्टि से नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है । ... (व्यवधान)

आए दिन समाचारों में देश के बन्दरगाहों में सीज़र की खबरें आती है । मेरे से पूर्व कई विद्वान वक्ताओं ने इस बात को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन इसके बाद किन दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, इसकी खबर नहीं आती । केवल मेरे राज्य राजस्थान की ही बात करूं तो पिछले तीन वर्षों में केवल राजस्थान में नारकोटिक्स के केसेज़ 45.42 प्रतिशत बढ़ गए हैं । ... (व्यवधान) सर, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । ध्यान देने वाली बात यह है की नार्कोटिक्स मामलों में सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान के सीमावर्ती जिलों गंगानगर और हनुमानगढ़ में हैं । जिससे यह प्रतीत होता है कि अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी आज चरम पर है ।

सभापति महोदय, यह मेरा लास्ट टॉपिक है । राजस्थान के युवा बहुत तेज़ी से सिंथेटिक ड्रग्स, जिसमें एमडीएमए भी आता है, उसकी चपेट में आते जा रहे हैं, जो हमारे भविष्य को खतरे में डाल रहा है । दुख से बताना पड़ रहा है कि इस समय पूरे प्रदेश में अन्य ड्रग्स की तुलना में सिंथेटिक ड्रग्स की बड़ी खेप पहुंच रही है, जो पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक स्मगल हो रही है । ... (व्यवधान) सर, मेरा यह लास्ट सेंटेंस है और मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं ।

माननीय सभापति : यह आपका लास्ट सेंटेंस है ।

श्री हनुमान बेनीवाल : महोदय, मैं अपनी बात को अभी समाप्त कर रहा हूं । किसी भी प्रकार का नशा मनुष्य की जिंदगी को नर्क की तरफ ले जाता है । कुछ साल बाद नशा करने वाले जिंदा लाश हो जाते हैं । सिंथेटिक ड्रग्स बहुत तेजी से काम करता है । सिंथेटिक ड्रग्स का नशा करने पर स्वभाव में बहुत तेजी और अधिक परिवर्तन होता है । इससे अलग-अलग भावनात्मक परिवर्तन, कई प्रकार की विकृतियां धीरे-धीरे स्थाई हो जाती हैं । यह शरीर के बल का नाश करके वक्त से पहले ही बूढ़ा बना देता है । मेरा एक निवेदन है कि इस मामले में जिस तरह से शराब से मौतें हुईं, राजस्थान के अंदर जहरीली शराब से मौतें हुईं और देश के अंदर जिस तरह शराब दुखांतिका हो

रही है और वहां के मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि जो पीएगा, वह मरेगा । इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? … (व्यवधान)

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । यह बहुत ही सीरियस इश्यू है, जो हमारे देश के आगे के भविष्य, मतलब युवा पीढ़ी के लिए है । इस चर्चा को नियम 193 के तहत परमिशन दी गई है, जो हमारे देश में ड्रग्स एब्यूज को लेकर है । मुझे लगता है कि पहले पंत प्रधान जी का सभी को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग देश के प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत देश में मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर और मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस के माध्यम से पूरे देश में सेंटर्स के द्वारा हो रही है और जितने भी सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, उनके माध्यम से जितना कंट्रोल कर सकें, ड्रग्स पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है ।

सर, इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सहभागिता जिनकी है, उनमें आंगनबाड़ीज़, आशा वर्कर्स, महिला मंडल और कई एनजीओज़ हैं, जो इसके लिए काम करती हैं । हमारी यंग पीढ़ी, जो इसमें पूरी इन्वॉल्व है, उसको किस तरीके से इस ड्रग्स एडिक्शन से बाहर निकाला जाए, उसके ऊपर काम कर रही हैं । अगर वक्त रहते इसको कंट्रोल नहीं किया तो इसके घातक परिणाम होंगे । हमारे देश के एनडीपीसी एक्ट, 1985 में ड्रग संबंधित कायदे में कलम 37 द्वारा लिए गए बेल के प्रावधान को और कठोर करने की जरूरत है । कलम 20, 22, 25 तथा 29 के अंतर्गत दी गई शिक्षा को और भी कठोर करने की आवश्यकता है ।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र से एमपी हूं, जहां से रेप्रेजेंट करती हूं, वहां आजकल की युवा पीढ़ी और मुंबई जैसे शहर में, जहां उनका जन्म हुआ, अगर शहरों में देखते हैं तो कॉलेज और स्कूल्स के बाहर तथा हमारे जैसे अमरावती शहर में, जो बहुत छोटा टाउन है, वहां पर एमडी (मेफेड्रोन) के केसेज़ लार्ज स्केल पर चल रहे हैं । महाराष्ट्र और मुंबई में, जहां पर पार्टीज़ होती हैं तथा मेरे पास पूरा डाटा है, अगर वह डाटा दिखाएं, जिसमें अलग-अलग ड्रग्स हैं, जिनके मेरे कई भाइयों ने नाम

लिए हैं तो नाम लेते हुए एज ए पेरेंट, एज ए लोक प्रतिनिधि अपने क्षेत्र को रेप्रेजेंट करते हुए, देह के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब ड्रग्स हमारी पीढ़ी को बर्बाद करती हैं । सभी ने पॉलिटिकल भाषण दिए हैं ।

सर, एक महिला होने के नाते मैं चाहती हूं, हम चाहते हैं और हमलोगों को यह चाहना चाहिए कि इन चीजों पर रोक कैसे लगेगी? हम कैसे मिल कर काम करेंगे? हम अपने क्षेत्र की जवाबदारी कैसे लेंगे? हम लोग इस पर कैसे काम कर सकते हैं? इस पार्टी को यह करना चाहिए या उस पार्टी को यह करना चाहिए, इसके लिए यह हाउस नहीं है । हमारे देश की पीढ़ी, जवान और बच्चों को इन चीजों से कैसे बचाया जाए? हमें इस पर काम करना चाहिए ।

मेरे एक कुलिग भाई ने बताया है कि अमित शाह जी का जहां पर भी नाम आए, वह काफी है । नाम में ही दम है, नाम ही काफी है । जहां पर भी वह जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे, जो सब्जेक्ट वह हाउस में लेकर आते हैं, उस पर पूरी ईमानदारी से देश के लोगों के लिए हमारे गृह मंत्री, अमित शाह जी काम कर रहे हैं, लेकिन यह मेरी पीड़ा है ।

*I will talk about Punjab. Though I have basically been born and brought up in Mumbai, and I have worked in the South, मेरी जेनरेशन पंजाब से है । So, I will talk in Punjabi.

Sir, drugs are being sold in every nook and corner of Punjab. The youth of Punjab is being destroyed. Iodex is put on bread and young people in Punjab have got addicted to even cheap intoxicants. From where does the drug come? Cheap intoxicants, worth Rs. 50 or Rs. 100, which come in the form of tablets are being used as drugs. A Member said that lots of people

---

* .....* English translation of this part of the speech originally delivered in Punjabi.

from Punjab go abroad. However, those who do not go abroad fall prey to the menace of drugs. Every second household in Punjab has a drug-addict. I request the Hon. Home Minister. We indulge in our separate politics. But, Punjab is a border State. Across the border is Pakistan. Earlier, Punjab – the land of 5 rivers was a beautiful State that had ushered in Green Revolution. How it has become a drug-addict State as shown in the movie 'UDTA PUNJAB'? What have the State Governments done? Everyone has played with the future of our children and youth. How did the drugs reach every household and every village. We must check this menace. Please check the smuggling of drugs from Pakistan. Please save the future of Punjab.*

आज पंजाब की तरह ही महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इस तरह की चीजें एक्सपोर्ट की जा रही हैं । वे यहां तक पहुंचाई जा रही हैं । वे बड़ी-बड़ी पार्टीज कर रहे हैं । इनमें सिर्फ बड़े नाम नहीं हैं । बड़े नाम बाहर आते हैं । जो गांव, खेड़ों और छोटे शहरों में रहते हैं, उन परिवारों का क्या? उनके ऊपर ड्रग्स के नशे में अत्याचार किया जाता है । उनको होश नहीं रहता है । वे रोड पर सो जाते हैं । ऐसे बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है । हम लोगों को उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए । मेरे हाथ में डाटा है । इसे मैंने देखा है । देश में 25-30 प्रतिशत ड्रग एडिक्ट्स के नम्बर्स हैं । अगर इतने बड़े परसेंटेज में ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो हमारे देश का भविष्य किस मोड़ पर जा रहा है? उसको कम करने के लिए हम सभी को मिल कर, no politics, no party and no leaders, हम सभी वर्कर्स बन कर ड्रग्स एक्यूज्ड को बंद करने के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं?

HON. CHAIRPERSON : Navneetji, now, try to conclude.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA: Sir, it is very important.

HON. CHAIRPERSON: That is why, you try to conclude.

श्रीमती नवनित रवि राणा: हमारे एक भाई उत्तर प्रदेश के नेता हैं । I do not want to take anybody’s name. मुझे दु:ख होता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरीके से आत्महत्या की है, उसके पीछे के कारण आज तक हमारे देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं लगे । सीबीआई ने महाविकास अघाड़ी में जो इनक्वायरी की थी, उन्होंने उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की? उसका रीजन क्या था? हमें यह पता नहीं लगा ।

सर, मैं आपको अपना एक्सपीरिएंस बताती हूं । When I said that I would read and chant Hanuman Chalisa in front of Uddhav Thackerayji’s house, जब मैंने यह लाइन कही, तो मुझे मेरे घर में ही बंद किया गया । उसके बाद मुझे 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया । मैं जेल के लेडिज बैरिकेड में थी । जब वे एज ए क्रिमिनल मुझे आधे घंटे खाने के लिए छुट्टी देते थे, तब हम उनसे बात करते थे । They were young educated girls belonging to very good families. जब हम उनसे बात करते थे कि आप यह क्यों करती हैं? उनमें से कई यह शौक के कारण करती हैं, डिस्ट्रिब्यूशन करती हैं । मैंने पूछा कि आप कितने पैसे कमाती हैं? वे दिन में 40-50 हजार रुपए कमाती हैं । हम जेल में उन लड़कियों का ब्रेन वाश करते थे । This is not good. You are educated. आप अच्छा काम कर सकती हैं, लेकिन उनको कोई दूसरी राह दिखाई नहीं देती है । ऐसे बच्चों को जेल से निकाल कर उनका भविष्य सुरक्षित करना भी हमारी जवाबदारी है, क्योंकि मैंने वह खुद अनुभव लिया है ।

जब मैं 14 दिनों तक वहां थी, तो young, educated and beautiful girls of 19, 20, 24 or 25 years were there. उनसे बात करने पर पता चला कि वे ड्रग एडिक्ट्स हैं । वे ड्रग्स बेचने का काम करती हैं । यह जानकर दु:ख होता है । ड्रग्स इनके हाथ तक कैसे पहुंचता है?

इसलिए मैं आपसे इतनी विनती करूँगी, मुझे आप पर, गृह मंत्री जी पर, उनके डिपार्टमेंट पर पूरा विश्वास है । वे जो भी करेंगे, हमारे देश की जेनरेशन के लिए बहुत अच्छा करेंगे । माँ के

पास ही बच्चा रोता है । इसलिए शायद यह आवाज़ बच्चे की ही है । वह आवाज़ अपनी सरकार, अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी । मैं चार लाइनें कहना चाहूँगी, जो बहुत ही सुन्दर लाइनें हैं, जो हमारे देश के बच्चों के बारे में है । It is very important. यह मेरा दर्द है, जो मैं बच्चों को और हमारे यंगस्टर्स को देखकर फील करती हूँ ।

रोक दो नशे की दरियाओं में बहते हुए पानी को,

अभी भी वक्त है, बचा लो देश के यंग बच्चों को ।

मैं गृह मंत्री जी से इतनी विनती करती हूँ और इस पार्लियामेंट के जितने भी मेम्बर्स हैं, उन सभी से करती हूँ कि हम सब एक हैं और हमारे भविष्य के लिए हम सब को लड़ना चाहिए ।

Thank you, so much Sir.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक महत्वपूर्ण और देश की एक ज्वलंत समस्या पर, विशेष रूप से देश में मादक पदार्थ के संदर्भ में इस सदन में नियम 193 के तहत जो चर्चा हो रही है, मुझे इसमें भाग लेने का अवसर प्रदान किया है ।

मैं बहुत ही पीड़ा के साथ, दर्द के साथ अपनी भावनाएं रखना चाहता हूँ । भारतवर्ष पर हमें गर्व है । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गर्व करते हैं कि हमारा देश एक युवाओं का देश है । इसकी आबादी का 60 परसेंट लोग युवा हैं । जिस देश के 60 परसेंट लोग युवा हों, वह देश ही आगे बढ़ सकता है । हमारा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है । हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि विगत आठ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों के लिए जो काम किए हैं, उससे सभी तबके, सभी वर्गों के लोग और सभी जगहों पर हमारा देश ऊँचाइयों पर पहुंच गया है ।

महोदय, आज सदन में एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है । मैं बहुत देर से चर्चा को सुन रहा हूँ । ड्रग एडिक्शन से जो नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, जो नस्ल बर्बाद हो रही है, उस पर देश के विभिन्न राज्यों के माननीय सांसदों ने चिन्ता जाहिर की है ।

कई माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ । आज की चर्चा राजनीति से ऊपर उठकर करनी चाहिए और हम सब लोग कर भी रहे हैं । देश के सामने जो चैलेंज है, जो चुनौतियाँ हैं, खास तौर पर 15 से 24 साल के बच्चे नशे के आदी हो गए हैं, हम उनकी चिन्ता कर रहे हैं । हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ड्रग्स को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों का सहयोग लेकर, देश के विभिन्न राज्यों का सहयोग लेकर पूरी निष्ठा के साथ कई कानून लागू करने काम हुआ है, जिसके सकारात्मक असर हो रहे हैं । यही नहीं, मुख्य रूप से जो डिपार्टमेंट है, गृह विभाग तो कानून बना रहा है, कई माननीय सदस्यों ने उसकी चर्चा भी की, कुछ पर मैं भी चर्चा करूँगा । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भी लोगों में अवेयरनेस के लिए, नशे से मुक्ति के लिए बहुत ही व्यापक

काम किए हैं । उस पर भी लोगों ने लम्बी चर्चा की है और मैं भी करूँगा । आज की युवा शक्ति, जो बर्बाद हो रही है, जिसके लिए हम सभी लोग चिन्ता कर रहे हैं । यह देश की ही ताकत है, जिसके बल पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारा देश दुनिया में विश्व गुरु का स्थान ग्रहण करने वाला है । यह इन्हीं ताकतों के बल पर होगा ।

18.00hrs.

अगर आज वह युवा नशे की लत में अपने आप को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि उस युवा शक्ति को बर्बाद होने से रोकने का हम काम करें । सरकार इस पर चिंतित है, इसके बारे में चिंता कर रही है । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी इस विषय पर चिंता करने का काम कर रहे हैं । उन्होंने अनेक कदम उठाने का काम किया है । … (व्यवधान)

माननीय सभापति : राम कृपाल यादव जी, आप एक सेकेंड के लिए रुकिए ।

Now, it is already 6 O'clock. If the House unanimously agrees, we will extend the time of the House up to 6.30 pm.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: So, the House agrees. Yes, please continue.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, is the time extended till 7.30 pm?

HON. CHAIRPERSON: No, 6.30 pm.

श्री राम कृपाल यादव : चेयरमैन सर, मैं अपने बिहार प्रदेश पर आता हूं । बिहार में देश की दूसरी बड़ी आबादी है । उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का स्थान आता है । बिहार के बारे में, जैसा कि मैंने

कहा, देश में जब युवाओं की संख्या 60 परसेंट है, तो हमारे प्रदेश में भी खास तौर पर 60 परसेंट आबादी है । बिहार में तो वर्षों के बाद भी गरीबी है, फटेहाली है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, चिकित्सा का अभाव है और कई चीजों का अभाव है ।

18.01hrs. (Shri A. Raja *in the Chair*)

सर, बिहार की चिंता करना इसलिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि बिहार का नौजवान बर्बाद हो रहा है । बिहार की सरकार ने शराबबंदी कानून बनाया । भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने सरकार के इस कदम को समर्थन देने का काम किया । हम उस समय विपक्ष में थे, सरकार में हमारी भागीदारी नहीं थी । लेकिन पूरे मन से, राजनीति से ऊपर उठकर हमने सरकार का समर्थन किया, क्योंकि शराबबंदी कानून एक अच्छा कानून है । हम इसका समर्थन करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ।

सर, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है । मैं समझता हूं कि चिंता का विषय इसलिए है, क्योंकि देश में समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि शराबबंदी कानून होने के बाद भी बिहार में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बेची जा रही है । यही नहीं, वहां नशीले पदार्थों का सेवन भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है । बिहार में तीन-चार रोज़ पहले जहरीली शराब के कारण 100 से अधिक लोग सारण जिले में मर गए । नशाबंदी के बाद अब तक की क्या स्थिति है?

सर, आज से कुछ ही दिन पहले इसी सदन में मैंने सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया था । मैंने यहीं खड़े होकर कहा था कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो गया है, असफल हो गया है, जिसके कारण बिहार में अवैध शराब आ रही है और शराब व्यापार में जुटे हुए लोगों की सामान्तर इकोनॉमी खड़ी हो रही है, उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है । शराबबंदी की वजह से नौजवान नशे का शिकार हो गया है और बर्बाद हो रहा है । वे मौत के मुंह में जा रहे हैं । पूरा का पूरा बिहार तबाह हो गया है ।

मैंने यही कहा था कि सूखे नशे की वजह से आज युवा खुलेआम गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, हिरोइन, भांग, ब्राउन-शुगर, नशीले इन्जेक्शन, सॉलुशन, वाइटनर इत्यादि अन्य जो ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं । बिहार के सारे नौजवान हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आपको मिल जाएंगे, जो नशे में लिप्त हैं । मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी नस्ल इससे बर्बाद हो रही है ।

महोदय, चिंता इस बात की है कि बिहार प्रदेश युवाओं का प्रदेश, बेरोजगारों का प्रदेश बनता जा रहा है । आज वहां सूखे नशे का प्रयोग करके नौजवानों की पूरी नस्ल बर्बाद करने का काम किया जा रहा है । एक-एक परिवार में, एक-एक मोहल्ले में, गांव में न जाने कितने लोगों की जान चली गई है । … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude.

… (*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव : सर, क्या इतनी जल्दी कनक्लूड कर दूं? … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The time allotted for you was five minutes. Please conclude.

… (*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं पीड़ा शेयर कर रहा हूं । … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

… (*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव: सभापति जी, बिहार की पीड़ा है, नौजवानों की पीड़ा है । बिहार बर्बादी की कगार पर है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें । बड़े पैमाने पर नौजवानों और उनके परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । सूखे नशे की आदत से लोग बर्बाद होते जा रहे है **।**

HON. CHAIRPERSON : Come to the conclusion of your speech.

… (*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, जो लोग नशे में लिप्त हैं, उनका स्तर इतना गिर गया है कि वे अपनी माँ, बहन के गहने चोरी करके बेच रहे हैं । इस वजह से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं । राज्य सरकार कह रही है कि हम कानून लागू कर रहे हैं । सरकार के एजी ने जब रिपोर्ट सबके सामने प्रेस के माध्यम से रखी, तब मालूम हुआ कि शराब का सामान और नशे का सामान थाने में चूहे खा गए । यह कितनी जग हसाई की बात है । सरकार के संरक्षण में थाने के अंदर नशे और शराब को गैर कानूनी ढंग से बेचने का काम किया गया । आपने देखा होगा कि 100 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude your speech.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Ram Kripal Yadav, there are ten more Members of your Party to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI RAM KRIPAL YADAV: I am going to conclude, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude your speech. Otherwise, I will be forced to call another Member.

… (*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव: महोदय**,** राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन राज्य सरकार संवेदनहीन है ।

HON. CHAIRPERSON: Shri Jasbir Singh Gill.

… (*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव: महोदय**,** कहा जा रहा है कि वहां आप मुआवजा दीजिए और जो मर गए हैं**,** उनकी आंख के आंसू पोछिए **।** लेकिन कुछ नहीं किया गया । वहां एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और कहा है कि पार्टी के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ।… (व्यवधान)

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सभापति जी, हम चर्चा सदन में कर रहे हैं और हमारे देशवासियों की निगाह हम पर टिकी हुई है कि ड्रग एब्यूज की बीमारी का हल कैसे निकाला जाएगा । यह एक राज्य की प्रॉब्लम नहीं, एक देश की प्रॉब्लम नहीं बल्कि दुनिया भर की प्रॉब्लम है । वर्ष 2020 में दुनिया के 5.6 प्रतिशत लोगों ने ड्रग लिया है । ड्रग एब्यूज की प्रॉब्लम आज की नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है । दुनिया में इसकी चर्चा बहुत पहले शुरू हो गई थी । सबसे पहले वर्ष 1909 में शंघाई कांफ्रेस हुई । वर्ष 1912 में जनेवा ओपिएम कांफ्रेस हुई । वर्ष 1946 में लेक सक्सेस प्रोटोकाल हुआ । ऐसे साल दर साल लोग चर्चा करते आए हैं । आज भारत में दो करोड़ के करीब लोग गांजा ले रहे हैं । दो करोड़ के करीब लोग अफीम और दस लाख के करीब लोग कोकीन ले रहे हैं । ड्रग एब्यूज जब भी आता है, अपने साथ और भी बहुत-सी बीमारियां लेकर आता है । स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, वह इसका बॉय प्रोडक्ट है । ड्रग एब्यूज को हमें दो भागों में बांटना चाहिए । एक भाग सिंथेटिक और दूसरा जो नेचुरल रिसोर्सेस से आती है । मैं सदन में अपने पास के गांव की सत्य घटना बताना चाहता हूं । एक लड़का ड्रग ओवर डोज से मर गया था । उसका संस्कार करने के लिए जब गांव के बाहर लोग शमशान घाट में लेकर गए और वहां साफ-सफाई कर रहे थे, तो उधर एक और लड़के की लाश पड़ी थी । उसकी बाजू में नशे का टीका घुसा हुआ था ।

ड्रग अब्यूज का इस तरह का प्रकोप हमारे पंजाब में है । इसे संभालना है, तो इसमें हम सभी को कोई राजनीति नहीं करनी है, बल्कि सरकार के साथ खड़े रहने की जरूरत है । चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हम सभी को एक साथ खड़े होकर इसे खत्म करना होगा । आज तू-तू मैं-मैं के आरोप-प्रत्यारोप में हमें नहीं आना है । हमें फोकस करके रखना है । मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अकेले सरकार इस मुश्किल का हल कर ले, तो यह संभव नहीं है । सरकार के साथ हमारे धर्मगुरुओं को, हमारी सोसायटी के लीडर्स को, पुलिस को और सिविल सोसायटी आदि को मिलकर इसके खिलाफ एक माहौल खड़ा करना होगा । जो मां-बाप हैं, उनको इसमें प्रो-एक्टिव रोल निभाना होगा ।

सर, आज ऐसे हालात हैं कि जब मां-बाप को अपनी बेटी की शादी करनी होती है और उन्हें किसी लड़के के बारे में बताया जाता है, तो मां-बाप यह नहीं पूछते कि वह कितना पढ़ा-लिखा है और उसके पास कितनी जायदाद है, बल्कि पहले यह पूछते हैं कि लड़का ड्रग्स आदि तो नहीं लेता? Sir, This is the gravity of the problem. हमारा समाज इसकी गिरफ्त में इतना अधिक आ चुका है कि जब तक हम इसके विरूद्ध ज्वाइंट होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे । सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में बताना चाहूंगा कि बुल्गारिया में दवाई की कुल 26 दुकानें हैं, जबकि हमारे यहां 10 हजार की आबादी वाले शहर में केमिस्ट की 25 दुकानें होती हैं । मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मगर उसमें कुछ है, जो पैसे लगाते हैं, लेकिन जब उनको मुनाफा नहीं होता, तो ये सिंटेथिक ड्रग बिकने लग जाता है ।

हमें इसे भी रेशनलाइज करना होगा । कितनी पॉपुलेशन पर कितनी दुकान होनी चाहिए, ऐसा कोई फार्मूला हमें लाना होगा, ताकि केमिस्ट की दुकान चलाने वाला भी प्रॉफिट में रहे और गलत काम करने की नौबत भी न आ सके ।

सर, समाज में जो बड़े लोग करते हैं, जो सेलिब्रिटीज करते हैं, जो मूवीज में दिखता है, उसका असर नीचे होता है । अगर कोई हीरो जैसे कि रितिक रोशन ऐनक पीछे लगा ले या सिर के ऊपर लगा ले, वही हमारे बच्चे करने लगते हैं । आज हमारी फिल्मों में सरेआम ड्रग्स दिखाए जा रहे हैं ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री जसबीर सिंह गिल: सर, जो गाने हैं, वे ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं । हमें उन पर ऐक्शन लेना चाहिए और बताना चाहिए कि यह चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे । अब एक मुख्य समस्या पर मैं आना चाहता हूं । मैं बॉर्डर क्षेत्र से आता हूं, जो पाकिस्तान से सटा है । आज लॉंगीट्यूड-लैटीट्यूड उधर भेजा जाता है और ड्रोन एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर ड्रग्स छोड़ देता है । आप हैरान रह जाएंगे कि

इस साल 300 से अधिक बार ड्रोन इधर आया । पहले ड्रोन 25 किलो, 32 किलो ड्रग्स लेकर आता था, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि अब 93 किलो ड्रग्स आ रहा है ।

हमारी पंजाब पुलिस फोर्स काफी प्रोफेशनल है । आप उसे सपोर्ट दें, पोर्टेबल रडार्स दें और उनको जो चाहिए वह दें । अगर हमने बॉर्डर पर इसे रोक लिया, तो अपनेआप पिल्फिरेज कम हो जाएगी । धन्यवाद ।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Respected Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to participate on the discussion under Rule 193 on the problem of drug abuse in the country and the steps taken by the Government.

Sir, WHO has declared drug addiction as a disease. It is a physical disease, mental disease, psychological disease, social disease and a disease that affects the family also. This is a disease that has no recovery. Hence, the best way is to avoid the use of drugs.

Sir, as was mentioned earlier in this house, 50 per cent of India's population is below the age of 25 years. And drug addiction is found more among youngsters and students. According to Gary Lewis, the South Asia Regional Representative of the UN Office on Drugs and Crime, the opinion that drug abuse is an exclusively urban phenomenon is a myth. Injecting drugs and high-risk behaviours are seen in both urban and rural areas. The observation of 26th June as the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking alone is not sufficient to eradicate this menace. The entire world is facing the menace of drug addiction which has a devastating impact on the addicted individual, family, and a large section of the society also.

Sir, the launch of the Nasha Mukt Bharat Abhiyan is a good endeavor. In this campaign, 272 districts across the country have been identified as the most vulnerable in terms of usage of drugs. During the last three decades, the Ministry of Social Justice and Empowerment has conducted two nation-wide

drug surveys. One was published in 2004 and the other one in 2019. The results of these surveys suggest that drug use in India continues to grow unabated.

According to the National Survey conducted by the Ministry of Social Justice and Empowerment in 2019, there are more than 60 million drug users in the country of which a large number of users are in the age group of 10-17 years. Let us join together to fight this menace.

Sir, the results of these surveys suggest that drug use in India continues to grow unabated. More disturbingly, heroin has replaced the natural opioids as the most commonly abused opioid. A large-scale epidemiological study from Punjab also concurred with this finding.

The uses of other synthetic drugs and cocaine have also increased significantly. The National Mental Health Survey (2015-2016) showed a treatment gap of more than 70 percent for drug-use disorders. The recent nation-wide survey on substance-use disorders has replicated the result, with nearly 75 per cent treatment gap for drug-use disorders. Added to that misery, merely five per cent of people with illicit drug use disorders received in-patient care. This large treatment gap indicates poor accessibility, utilization, and quality of health care. To meet this unattended need, the Government should expand the treatment and rehabilitation facilities for substance-use disorders. As drug demand reduction falls under the direct purview of the Ministry of Health as well as the Department of Social Justice, a coordinated and

concerted effort is required to fill the treatment gap with a minimum standard of care.

Current and future challenges in the supply reduction lie in the early detection and scheduling of the new psychoactive substances. The recently published report of the International Narcotic Control Board (INCB) revealed India's threat to mephedrone and captagon. Misuse of over-the-counter medications with definite or with possible addictive potential is another concern, as voiced by the international forum. The biggest challenge remains to maintain a rehabilitative approach than a punitive one even while punishing the addicts. It has to be well maintained that they are treated and not simply punished.

Thank you, Sir.

*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity. Many Members have spoken here about the ill impact and the dangers caused by drug abuse in the country by taking part in this discussion. Drug de-addiction is a herculean task. Particularly the sale of illicit drugs is a commerce targeted around the innocent school children and the younger generation making the biggest impact on their mental health. We see such drug mafia targeting the students in schools and other educational instructions having lots of mental pressure. In the first instance they catch hold of any particular student and through him a big network is created. These have come out due to the researches on this subject. They talk about two issues. One being the gap, particularly the mental gap which is created between the parents and the children. Many say this is one among the important reasons for these children getting into use of intoxicating substances and drugs. Many have mentioned this aspect in this House. This is one angle to this issue which talks about the relationship between parents and children. Another aspect is the relationship between the Government in power and the drug network. Intoxicating drugs play a major role in preventing the younger generation entering into politics besides diverting them. Any substance which makes the people get into an inebriated condition can be available only with the blessings of the government in power. This is not my statement. Arthashastra vividly talks about this. It talks about how the rulers who are in power make ways for the people to get into the network of intoxicating drugs and get them diverted

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

from the mainstream issues. This is similar to just a snake entering into a crowd. Arthashastra discusses in detail about the nexus between those who are in power and those who sell intoxicating drugs. I have two examples to cite here. Most importantly I wish to share a positive exemplary example which pertains to Tamil Nadu. This is the action taken by the South Zone IG of Police in Tamil Nadu who has submitted charge sheets in the Courts in almost 2000 NDPS cases in the last 9 months. This is a remarkable achievement. Under Section 102 of Cr.PC, 1873 bank accounts have been frozen by him. Besides issuing 1376 affidavits of good conduct, Shri Asra Garg IPS has taken action for freezing the assets of 69 persons under the NDPS Act of 1985.

18.24 hrs. (Hon. Speaker *in the Chair*)

All these efforts of Shri Asra Garg IPS has been appreciated by the Madurai Bench of Hon. High Court of Madras.

HON. SPEAKER: Ok. Now Sardar Simranjit Singh Mann.

SHRI S. VENKATESAN: Sir, just a minute. Another example is something negative. It pertains to the Adani's Mundra Port in Gujarat, where there was a seizure of illicit drugs to the tune of Rs 350 Crore in July 2022. Moreover, I should state here that Rs. 21000 Crore worth illicit drugs were seized earlier in September 2021 from the same port.

HON. SPEAKER: Nothing more will go on record. Sardar Simranjit Singh Mann Ji, please continue.

… (*Interruptions*) … *

माननीय अध्यक्ष : सरदार सिमरन जीत सिंह मान जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मान जी**,** आप बोलिये । इनका कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है ।

… (व्यवधान) …*

---

* Not recorded.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Thank you, Mr. Speaker, Sir. I have risen to speak because speaker after speaker has been demeaning the Punjab that we are the largest State in the consumption of liquor, and drugs like opium. That is not the case.

You may look at the borders of this country. If we were druggies, and alcoholics, we would not have been facing the Chinese so bravely on the LAC. There are countries like Afghanistan, Columbia, and others which allow cultivation of poppy plant. Our Party believes that this menace can be stopped if like Madhya Pradesh, Punjab is also allowed to grow and cultivate poppy flower. The Constitution says that all are equal before law. If Madhya Pradesh can produce poppy and opium, so can Punjab.

The other thing that I wish to bring to your notice is that in Canada you can now legally buy bhang pills. Countries are changing their minds over these things. I would appeal to the Central Government and the Punjab Government to allow the civil sergeants to issue permits to the addicts of opium so that this menace can be controlled…(*Interruptions*) These are some of the things that we want to be done.

Alcohol is not very bad. I do not want to praise the smugglers, but if Pakistan is sending us drugs like opium and opioids, ...* are sending an equal

* Expunged as ordered by the Chair.

amount of liquor into dry Pakistan. So, it is not only that Pakistan sends us drugs, we, in the ...* lots of liquor to Pakistan.

The victory of the BJP in the recent Gujarat elections was because of two reasons: One is attributed to the personality of the Prime Minister, Shri Modi, and the second is that Punjab had sent in ... * during the elections. I do not wish to take much of the time of the House. Thank you very much.

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Speaker, Sir, today, the House is deliberating on a very important issue concerning the youth of this nation.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, साढ़े 6 बजे तक का समय है, अत: माइक अपने आप बंद हो जाएगा, इसलिए आपको इतनी देर ही बोलना है ।

… (व्यवधान)

श्री तेजस्वी सूर्या: सर, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जितना भी आप बोलना चाहो । चाहे 1 घंटा हो, लेकिन साढ़े 6 बजे तक का ही सदन का समय है ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए, अब आप बोलना शुरू कीजिए । सब मिल कर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं । आप बोलिए ।

… (व्यवधान)

SHRI TEJASVI SURYA: India is a young country, and more than 60 per cent of the country's population is below the age of 35 which makes it very important for the Government and the society to take this war on drugs very seriously. In the last eight years, the Government under the leadership of the Prime Minister, and the Home Minister Amit Shah ji, has effectively handled the war on drugs in an unprecedented manner. Some Members from the Opposition were asking questions on what has been the result of this war on

drugs. I just want to put three points before the House, and through it before the whole nation. In the last eight years, nearly 200 per cent more cases have been registered compared to 20 per cent cases between 2006 and 2013. This is a 260 per cent increase in the number of arrests in the last eight years under the leadership of Amit Shah ji. The quantity of drugs that has been seized is more than double. Between 2006 and 2013, 1.5 lakh kg. of drugs were seized.

Hon. Speaker, Sir, but between 2014 and 2022, 3.3 lakh kilograms of drugs have been seized, and this is the effectiveness of the war on drugs. From 2006 to 2013, drugs worth Rs. 768 crore were caught. But in the last eight years, the Government of India's war on Drugs has captured and destroyed drugs worth Rs. 20,000 crore, and the credit for this must go to the hon. Home Minister for leading this battle from the front. Hon. Speaker, Sir, I would like to bring two other points before the august House. The war on drugs needs a multi-pronged approach. While enforcement and investigation are one aspect, ensuring that young people and young Indians do not take the path of drugs, is more important.

Studies have proven world over that the cost of preventing a young person from taking to drugs, is more cost-effective than investigation and enforcement at a belated stage. Therefore, the Ministry of Education, Ministry of Youth Affairs and Sports, and the Ministry of Health and Family Welfare must come together to develop a multi-pronged strategy to engage youth

through sports, yoga, and also such other purpose-driven activities so that they are not distracted towards the path of drugs.

In addition to that, many hon. Members made a point about rehabilitation centres. It is very important to have a rehabilitation centre fully sponsored by the Government at every district. It is also important to have success stories of young people who have given up on drugs; who have made recoveries; and who have come out of drugs. The society must celebrate them and their spirit of coming out of the vicious cycle of drugs, and the society must also ensure that they become role models for many others. The society must effectively make a journey from spirits to spirituality and that is something that the Government and the society together must encourage. Drugs corrode the very vitality and the very strength of our young population. Unless and until the society, beyond politics and parties, comes together and wages a comprehensive war on drugs -- which also finances terrorism -- the country will not be effective at battling this very huge problem.

At the end, I only want to make an appeal to the young of this nation through this august Parliament:

"Drugs, it is said, is a disguised road to hell, disguised as heaven."

I call upon the young people to not get distracted -- whether it is under pressure, or under duress, or under influence. Drugs corrode us. Drugs take away the very life that is a gift from God. The Government -- from the hon. Prime Minister to every single person in the country -- is with every youngster

who wants to come out of this. It is a positive battle that the whole country is very keen to fight.

Thank you so much, hon. Speaker, Sir.

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

18.34 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday,December 21, 2022/Agrahayan 30, 1944 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

–